सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2015—16

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
www.mdws.gov.in

विषय सूची

क्र.स.	भाग	पृष्ठ सं.
	संक्षिप्ताक्षर	i-iii
1	मंत्रालय के बारे में	1–3
1.1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	1
1.2	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	1
1.3	विजन	2
1.4	लक्ष्य	2
1.5	उद्देश्य	2
1.6	कार्यनीति	3
1.6.1	वर्ष 2017 तक	3
1.6.2	वर्ष 2019 तक	3
1.6.3	वर्ष 2022 तक	3
2	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4–35
2.1	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)	5–19
2.1.1	भारत निर्माण	5
2.1.2	एनआरडीडब्लूपी के घटक	6
2.1.3	निधि आबंटन के लिए मानदंड	7
2.1.4	ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन	7
2.1.5	वर्तमान स्थिति	9
2.1.6	ग्रामीण जलापूर्ति में वित्तपोषण	9
2.1.7	एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वित्तीय कार्य–निष्पादन	11
2.1.8	एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत वास्तविक कार्य–निष्पादन	15
2.1.9	बढ़ती हुई अपेक्षाएं – लक्ष्य	15
2.1.10	वार्षिक कार्य योजना (एएपी) : 2015–16 के लिए योजना	16
2.1.11	अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी), जनजाति उपयोजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद (एलडब्लूई) प्रभावित जिलों तथा अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के लिए योजना	17
2.1.12	समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर द्वारा चालित दोहरे पंप	19
2.1.13	पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्लूपी की प्रगति	19
2.2	जल गुणवत्ता कार्यक्रम (डब्लू क्यू)	20–35
2.2.1	पेयजल गुणवत्ता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीडीडब्लूक्यू) की स्थापना	20
2.2.2	सामुदायिक जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से देश में फ्लोराइड, आर्सेनिक, यूरेनियम एवं अन्य भारी/ विषैली धातुओं तथा कीटनाशकों/ उर्वरक प्रभावित ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजना	21
2.2.3	जल गुणवत्ता निगरानी और जांच	21
2.2.4	जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएँ	23
2.2.5	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याएं के सुधार में उपलब्धियाँ	23

2.2.6	हाइड्रो–जियो मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र (एमजीएम)	25
2.2.7	ग्रामीण पेयजल शुद्धीकरणों पर राज्यों के लिए सहायता	27
2.2.8	जेई/एईएस का न्यूनीकरण	27
2.2.9	प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन	29
2.2.10	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा परियोजना	30
2.2.11	सहायक गतिविधियाँ और मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन ढाँचा	32
3.0	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	36–66
3.1	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	37
3.2	2015–16 के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियॉ	47
3.3	राज्यों के परिदृश्य	52
3.4	पूर्वोत्तर राज्यों में एसबीएम (जी) की गतिविधियॉ	58
3.5	अनुसूचित जाति उप–योजना (एससीएसपी) तथा जनजाति उप–योजना (टीएसपी)	62
3.6	व्यवहारगत परिवर्तन हेतु संवाद (बीसीसी)	62
3.7	क्षमता निर्माण एवं मानव संसाधन विकास (एचआरडी)	64
3.8	एसबीएम (जी) के अंतर्गत मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन (एमएंडई)	65
4	समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण सम्मेलन/प्रदशनियां	67–77
4.1	राज्य मंत्रियों तथा सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें	68
4.2	समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)	68
5	प्रशासन	78–84
5.1	संगठन	79
5.2	मंत्रालय की नई पहलें	79
5.3	सतर्कता एवं आरटीआई/शिकायत निवारण तंत्र	81
5.4	राजभाषा हिन्दी से संबंधित गतिविधियां	81
6	मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	84
7	अनुलग्नक I– VIII	85–98
अनुलग्नक- I	संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा	86
अनुलग्नक-II (क)	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें (2014–15)	90
अनुलग्नक-II (ख)	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (2014–15)	91
अनुलग्नक-III (क)	आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें (2015–16, दिनांक 31.01.2016 तक)	92
अनुलग्नक-III (ख)	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें (2015–16, दिनांक 31.01.2016 तक)	93
अनुलग्नक-IV	वर्ष 2014–15 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति	94
अनुलग्नक-V	वर्ष 2015–16 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति (दिसंबर, 2015 तक)	95
अनुलग्नक-VI	वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य वार जारी निधियों की स्थिति	96
अनुलग्नक-VII	वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य वार जारी निधियों की स्थिति (दिसंबर, 2015 तक)	97
अनुलग्नक-VIII	एससी/एसटी श्रणी में आईएचएचएल रिपोर्ट का विवरण	98

संक्षिप्ताक्षर

एएपी	वार्षिक कार्य योजना
एपीएल	गरीबी रेखा से ऊपर
एआरडब्लूएसपी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एएसएचए	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
एईएस	तीव्र एनसेफेलाइटस सिंड्रोम
बीपी	ब्लाक पंचायत
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
बीआरसी	ब्लाक संसाधन केंद्र
सीसीडीयू	संचार एवं क्षमता विकास इकाई
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भू–जल बोर्ड
सीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
सीआरएसपी	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
सीबीओ	समुदाय–आधारित संगठन
सीपीजीआरएएमएससिस्टम	केन्द्रीय जनशिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली
डीडीपी	मरूस्थल विकास कार्यक्रम
डीडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
डीपीएपी	सूखाप्रवण क्षेत्र कार्यक्रम
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी
डीडब्ल्यूएसएम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
ईसीबीआई	बाह्य क्षमता निर्माण पहल
ईपीसी	इंजीनियरी, प्राप्ति एवं निर्माण
एफटीके	फील्ड जाँच किटें
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीएसडीए	भू–जल सर्वेक्षण तथा विकास एजेंसी
एचएडीपी	पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम
एचजीएम	भू–जल संदर्शी हाइड्रो–जियोलोजीकल मानचित्र

एचआरडी	मानव संसाधन विकास
एचएच	श्रवण विकलांग
आईएपी	समेकित कार्य योजना
आईआरसी	अंतर्राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र
आईसीडीडब्लूक्यू	पेयजल गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र
आईआईटीएफ	भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईएचएचएल	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
आईएमआईएस	समेकित प्रबंधन आसूचना प्रणाली
आईडब्ल्यूएमपी	समेकित वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
जेई	जापानी एनसेफेलाइटस
केआरसी	मुख्य संसाधन केन्द्र
एलपीसीडी	लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन
एलडब्लूई	वामपंथ उग्रवाद
एलएसके	एकमुश्तटर्न–की
एम एंड ई	निगरानी एवं मूल्यांकन
एमजीएनआरईजीएस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमपीआर	मासिक प्रगति रिपोर्ट
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमडीजी	मिलेनियम विकास लक्ष्य
एमआईएस	निगरानी सूचना प्रणाली
एमसीडी	अल्पसंख्यक बहुल जिले
एमवीएस	बहु–ग्राम योजना
एमडीडब्ल्यूएस	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
एमएचएम	मासिक धर्म वैयक्तिक साफ–सफाई प्रबंधन
एनबीए	निर्मल भारत अभियान
एनईईआरआई	राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान
एनईएस	पूर्वोत्तर राज्य
एनएफएचएस	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनजीपी	निर्मल ग्राम पुरस्कार
एनआईसी	राष्ट्रीय आसूचना केंद्र
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच कार्यक्रम
एनआरएससी	राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र
एनएसएसओ	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन
एनडब्लूपी	राष्ट्रीय जल नीति
ओ एंड एम	प्रचालन एवं अनुरक्षण
ओडीएफ	खुले में शौचमुक्ति
ओएलआईसी	राजभाषा कार्यान्वयन समिति
ओएच	अस्थि विकलांग
पीसी	उत्पादन केंद्र
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड डीएसी	अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति
आरजीएनडीडब्ल्यूएम	राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन
आरएसएम	ग्रामीण स्वच्छता बाजार
एससीएसपी	अनुसूचित जाति उप–योजना
एसडब्ल्यूएसएम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
एसबीएम (जी)	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
एसएचजी	स्वः सहायता समूह
टीएससी	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोश
यूटी	संघ शासित प्रदेश
डब्ल्यूएसपी	जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम
डब्ल्यूएसएसओ	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
जेडपी	जिला पंचायत/ परिषद

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

www.mdws.gov.in

1 मंत्रालय के बारे में

वर्ष 1999 में ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेयजल आपूर्ति विभाग (डीडीडब्लूएस) बनाया गया था, जिसे बाद में 2010 में पुनः पेयजल एवं स्व्च्छता विभाग नाम दिया गया था। ग्रामीण जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 13 जुलाई, 2011 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय बनाया और एक पृथक मंत्रालय के रूप में इसे अधिसूचित किया।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश में सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल हेतु चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात ग्रामीण जलापूर्ति के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एवं स्वच्छता हेतु चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एसबीएम (जी) के लिए समग्र नीति बनाने, योजना बनाने, उसके लिए वित्तपोषण का कार्य करने और समन्वयन का कार्य करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

1.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्ल्यूपी भारत निर्माण का एक घटक है जो अवस्थापना के सृजन पर ध्यान संकेन्द्रित करता है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए अवस्थापना एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक वातावरण पैदा हुआ है तथा इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था हुई है।

1.2 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में भारत में ग्रामीण स्वच्छता क्षेत्र में वर्ष 1954 के आरंभ में एक पहल शुरू की गई थी। भारत सरकार ने 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के रूप में एक ढांचागत योजना शुरू की थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण लोगों की जीवन शैली के स्तर को बेहतर बनाना तथा महिलाओं को निजता एवं गरिमा प्रदान करना था। ''सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान'' (टीएससी), ''मांग जनित'' दृष्टिकोण के साथ 1999 से शुरू किया गया था जिसमें ग्रामीण लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), क्षमता विकास गतिविधियों और स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन पर अधिक बल दिया गया था। ''निर्मल भारत अभियान'' (एनबीए) जो सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) का उत्तरवर्ती कार्यक्रम था, को 01.04.2012 से शुरू किया गया जिसका उद्देश्य निर्मल ग्रामों का सृजन करना तथा महात्मा गांधी नरेगा योजना के साथ तालमेल के जरिए उन्हें अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना था। यद्यपि ये कार्यक्रम काफी हद तक सफल रहे, तथापि अभी भी ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग शेष है जिसे शौचालय की

सुविधा प्राप्त नहीं हुई है।

महत्वपूर्ण रूप से इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता के मुद्दे पर राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारत के माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत की गई। नई कार्यनीति का फोकस राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर राज्य सरकारों को छूट देकर अपनी कार्यान्वयन नीति एवं तंत्र पर निर्णय लेने हेतु ''स्वच्छ भारत'' की ओर अग्रसर होना है। इसमें राज्यों को कार्यान्वयन रूपरेखा (फ्रेमवर्क) विकसित करने हेतु समर्थ बनाने पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है जिससे कि वे मिशन के अंतर्गत प्रावधानों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें तथा इन पहलों के प्रभाव को बढ़ा सकें।

1.3 विजन

ग्रामीण भारत में सभी के लिए हर समय स्वच्छ एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति कराना।

1.4 लक्ष्य

- प्रत्येक ग्रामीण को पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू मूलभूत जरूरतों के लिए सतत रूप से पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। इस मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में जल गुणवत्ता के मानक पूरे किए जाने चाहिए और जल हर समय और सभी स्थितियों में सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए।
- 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की स्थिति प्राप्ति करना है।

1.5 उद्देश्य

(क) सभी परिवारों को एक यथोचित दूरी पर स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल तक पहुँच एवं उसे उपयोग हेतु उपलब्ध कराना संभव बनाना।

(ख) समुदायों को उनके पीने के पानी के स्रोतों की जाँच करने एवं उस पर निगरानी रखने हेतु सक्षम बनाना।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि समुदाय आधारित पेयजल आपूर्ति प्रणाली के लिए योजना बनाते समय पेयजल आपूर्ति के संबंध में पीने के पानी का पीने योग्य होना, विश्वसनीयता, उसकी निरंतर उपलब्धता, जल प्राप्त करना सुविधा–जनक होना, समानता एवं उपभोक्ताओं की पसंद – ये सभी मार्गदर्शी सिद्वांत होंगे।

(घ) पेयजल की सुविधा, विशेष रूप से पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उन ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना जहां प्राथमिकता के आधार पर खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली गई हो।

(ड.) यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी स्कूलों और आंगनवाडियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो।

(च) पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय समुदायों को उनके गांवों में स्वयं के पेयजल स्रोतों और प्रणालियों का प्रबन्धन करने हेतु समर्थ बनाने में सहायता देना एवं इस हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना।

(छ) सूचना में पारदर्शिता लाने और सजग निर्णय लेने हेतु पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराई गई सूचना के साथ ऑनलाइन रिपोर्टिंग तंत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराना।

(ज) प्रत्येक बसावट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से विकलांग, छोटे और सुविधाहीन किसानों और महिला प्रमुख परिवारों सहित बीपीएल परिवारों और निर्धारित एपीएल परिवारों में स्वच्छता की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।

(झ) स्वच्छता एवं जलापूर्ति के प्रति संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना जिसके परिणामस्वरूप स्वच्छ भारत प्रगामी रूप से आगे बढ़ेगा और सभी सरकारी स्कूलों के शौचालयों में निरन्तर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।

(ञ) व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक पैमाने पर सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण अभियान शुरू करना जिससे कि शौचालयों के उपयोग, स्थायित्व एवं पर्याप्त 'प्रचालन और रख–रखाव' (ओ एंड एम) को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ट) सभी ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य शुरू करना।

1.6 कार्यनीति–परक योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता हेतु कार्यनीति–परक योजना में निम्नांकित समय सीमा रखी गई है:

1.6.1 वर्ष 2017 तक

(क) पेयजल सुविधाएँ

यह सुनिश्चित करना कि

- कम से कम 50% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
- कम से कम 35% ग्रामीण परिवारों को एक घरेलू कनेक्शन के साथ पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो। 20% से कम परिवार सार्वजनिक नलों का उपयोग करें और 45% से भी कम हैण्डपंपों अथवा स्वच्छ और पर्याप्त जल के अन्य निजी स्रोतों का उपयोग करें।
- प्रतिदिन जल की गुणवत्ता और जलापूर्ति के घंटों के हिसाब से सभी सेवाएँ तयशुदा मानदण्डों के अनुसार पूरी की जाएँ।

1.6.2 वर्ष 2019 तक

(ख) ग्रामीण स्वच्छता सुविधाएँ

2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त भारत की स्थिति प्राप्त करना।

1.6.3 वर्ष 2022 तक

(क) पेयजल सुविधाएँ

यह सुनिश्चित करना कि

- कम से कम 90% ग्रामीण परिवारों को पाइप द्वारा जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराई जाए,
- कम से कम 80% ग्रामीण परिवारों में एक घेरलू कनैक्शन के साथ पाइप द्वारा जल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो। 10% से भी कम लोग सार्वजनिक नलों का और 10% से भी कम लोग हैण्डपंपों अथवा जल के अन्य स्वच्छ एवं पर्याप्त जल के अन्य निजी स्रोतों का उपयोग करें।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम
(एनआरडीडब्ल्यूपी)

2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)

ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है, अन्य विषयों में यह विषय भी भारत के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल है जिसे राज्यों द्वारा पंचायतों को सौंपा जा सकता है। अतः ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी होना इस क्षेत्र में फोकस के अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है।

भारत सरकार ने समस्या–ग्रस्त ग्रामों में पेयजल आपूर्ति के कवरेज को बढ़ाने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने हेतु त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के माध्यम से जल क्षेत्र में अपनी प्रमुख पहल को 1972–73 में शुरू किया था। जल गुणवत्ता, उपयुक्त प्रौद्योगिकी पहल, मानव संसाधन विकास सहायता तथा अन्य सम्बद्ध गतिविधियों पर बल देते हुए 1986 में एक प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था जिसका बाद में 1991 में नाम बदलकर राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्ल्यूएम) कर दिया गया। 1999–2000 में, पेयजल से संबंधित योजनाओं की आयोजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में समुदाय को सम्बद्ध करने हेतु क्षेत्र सुधार परियोजनाएँ शुरू की गईं जिसका 2002 में, स्व–जलधारा कार्यक्रम के रूप में उन्नयन किया गया। आरजीएनडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम को 1.4.2009 से संशोधित किया गया तथा इसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) का नाम दिया गया।

2.1 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) केन्द्र प्रायोजित एक योजना है जिसका उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। एनआरडीडब्लूपी भारत निर्माण का एक घटक है जो ग्रामीण ढांचे के सृजन पर ध्यान केन्द्रित करता है। इसके परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र को पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए ढांचे एवं क्षमताओं के विकास हेतु एक समर्थनकारी वातावरण सृजित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

2.1.1 भारत निर्माण

भारत निर्माण, जो ग्रामीण आधारभूत सुविधाओं का निर्माण करने वाला एक कार्यक्रम है, को भारत सरकार द्वारा 2005 में शुरू किया गया था। कार्यक्रम का चरण–I 2005–06 से 2008–09 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया जबकि चरण–II 2009–10 से 2011–12 तक की अवधि में कार्यान्वित किया गया था। ग्रामीण पेयजल भारत निर्माण के छः घटकों में से एक है। एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों की गणना भारत निर्माण के लिए भी की जाती है तथा भारत निर्माण के अंतर्गत कोई भी अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

भारत निर्माण के चरण–I की अवधि के आरंभ में 55,067 कवर न की गई बसावटों और लगभग 3.31 लाख निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों को पेयजल सुविधाओं के प्रावधानों के साथ कवर किया जाना था और 2.17 लाख गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की जलगुणवत्ता की समस्या का निवारण किया जाना था। जल गुणवत्ता समस्या का निवारण

करने को प्राथमिकता प्रदान करते हुए, आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को लौह, लवणता, नाइट्रेट तथा अन्य सन्दूषणों के बाद प्राथमिकता दी जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन बसावटों को एक बार पेयजल आपूर्ति की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, वे निचली श्रेणी में न लौट पाएं तथा उन्हें पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े। पेयजल स्रोतों के स्थायित्व तथा प्रणालियों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्राम/बसावट स्तर पर पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, जल के सम्मिलित प्रयोग अर्थात वर्षा जल, सतही जल और भूजल के न्यायसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है।

2.1.2 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के घटक

(क) केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न घटकों के तहत आबंटन के मानदण्ड, वित्तपोषण और वितरण इस प्रकार हैं:

घटक	एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत केंद्रीय आबंटन	केंद्र-राज्य के मध्य हिस्से का पैटर्न
पूर्वोत्तर राज्य	10%	90:10
डीडीपी क्षेत्र राज्य	10%	• 90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए • 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए • 60:40 अन्य के लिए
प्राकृतिक आपदा	2%	
जल गुणवत्ता (निर्धारित)	5%	• 90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए • 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए • 50:50 अन्य के लिए
अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	73%	अगली तालिका के अनुसार
कुल	100%	

(ख) एनआरडीडब्लूपी का घटक, उद्देश्य, वितरण और राज्य स्तर पर केन्द्र–राज्य भागीदारी पैटर्न

घटक	उद्देश्य	राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी आबंटन का वितरण	केन्द्र-राज्य भागीदारी पद्धति
कवरेज	कवर न की गई, आंशिक रूप से कवर तथा निचली श्रेणी में लौट आई बसावटों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति कराना।	47 %	90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 50:50 अन्य के लिए
गुणवत्ता	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना	20 %	
प्रचालन एवं रख–रखाव (ओ एंड एम)	पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के प्रचालन, मरम्मत एवं प्रतिस्थापन लागतों पर व्यय	अधिकतम 15 %	

स्थायित्व	स्थानीय स्तर पर पेयजल सुरक्षा हासिल करने हेतु स्रोतों एवं पद्धतियों के स्थायित्व के जरिये राज्यों को प्रोत्साहित करना।	अधिकतम 10%	90:10 पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 100:0 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 अन्य के लिए
सहायता	सहायता गतिविधियॉ जैसाकि जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण आदि।	5%	
जल गुणवत्ता निगरानी एवं जाँच	बसावटों में जल गुणवत्ता की निगरानी एवं जाँच के लिए	3%	
कुल		100%	

2.1.3 निधि के आबंटन के लिए मानदण्ड

राज्यों को कवरेज, गुणवत्ता, निरंतरता, प्रचालन एवं रखरखाव, सहायता एवं जल जांच अनुवीक्षण और निगरानी घटक के लिए एनआरडीडब्लूपी निधियों का आबंटन करते समय जो मानदण्ड अपनाए जाते हैं, वे इस प्रकार हैं :

मानदण्ड	अधिमान्य (%में)
जनगणना के अनुसार ग्रामीण आबादी	40
जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण आबादी	10
ग्रामीण क्षेत्रों के संदर्भ में डीडीपी, डीपीएपी, एचएडीपी के अंतर्गत आने वाले राज्य और विशेष श्रेणी के पर्वतीय राज्य	40
प्रबंधन अंतरण सूचकांक द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रामीण जनसंख्या प्रबन्धन ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमें	10
कुल	**100**

एनआरडीडब्लूपी बजट के 10% तक का डीडीपी घटक समान मानदण्ड पर डीडीपी क्षेत्रों वाले राज्यों को आबंटित किया जाता है। प्राकृतिक आपदा संबंधी घटक का आबंटन उन केंद्र की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है जो कि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर राज्यों का दौरा करते हैं। गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को किए गए वितरण (75% अधिमानता के साथ) और जेई/एईएस (25%) के मामलों से प्रभावित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के आधार पर राज्यों को जल गुणवत्ता घटक हेतु चिन्हित 5% का आबंटन किया जाता है।

2.1.4 ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन

पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम एवं नीतियां विहंगम दृष्टि में	
वर्ष	कार्यक्रम/घटना
1949	पर्यावरण व्यक्तिगत स्वच्छता समिति (1949) (भोर समिति) 40 वर्षों की समय सीमा में भारत की 90 फीसदी आबादी को स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के प्रावधान की अनुशंसा करती है।
1950	भारत का संविधान 'जल' को राज्य के विषय के रूप में उल्लिखित करता है।
1969	यूनिसेफ से तकनीकी सहायता प्राप्त करके राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की गई और 254.90 करोड़ रू. इस चरण के दौरान खर्च किए गए, जिसके तहत 1.2 मिलियन बोरवैल खोदे गए और पाइप द्वारा जलापूर्ति की 17,000 स्कीमें उपलब्ध कराई गईं।

1972–73	पेयजल आपूर्ति की कवरेज की गति में तेजी लाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने हेतु भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एनआरडब्लूएसपी) की शुरूआत।
1981	भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक (1981–1990) की घोषणा के दौरान सभी गांवों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियां बनाने हेतु राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्षस्थ समिति गठित की।
1986	राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्लूएम) की शुरूआत देश में पेयजल की उपलब्धता संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए की गई।
1987	जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पहली राष्ट्रीय जल नीति की रूपरेखा बनाई गई जिसमें पेयजल आपूर्ति को पहली प्राथमिकता दी गई।
1991	राष्ट्रीय पेयजल मिशन (एनडीडब्लूएम) को नया नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आरजीएनडीडब्लूएम) दिया गया।
1994	संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रावधान किए गए।
1999	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार में पेयजल आपूर्ति विभाग का अलग से गठन हुआ। प्रणालियों की निरंतरता को सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण पेयजल आपूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन में सामुदायिक भागीदारी को संस्था का रूप देने हेतु क्षेत्र में सुधार के माध्यम से प्रयास शुरू किए गए। क्षेत्र में सुधार किए जाने से ''सरकार–उन्मुख आपूर्ति–चालित दृष्टिकोण'' के बजाए ''जन–उन्मुख मांग–चालित दृष्टिकोण' को अपनाकर आमूल–चूल परिवर्तन किया गया। सरकार की भूमिका 'सेवा प्रदाता' से बदलकर 'सुगमकर्ता' की हो गई। संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) की शुरूआत सन 1999 में खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के विशेष लक्ष्य को ध्यान में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की सुविधाएँ सुनिश्चित करने हेतु सुधार सिद्धान्तों के एक भाग के रूप में हुई थी। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं, सीबीओ और गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता से प्रभावशाली व्यवहारगत परिवर्तन लाने के लिए सूचना, शिक्षण और संप्रेशण, क्षमता निर्माण और व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी शिक्षण पर अत्यधिक बल टीएससी द्वारा दिया जाता है।
2002	सामाजिकी सुधार के स्तर को ऊपर उठाना जिसकी शुरूआत स्वजल धारा कार्यक्रम के रूप में की गई। राष्ट्रीय जल नीति में संशोधन किए गए, इसके तहत उन सेवा प्रदत्त गांवों को प्राथमिकता दी गई जिनमें स्वच्छ पानी का पर्याप्त मात्रा में स्रोत उपलब्ध नहीं है और इस प्रकार से उन गांवों में सेवा स्तर में सुधार लाया गया जिनकी पहचान केवल आंशिक रूप से कवर किए गए गांवों के रूप में हुई थी। भारत वर्ष 1990 के दशक के दौरान स्वच्छ पेयजल एवं मूलभूत स्वच्छता सुविधाओं के बिना रह रहे लोगों के उस समय के अनुपात को वर्ष 2015 के सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों तक आधा करने के प्रति प्रतिबद्ध है।

2005	भारत सरकार ने भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसके तहत 2003 के सर्वेक्षण के आधार पर 55,069 कवर न की गई बसावटों, ऐसी बसावटें जहां लोग पीने के पानी की गुणवत्ता से प्रभावित हों और ऐसी बसावटें, जो पूर्व स्थिति में लौट आई हों, उनमें पेयजल की सुविधा 5 वर्ष की अवधि के भीतर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया। गुणवत्ता प्रभावित बसावटों पर विशेष रूप से केन्द्रित वित्त पोषण के लिए एआरडब्लूएसपी के घटक के रूप में संशोधित उप–मिशन शुरू किया गया।
2007	स्व जलधारा के तहत वित्तपोषण का ढ़ांचा इस प्रकार से बदला : 50:50 केन्द्र–राज्य हिस्सा।
2009	पिछले त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में संशोधन लाकर और पिछले उपमिशन, विविध स्कीमों को एक साथ लाकर और स्वजलधारा सिद्धान्तों को मुख्य धारा में लाकर 01.04.2009 से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरूआत की गई।
2010	पेयजल आपूर्ति विभाग का नाम बदलकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग किया गया।
2011	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का एक पृथक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के रूप में उन्नयन किया गया।
2012	12वीं पंचवर्षीय योजना जिसके तहत 55 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया गया, जल गुणवत्ता से प्रभावित एवं साथ ही साथ 60 ऐसे जिलों को, जो जेई/एईएस से प्रभावित हैं, शामिल करने के लिए 5 प्रतिशत निधियाँ चिन्हित करना।
2013	चार निम्न आय वाले राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु विश्व बैंक के सहयोग से विशेष कार्यक्रम की शुरूआत करना।
2014	ग्रामीण पेयजल के लिए नई प्रौद्योगिकी संबंधी अभिनव पहल।

2.1.5 वर्तमान स्थिति

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय देश में सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल हेतु चलाए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं स्वच्छता हेतु चलाए जा रहे निर्मल भारत अभियान के लिए सामान्यतः नीति बनाने, योजना बनाने, उसके लिए वित्तपोषण का कार्य करने और समन्वयन का कार्य करने के लिए नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय के कार्यकलापों को चलाने हेतु मुख्यतः तीन कार्यक्रम प्रभाग नामतः जल, जल गुणवत्ता और स्वच्छता हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु यह निर्णय लिया गया था कि समाज में लिंग, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्कूली बच्चों, सामाजिक रूप से संवेदनशील समूहों जैसे कि गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं, विशिष्ट रूप से योग्यता रखने वाले और वरिष्ठ नागरिकों आदि के संबंध में समानता सुनिश्चित करने पर पूर्ण विचार के साथ ऐसे मुख्य मुद्दे जिनका कि इस अवधि के दौरान समाधान किए जाने की जरूरत है, वे हैं – स्थायित्व, जल की उपलब्धता और आपूर्ति की समस्या, जल की खराब गुणवत्ता, केन्द्रीकृत बनाम विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण और न्यायसंगत रूप से प्रचालन एवं रखरखाव संबंधी लागत का वित्तपोषण करना है। बारहवीं योजना अवधि के लिए स्वदेशी जल एवं स्वच्छता पर कार्यदल ने अन्य पहलों में से निम्नांकित पहलों की अनुशंसा की है (i) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सेवा स्तरों को 40 एलपीसीडी (लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) से 55 एलपीसीडी (लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) तक बढ़ाना, (ii) पाइप द्वारा जलापूर्ति पर ध्यान केन्द्रित करना और (iii) पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता पर संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना।

2.1.6 ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए वित्तपोषण

केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए किया

गया निधियों का आबंटन निम्नांकित तालिका और ग्राफ में दर्शाया गया है।

i) कवर न की गई बसावटें

भारत निर्माण की अवधि के दौरान कवर की जाने वाली 55,067 कवर न की गई बसावटों की तुलना में, चरण–। की अवधि के दौरान 54,440 बसावटें कवर की गई हैं। भारत निर्माण (चरण–।।) के दौरान 31/3/2011 तक 627 बसावटों को कवर किए जाने की जानकारी दी गई है। इस प्रकार कवर न की गई वे सभी बसावटें, जो 2005 के आरंभ में मौजूद थीं, अब कवर कर ली गई हैं।

ii) निचली श्रेणी में लौट आई बसावटें/आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें:

चरण–। (2005–06 से 2008–09 तक) में, राज्यों द्वारा निचली श्रेणी में लौट आई 3.58 लाख बसावटों को कवर कर लिए जाने की सूचना मिली है।

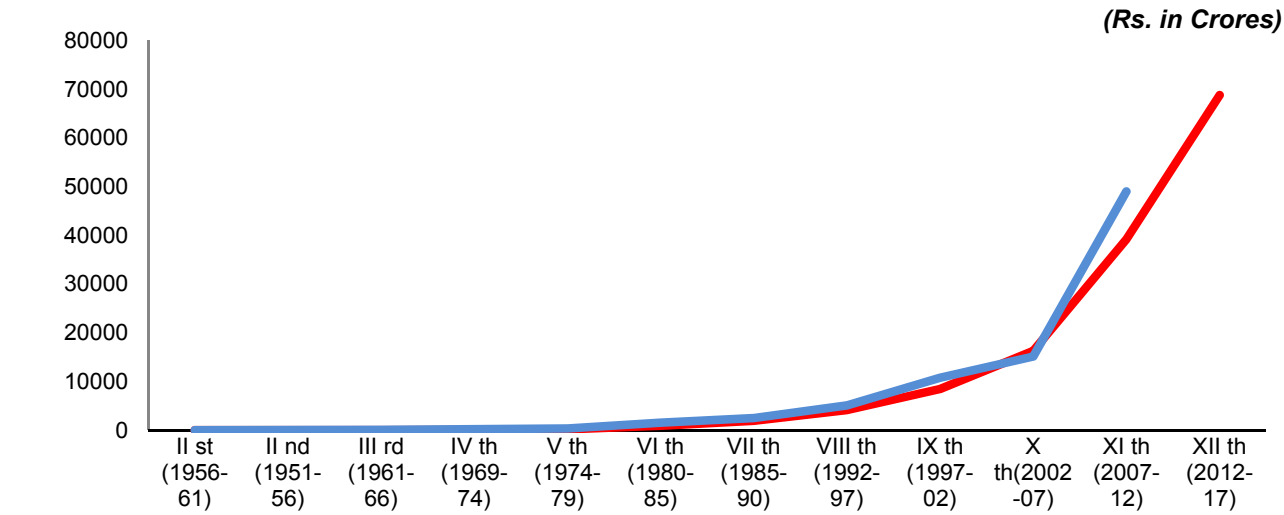

	II st (1956-61)	II nd (1951-56)	III rd (1961-66)	IV th (1969-74)	V th (1974-79)	VI th (1980-85)	VII th (1985-90)	VIII th (1992-97)	IX th (1997-02)	X th(2002-07)	XI th (2007-12)	XII th (2012-17)
Centre	0	0	0	34.1	157.17	895.38	1905.64	4139.74	8454.57	16254.4	39191	68786
State	3	30	48	208	348	1530.17	2471.53	5084.44	10773.1	15102.4	49000	

भारत निर्माण (चरण–। और ।। में वास्तविक प्रगति)

भारत निर्माण (चरण–।) (2005–06 से 2008–09)

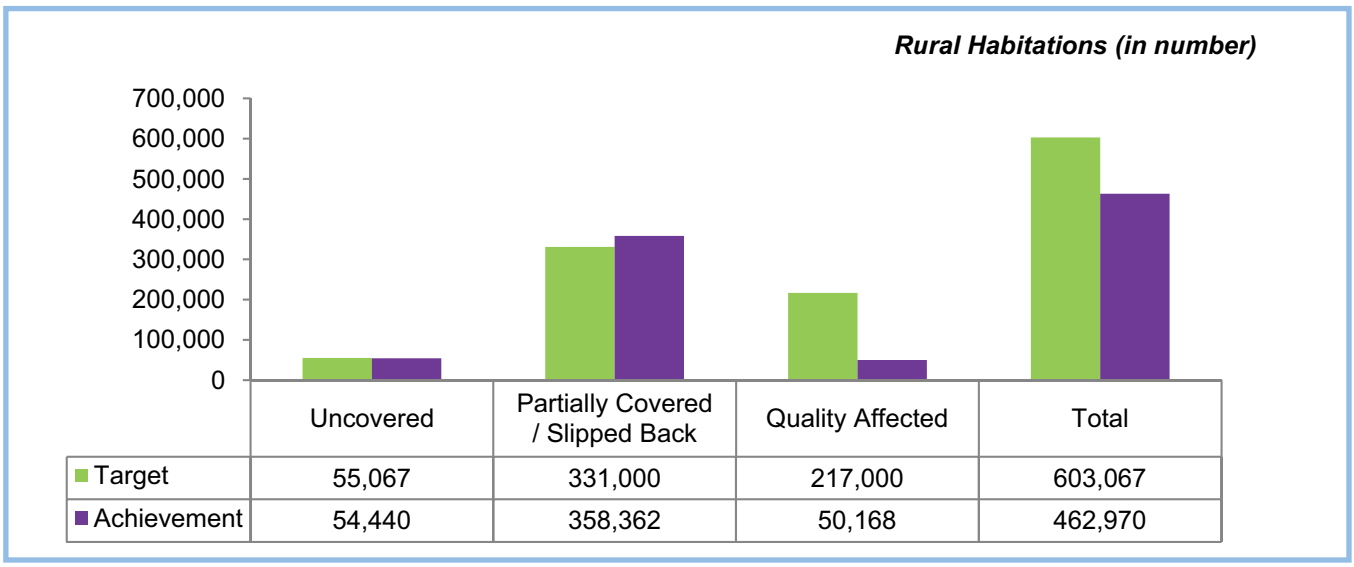

	Uncovered	Partially Covered / Slipped Back	Quality Affected	Total
Target	55,067	331,000	217,000	603,067
Achievement	54,440	358,362	50,168	462,970

भारत निर्माण (चरण–II) (2009–10 से 2011–12)

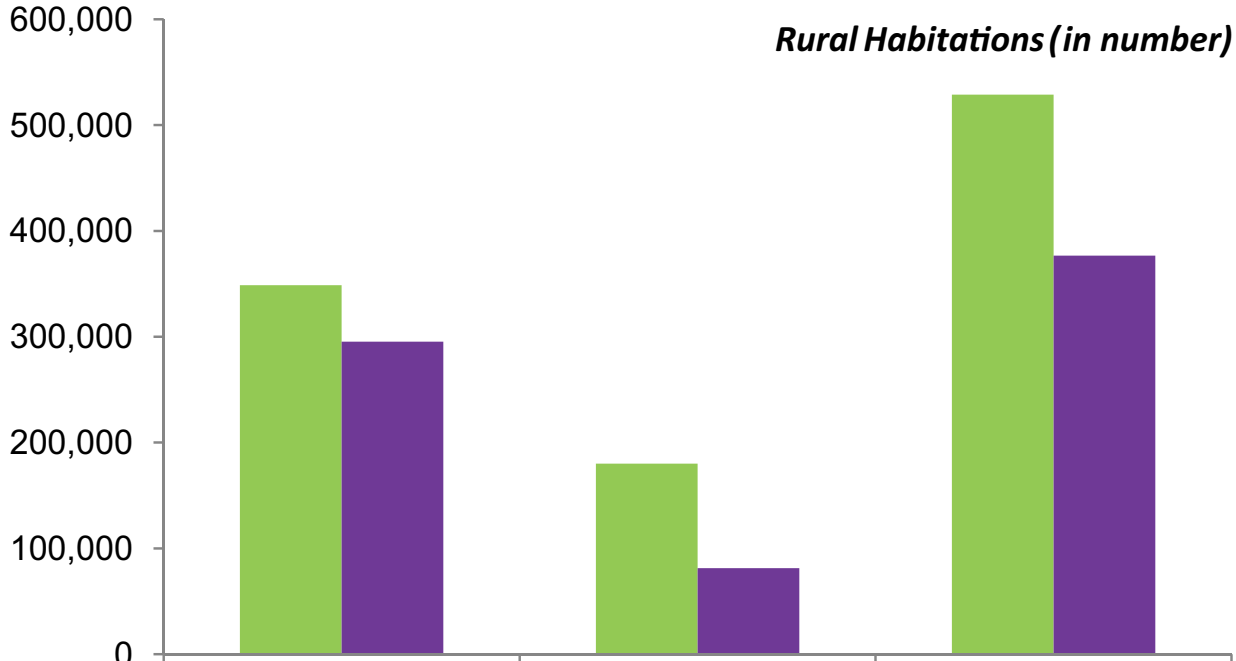

	Partially Covered / Slipped Back	Quality Affected	Total
Target	348,701	179,999	528,700
Achievement	295,262	81,357	376,619

iii) गुणवत्ता प्रभावित बसावटें

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 2,17,000 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का, परियोजनाओं को स्वीकृति देकर, निवारण किया गया है और इनमें से 50,168 बसावटों को चरण–I के दौरान, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण परियोजनाओं के साथ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। 1.4.2009 की स्थिति के अनुसार, भारत निर्माण के चरण–II के आरंभ में, राज्यों ने सूचना दी कि 1,79,999 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें कवर किए जाने हेतु शेष थीं। भारत निर्माण के चरण–II के दौरान इनमें से 81,357 बसावटों को कवर कर लिए जाने की सूचना मिली है। इस प्रकार से भारत निर्माण के चरण–I और चरण–II के दौरान 1,31,525 गुणवत्ता प्रभावित सभी बसावटों को पूरी की गई योजनाओं के साथ कवर कर लिया गया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में वर्ष 2012–13 से दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 43,820 गुणवत्ता प्रभावित बसावटें कवर की गई हैं।

2.1.7 एनआरडीडब्लूपी के तहत वित्तीय कार्य निष्पादन

वर्ष 2005–06 में भारत निर्माण की शुरूआत के समय से एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत किए जा रहे वित्तीय आबंटनों और खर्चों में उल्लेखनीय रूप से बढ़त हुई है।

राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा वित्तीय कार्यनिष्पादन, कार्यक्रम के तहत जारी की गई राशियों के अनुसार है। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और की गई रिलीज इस प्रकार है :

वर्ष 2014–15 के दौरान एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए

9250 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई थी जिसमें से एनआरडीडब्ल्यूपी के लिए राज्यों को 9242.76 करोड़ रू. आवंटित किए गए थे अर्थात् उसका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया गया। वर्ष 2015–16 के लिए 4373 करोड़ रूपये का संशोधित आवंटन उपलब्ध कराया गया। इसमें से 3003.48 करोड़ की राशि को राज्यों को जारी किया गया अर्थात् उसका राष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया गया।

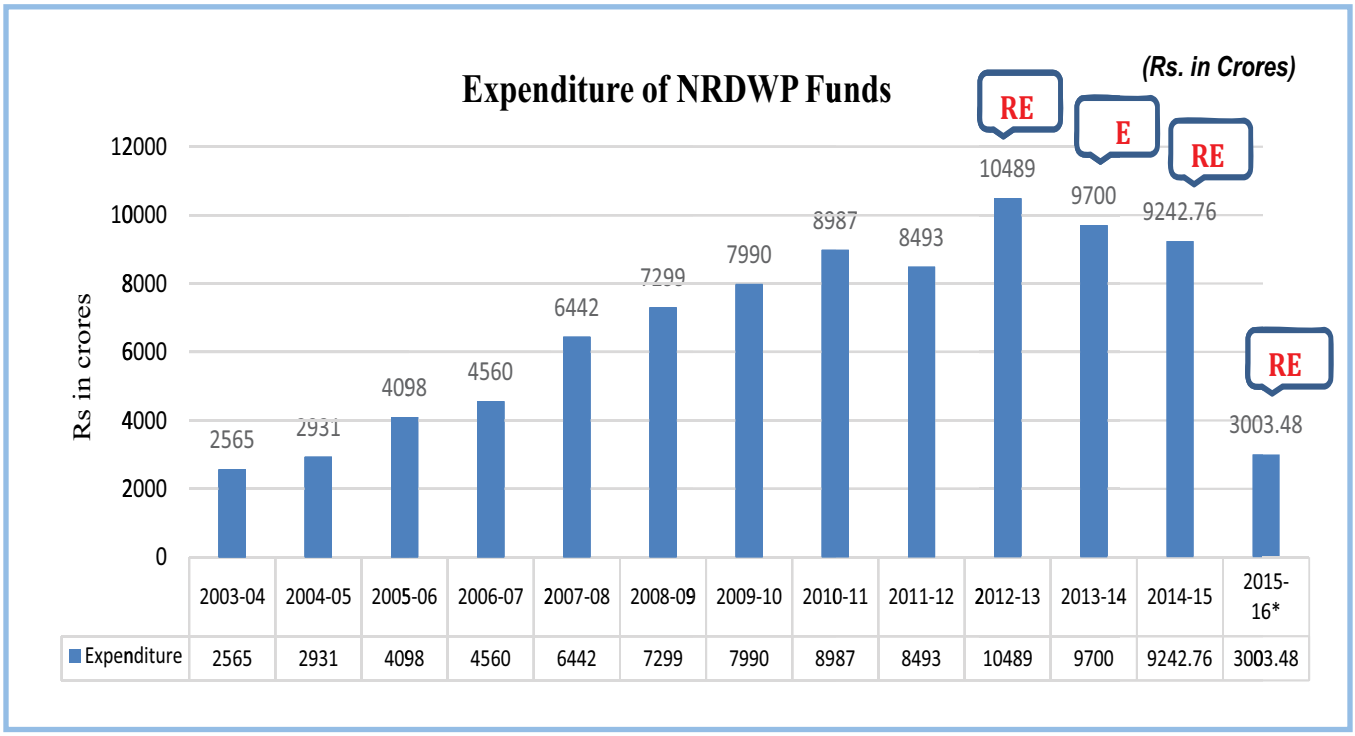

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
Expenditure	2565	2931	4098	4560	6442	7299	7990	8987	8493	10489	9700	9242.76	3003.48

*31.01.2016

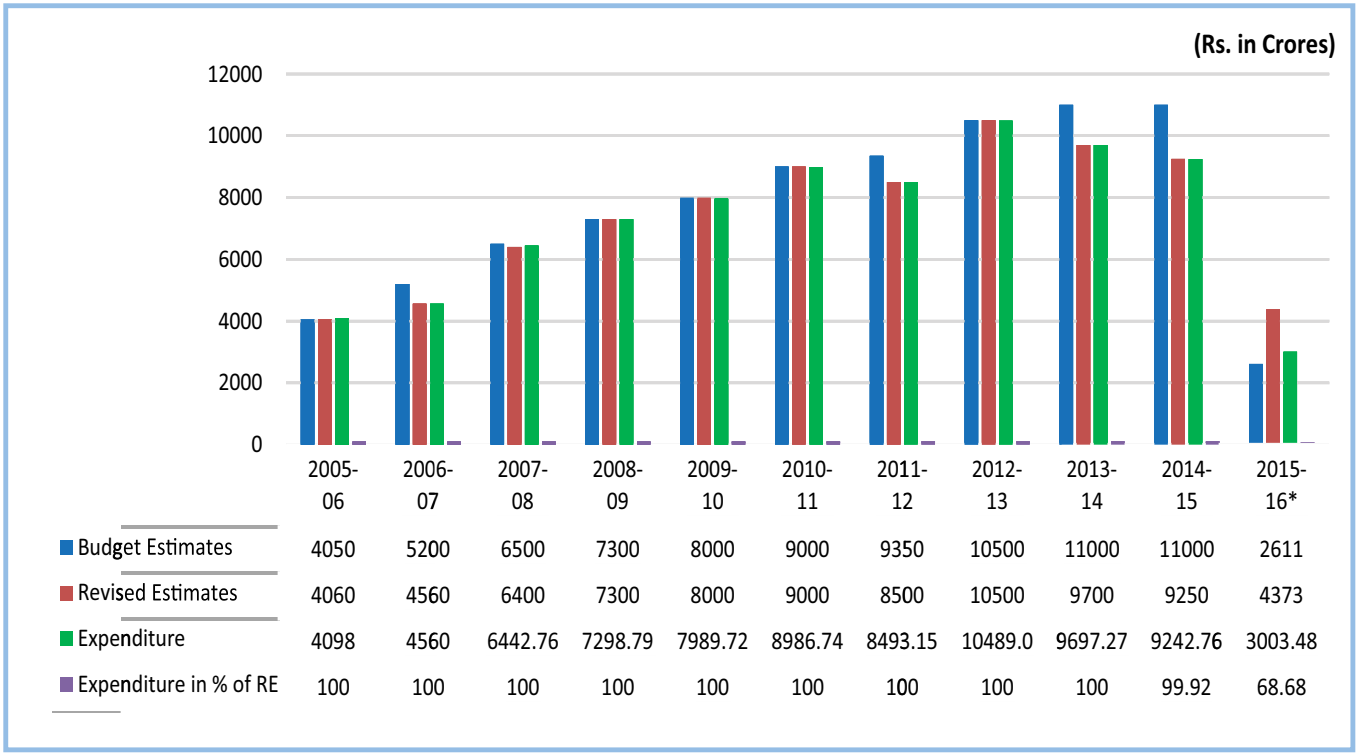

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16*
Budget Estimates	4050	5200	6500	7300	8000	9000	9350	10500	11000	11000	2611
Revised Estimates	4060	4560	6400	7300	8000	9000	8500	10500	9700	9250	4373
Expenditure	4098	4560	6442.76	7298.79	7989.72	8986.74	8493.15	10489.0	9697.27	9242.76	3003.48
Expenditure in % of RE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99.92	68.68

*31.01.2016 तक

राज्यों को सहायता संबंधी गतिविधियों और जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी जैसे मुख्य ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों में सहायता देने हेतु सहायता निधि के तहत वर्ष 2015–16 के दौरान 210.58 करोड़ रू. की राशि का आबंटन किया गया है जिसमें से 124.43 करोड़ रू. जारी किए गए हैं, जबकि जल गुणवत्ता जांच एवं निगरानी के तहत 126.35 करोड़ रू. आबंटित किए गए और 78.33 करोड़ रू. जारी किए गए हैं तथा जल गुणवत्ता के तहत चिन्हित निधियों में से 210.52 करोड़ रू. का आबंटन किया गया है और दिनांक 31.01.2016 तक 119.27 करोड़ रू. जारी किए गए हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में नई पहलें

- देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों, जहां बिजली सुगमता से प्राप्त नहीं है, के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सहयोग से 20000 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों की स्थापना की नई योजना शुरू की गई है। इस प्रयोजन के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों के स्थायित्व घटक का प्रयोग किया जाना है।

- मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता की तकनीकी पहलों पर मंत्रालय को सलाह देने हेतु डॉ0 आर.ए. माशेलकर, पूर्व डीजी, सीएसआईआर की अध्यता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। जनवरी, 2016 तक विशेषज्ञ समिति ने 5 बैठकें की हैं तथा राज्यों को अपनाने हेतु कुछ अभिनव तकनीकों का सुझाव किया है। मंत्रालय ने जुलाई, 2015 में 'ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता पर अभिनव तकनीकों का सार संग्रह' प्रकाशित किया जिसे पेयजल एवं स्वच्छता के प्रभारी राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान रिलीज किया गया।

- अब तक विभिन्न राज्यों द्वारा उनकी स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जल क्षेत्र में 22 तकनीकों और स्वच्छता के क्षेत्र में 8 तकनीकों को चिह्नित किया गया है।

- 2014 से हर वर्ष फरवरी माह में देश भर में ''वाश सप्ताह'' मनाया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में यह 16 मार्च, 2016 से मनाया जाएगा और 22 मार्च, 2016 को विश्व जल दिवस के अवसर पर समाप्त होगा। समारोह में जल के उपयुक्त उपयोग से संबंधित जागरूकता फैलाना तथा सामान्य स्वास्थ्य तथा लोगों के बेहतर जीवन में स्वच्छता के महत्व से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

- प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन : मंत्रालय ने दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं के एनएबीएल प्रत्यायन के लिए एक राष्ट्रीय परिचय कार्यशाला आयोजित की। इसके पश्चात एनएबीएल प्रत्यायन के लिए चिह्नित पेशेवरों को प्रशिक्षण देने के लिए वर्ष 2015–16 के दौरान क्षेत्रीय स्तर की 4 कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

- चिह्नित प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन चरणबद्ध तरीके से होगा। चरण–। के दौरान विभिन्न राज्यों की 30 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रत्यायन के लिए चुना गया है और इन प्रयोगशालाओं के संबद्ध अधिकारियों ने एनएबीएल प्रत्यायन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिए हैं। ज्यादातर चिह्नित प्रयोगशालाओं का पूर्व मूल्यांकन किया जा चुका है और वे एनएबीएल प्रत्यायन के लिए अनुपालनात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे यथा शीघ्र कम से कम एक प्रयोगशाला को एनएबीएल से प्रत्यायित करवाएँ ताकि समय के साथ इस सफलता को अन्य प्रयोगशालाओं में दोहराया जा सके।

- ग्रामीण पेयजल शुद्धीकरण तकनीकों पर राज्यों की सहायता : ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित नवीन तकनीकों से राज्यों को परिचित कराने में उन्हें सहायता देने हेतु मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी अर्थात् जुलाई, 2015 में इंडोवेशन–।।। आयोजित किया। इसके बाद विभिन्न चयनित

संगठनों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया। जल एवं स्वच्छता सेक्टर में तकनीकों के विकास पर चर्चा करने और उन्हें प्रसारित करने का मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराया गया यह एक अद्वितीय मंच है जहाँ इस सेक्टर के सभी हितधारक मिलकर सभी के लाभ हेतु अपने ज्ञान/अनुभव को आपस में बांटते हैं। यह कार्यक्रम का स्थायी कार्यक्रम होगा और मंत्रालय द्वारा नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाएगा।

- देश में फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ पेयजलापूर्ति हेतु स्कीम।

- राज्यों द्वारा संदूषित क्षेत्रों में स्वच्छ जलापूर्ति हेतु बहु ग्राम स्कीम (एमवीएस) (अर्थात् सुदुर स्रोतों से), एमवीएस परियोजनाओं की पूरी होने की अवधि 4–5 वर्ष है, सहित अन्यत्र स्रोतों से पाइप से जलापूर्ति स्कीमों (पीडब्ल्यूएस) के लिए नीतिगत रूप से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) निधियों का उपयोग हो रहा है। एमवीएस को पूरा होने में लगने वाले लंबे समय और अत्यधिक लागत के कारण एमवीएस के कार्यान्वयन और उसके प्रचालन तक की अवधि में ग्रामीण आबादी को अस्वच्छ स्वच्छ जल पीने के जोखिम में नहीं छोड़ा जा सकता है। इस समस्या को तुरंत हल करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और नीति आयोग ने दिनांक 15 दिसंबर, 2015 को सभी प्रमुख जल गुणवत्ता प्रभावित राज्यों के साथ एक संयुक्त वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) किया ताकि आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों की संस्थापना हो।

- नीति आयोग ने आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों वाले सभी राज्यों को एक बारगी केंद्रीय सहायता के रूप में 1000 करोड़ रूपये देने की सिफारिश की है ताकि ग्रामीण लोगों को अंतरिम और अल्पकालिक उपाय के रूप में 8–10 एलपीसीडी पेयजल उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा हो सके। प्रस्तावित अनुदान शत प्रतिशत केंद्रीय सहायता से उपलब्ध कराई जा रही निधियों से पृथक होगा।

- सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों से पाइप से जलापूर्ति स्कीमें (पीडब्ल्यूएसएस) : मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ) के सहयोग से एकीकृत कार्य योजना जिलों (आईएपी) के लिए लक्षित सुदूर बसावटों में 10000 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों से पीडब्ल्यूएसएस स्कीमें चलाया है। इस पहल को सफलता मिली और अब वर्ष 2015–16 में देश के सुदूर क्षेत्रों जहाँ बिजली अब तक नहीं है अथवा अनियमित है, उनमें नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) की सहायता से ऐसी 20000 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंपों से पीडब्ल्यूएसएस चलाने का लक्ष्य रखा गया है।

- आईएसओ 9001:2008 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को दिनांक 27.09.2015 को आईएसओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ जिसमें मंत्रालय का मिशन ''सभी राज्यों के सभी ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता उपलब्ध कराना था।'' मंत्रालय के कार्मिकों को कई चरणों में प्रशिक्षण दिलाया गया और आईएसओ आवश्यकताओं की तर्ज पर गुणवत्ता मैनुअल तैयार किया गया। इस अवार्ड ने यह दर्शाया कि मंत्रालय में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है।

- आईएसओ 9001:2008 के कार्यान्वयन के दौरान अपने कार्यों और गतिविधियों के लिए और कार्यों को बेहतर करने के लिए रास्तों की पहचान करने के लिए और सरकारी तंत्र के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए मंत्रालय मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने में सफल हुआ।

- हैंड पम्पों की बजाए पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर ध्यान संकेन्द्रित किया गया है ताकि भू–जल के विदोहन पर दवाब को कम किया जा सके और जल को पीने योग्य बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके;
- प्रणालियां तैयार करने हेतु 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन करने के मानक से प्रस्तावित ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए सेवा स्तरों में बढ़ोत्तरी करना;
- रासायनिक सन्दूषण और जापानी एन्सेफालाइटिस (जेई)/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (एईएस) प्रभावित क्षेत्रों के लिए निर्धारित वित्तपोषण के साथ जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज पर अधिक बल देना;
- इस लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जिससे कि 2017 तक देश में कम से कम 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को उनके पारिवारिक परिसरों के भीतर अथवा 100 मीटर की परिधि में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जल की सुविधा उपलब्ध हो जिसके तहत मौजूदा 13 प्रतिशत की तुलना में कम से कम 30 प्रतिशत परिवारों के पास वैयक्तिक घरेलू कनैक्शन उपलब्ध हो जाएं;
- स्वच्छ एवं सुस्पष्ट सूचकांकों सहित प्रबंधन हस्तांतरण सूचकांकों (एमडीआई) द्वारा ग्रामीण पेयजलापूर्ति स्कीमों के संबंद्ध में ग्राम पंचायतों को कार्य, निधियाँ, कार्मिक सौंपने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए जिसके आधार पर राज्यों का राष्ट्रीय आबंटन निर्धारित किया जाएगा।
- जीवन चक्र की लागत को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ प्रति व्यक्ति लागत पर सभी पेयजलापूर्ति स्कीमों की रूपरेखा, निर्धारण, अनुमान और कार्यान्वयन किया जाए।
- अपशिष्ट जलशोधन तथा पुनर्चक्रण प्रत्येक जलापूर्ति योजना अथवा परियोजना का अभिन्न अंग होगा; जिसमें आयोजना प्रक्रिया में नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आर एण्ड एम) की अवधारणा लाई जाएगी;
- जल बजटिंग और आपूर्ति एवं मांग दोनों पक्षों की दृष्टि से योजना तैयार करके समेकित जल संसाधन प्रबंधन की भागीदारी योजना बनाना तथा क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना;
- अनु. जाति एवं अनु. जनजाति आबादी बहुल बसावटों के कवरेज हेतु निधियों का निर्धारण करना;
- घरेलू कनैक्शन लेने हेतु परिवारों को प्रोत्साहित करने के लिए आशा कर्मियों को प्रोत्साहन;
- राज्यों को मार्च, 2017 तक 20,000 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करने के लिए कहा गया है।

2.1.8 एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत वास्तविक कार्य निष्पादन

वर्ष 2014–15 के लिए, आंशिक रूप से कवर 114694 बसावटों और गुणवत्ता प्रभावित 22562 बसावटों के कवरेज के लक्ष्य की तुलना में, उपलब्धि 120538 आंशिक रूप से कवर तथा 15579 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज था। वर्ष 2015–16 (जनवरी 2016 तक) आंशिक रूप से कवर 44467 बसावटों और 14136 गुणवत्ता प्रभावित बसावटों के कवरेज की तुलना में, उपलब्धि आंशिक रूप से कवर 26220 बसावटों तथा गुणवत्ता प्रभावित 5722 बसावटों का कवरेज थी।

राज्य–वार ब्यौरा अनुलग्नक ।। (क), ।। (ख), ।।। (क) तथा ।। (ख) में दिया गया है।

2.1.9 बढ़ती अपेक्षाएं : लक्ष्य

मंत्रालय का लक्ष्य ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में बेहतर सेवा सुपुर्दगी और मानकों के लिए ग्रामीण लोगों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं को पूरा करने में राज्यों की सहायता करना है जैसाकि नीचे दी गई जल सीढ़ी में दर्शाया गया है

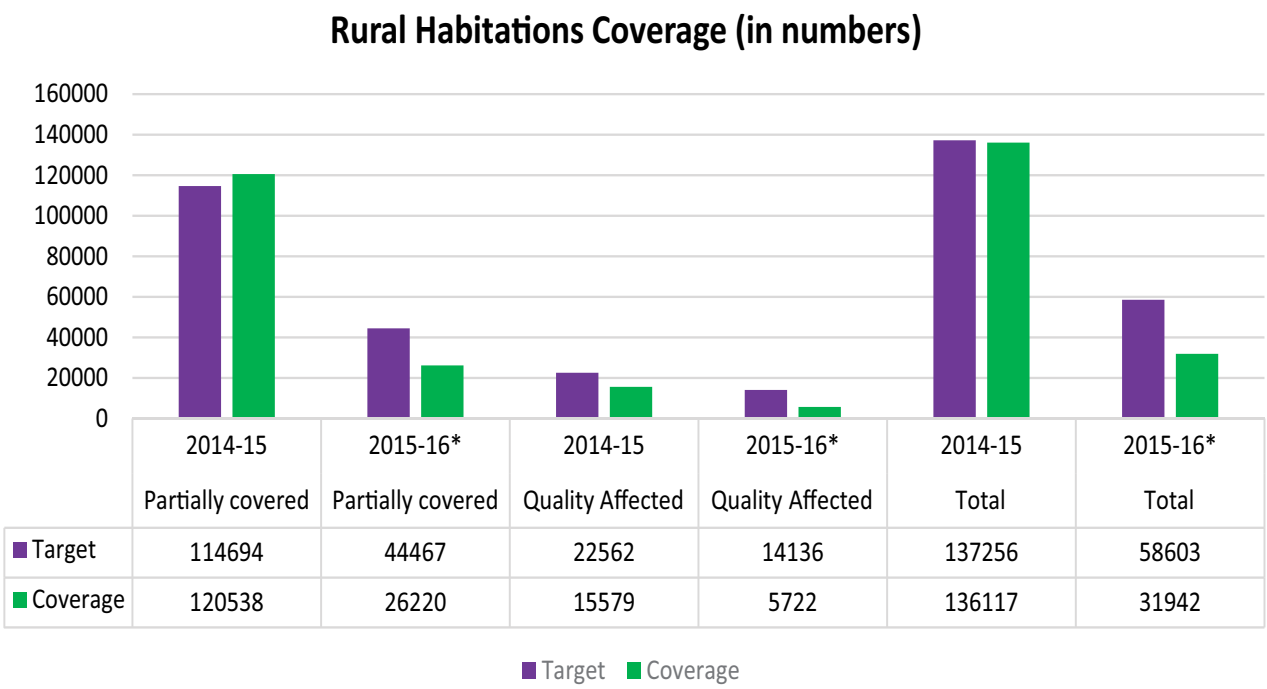

	2014-15 Partially covered	2015-16* Partially covered	2014-15 Quality Affected	2015-16* Quality Affected	2014-15 Total	2015-16* Total
Target	114694	44467	22562	14136	137256	58603
Coverage	120538	26220	15579	5722	136117	31942

बढ़ती अपेक्षाएं सीढ़ी की तरह बढ़ना

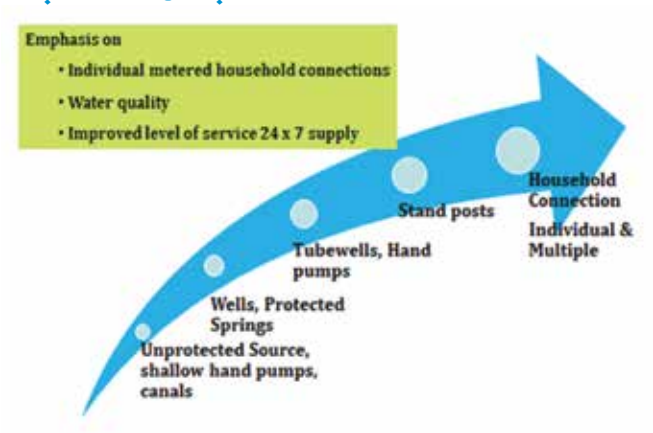

2.1.10 वार्षिक कार्य योजनाएँ (एएपी): 2015–16 के लिए योजना तैयार करना

वर्ष 2010–11 से, वाषिक कार्ययोजना (एएपी) पर प्रत्येक राज्य के साथ राज्य–वार विचार–विमर्श किए गए। इस प्रक्रिया में राज्यों ने वर्ष के दौरान उनके द्वारा ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में किए जाने हेतु प्रस्तावित गतिविधियों, और उन प्रस्तावों में लगने वाली वित्तीय लागतों के संबंध में विस्तृत विवरण देते हुए अपनी वार्षिक कार्य योजनाएँ तैयार की हैं। वर्ष 2015–16 हेतु राज्य की वार्षिक कार्य योजनाओं पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के बीच फरवरी–मार्च, 2015 के बीच विस्तृत विचार विमर्श किए गए। वर्ष 2012–13 से वार्षिक कार्ययोजना हेतु ऑनलाइन फॉर्मेट पूरी तरह तैयार कर लिया गया और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकृत किया गया था। इससे राज्यों का कार्ययोजनाओं के प्रति विकेन्द्रीकृत नजरिया बना है। विचार विमर्शों के बाद वार्षिक कार्य योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया गया एवं कार्ययोजनाओं की पहचान की गई। राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं के तैयार होने के पश्चात् और लक्षित बसावटों को आईएमआईएस पर ऑनलाइन चिन्हित कर लिए जाने के पश्चात् राज्यों को एनआरडीडब्लूपी के तहत निधियां जारी की गई थीं। इस वार्षिक कार्य योजना के आधार पर ही राज्यों ने वर्ष के दौरान एनआरडीडब्लूपी के तहत गतिविधियां शुरू की हैं। एनआरडीडब्लूपी हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं को तैयार करने, उन पर विचार विमर्श करने और उनका कार्यान्वयन करने की संपूर्ण प्रक्रिया से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही निधियों को उचित ढंग से लक्ष्य–बद्ध करने और उनकी मॉनीटरिंग करने हेतु एक रूपरेखा उभरकर सामने आई है। वार्षिक कार्य योजना सहित राज्यों द्वारा किए जा रहे कार्यों की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर ऑनलाइन

रिपोर्टिंग से देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एनआरडीडब्लूपी की प्रभावशीलता में उल्लेखनीय रूप से मजबूती आई है।

2.1.11 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी), जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों (एलडब्ल्यूई) तथा अल्पसंख्यक संकेन्द्रित जिलों के लिए योजना बनाना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान

एनआरडीडब्ल्यूपी में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आबादी के कवरेज पर फोकस सुनिश्चित करने के विशेष प्रावधान हैं।एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटन के लिए मानदण्ड में राज्य की ग्रामीण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए 10 प्रतिशत वैटेज की व्यवस्था है। अतः अनु. जाति तथा अनु. जनजाति की अधिक आबादी वाले राज्य एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का अधिक आवंटन प्राप्त करते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनु.जाति और अनु. जनजाति संकेद्रित क्षेत्रों में राज्यों द्वारा पर्याप्त निधियों का उपयोग किया जाता है, वर्ष 2015–2016 के लिए, अनु.जातियों के लिए व्यय हेतु 962 करोड़ रू. (4373 करोड़ रू. के कुल आवंटन का 22 प्रतिशत) तथा अनु. जनजातियों के लिए व्यय हेतु 437 करोड़ रू. (4373 करोड़ रू. के कुल आवंटन का 10 प्रतिशत) निर्धारित किया गया है। इसमें से, अनु. जाति और अनु. जनजाति आबादी के कवरेज के लिए राज्यों को 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार 963.81 करोड़ रू. की राशि जारी कर दी गई है।

मंत्रालय की समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) के जरिए अनु. जाति और अनु. जनजाति संकेन्द्रित बसावटों के कवरेज की प्रगति की निगरानी की जा रही है। इस संबंध में मंत्रालय की वेबसाइट में तथा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली में उपलब्धि के ऑकड़े प्राप्त करने हेतु संशोधन किए गए हैं।

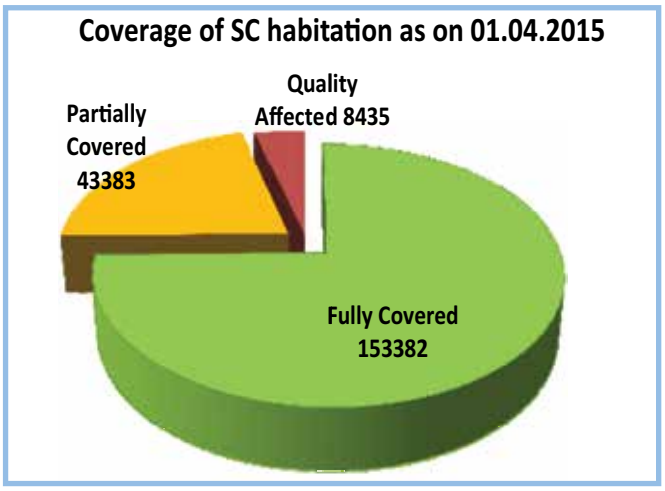

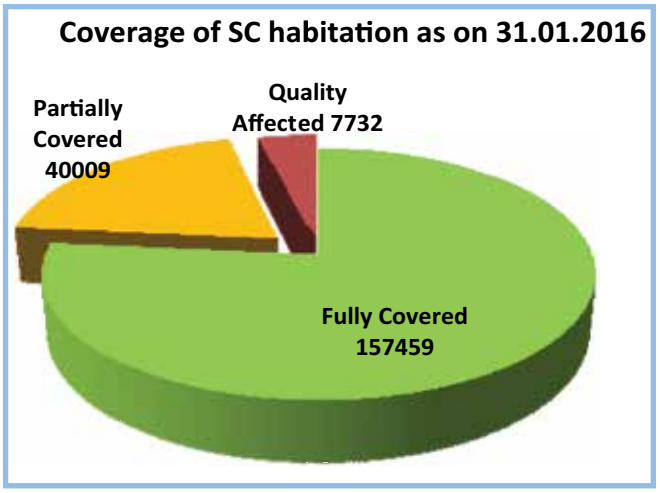

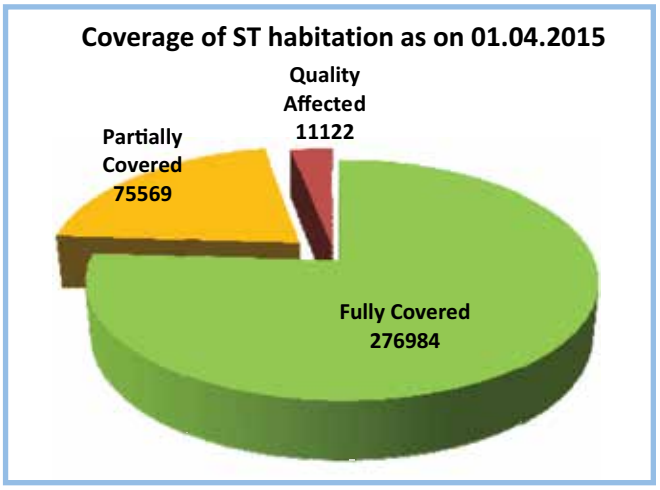

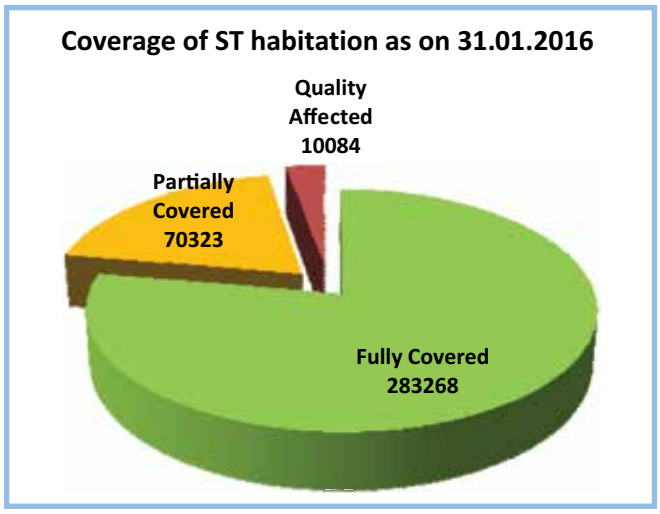

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में अनु. जाति संकेन्द्रित कुल 205200 बसावटों में से 153382 बसावटें पूर्णतः कवर हैं, 43383 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं तथा 8435 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। 2015–16 में, 9316 अनुसूचित जाति बहुल बसावटों का कवरेज हेतु लक्ष्य रखा गया था तथा दिनांक 31.01.2016 तक 3717 बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के साथ कवर किया गया।

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार अनु. जनजाति बहुलता वाली कुल 363675 बसावटों में से 276984 बसावटें पूर्णतः कवर हैं, 75569 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं और 11122 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। 2015–16 में अनु. जनजाति संकेद्रित 17439 बसावटों के कवरेज के लक्ष्य की तुलना में, दिनांक 31.01.2016 तक 5700 बसावटों को कवर कर लिया गया है।

अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान

अल्पसंख्यक संकेद्रित जिलों में व्यय के लिए एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों का कोई भी निर्धारण नहीं किया जाता है, फिर भी, योजना प्रक्रिया में इस प्रकार की बसावटों के कवरेज पर ध्यान दिया जाता है।

01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक संकेद्रित कुल 235525 बसावटों में से 151838 बसावटें पूर्णत कवर हैं, 72610 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं और 11077 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं। वर्ष 2015–16 में 10676 बसावटों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया था और दिनांक 31.01.2016 तक 2852 बसावटों को पीने योग्य पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध कराई गई।

वामपंथ उग्रवाद से प्रभावित जिलों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

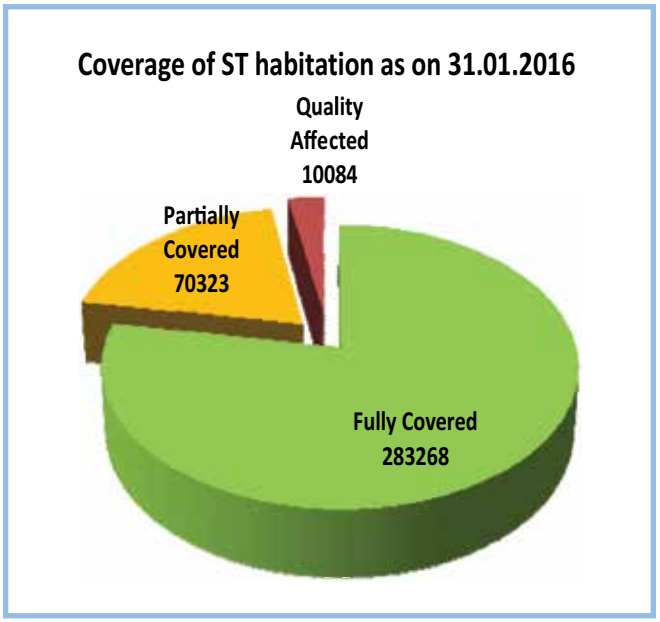

ऐसे 88 जिले हैं जो वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों के रूप में वर्गीकृत हैं तथा समेकित कार्य योजना (आईएपी) के अंतर्गत आते हैं। जल आपूर्ति परियोजनाओं सहित विकास परक योजनाएं शुरू करने के लिए इन जिलों के जिला प्रशासन को आईएपी के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।इसके अलावा, एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, राज्य सरकारें इन जिलों में अपनी वार्षिक कार्य योजनाओं में ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।

01.04.2015 की स्थिति के अनुसार, देश में 16.96 लाख ग्रामीण बसावटों में से 343099 बसावटें आईएपी जिलों में हैं। इनमें से 2,48,609 बसावटें (72.45%) पूर्णतः कवर की गई हैं। 88092 बसावटें (25.67%) आंशिक रूप से कवर हैं। इसके अलावा, 6398 बसावटें (1.86%) गुणवत्ता प्रभावित हैं।

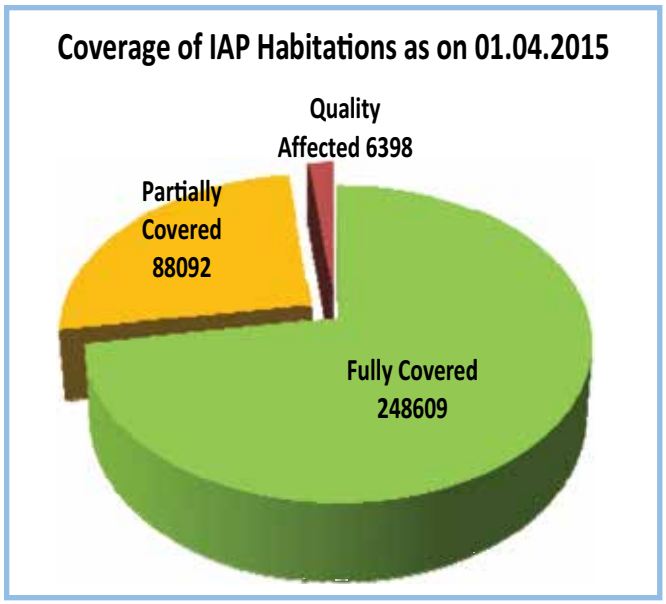

वर्ष 2015–16 में, एनआरडीडब्लूपी के अंतर्गत 17506 बसावटों को कवर करने के लक्ष्य के साथ राज्य सरकारों द्वारा आईएपी जिलों को 413.85 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। दिनांक 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार, 6487 बसावटें कवर की गई हैं।

2.1.12 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर ऊर्जा द्वारा चालित दोहरे पम्प

मंत्रालय ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के साथ तालमेल बैठाकर देश के 88 समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में सौर ऊर्जा द्वारा चालित 10,000 दोहरे पम्पों की संस्थापना करने का निर्णय लिया है। कुल इकाई की लागत लगभग 5.1 लाख रुपए है। एमडीडब्लूएस, एमएनआरई और राज्यों के बीच निधि भागीदारी पैटर्न क्रमशः 40 (एनसीईएफ) :30 (एनआरडीडब्ल्यूपी केंद्रीय) :30 (एनआरडीडब्ल्यूपी राज्य) के अनुपात में है। सौर ऊर्जा द्वारा चलने वाले दोहरे पम्प स्कीम के तहत एक 900 वॉट की क्षमता का सौर ऊर्जा आधारित सबमर्सिबल पम्प, बोरवैल में लगाया गया है जो कि हैंडपम्प के साथ भी जुड़ा हुआ है। पम्प किया गया पानी 5000 लिटर के टैंक में जमा किया जाता है जिसका उपयोग प्रत्येक घर में नलों के द्वारा पाइप द्वारा जलापूर्ति उपलब्ध कराने के लिए किया जाता है।

यह स्कीम 250 लोगों की पेयजल की आवश्यकता को पूरा करने में पर्याप्त है। सौर ऊर्जा द्वारा चालित पम्प में किसी प्रकार की समस्या आने पर हैंडपम्प को उसी बोरवैल में विकल्प के रूप में रखा जाता है ताकि आबादी को पेयजल की अबाधित उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। वर्ष 2014–15 में कुल 3726 बसावटों को कवर किया है और 2015–16 के दौरान 31.01.2016 की स्थिति के अनुसार, 1042 बसावटों को राज्यों द्वारा कवर किए जाने की सूचना दी गई है।

2.1.13 पूर्वोत्तर राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी की प्रगति

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत, इन राज्यों को राष्ट्रीय आवंटन का 10 प्रतिशत उपलब्ध कराकर पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थापना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2015–16 में, पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए 437.30 करोड़ रू. उपलब्ध कराए गए हैं।

महाराष्ट्र में संस्थापित सौर ऊर्जा द्वारा चालित दोहरा पंप

राज्य	कुल ग्रामीण बसावटें	कवरेज की स्थिति (01.04.2015 के अनुसार)			लक्ष्य 2015–16		31.01.2016 की स्थिति के अनुसार उपलब्धि	
		पूर्णत कवर बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें	आंशिक रूप से कवर बसावटें	गुणवत्ता प्रभावित बसावटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अरूणाचल प्रदेश	7730	2559	5089	82	197	26	73	5
असम	89910	50451	30482	8977	3112	2476	481	229
मणिपुर	2870	2134	736	0	77	0	29	0
मेघालय	10487	1381	9075	31	179	4	29	0
मिजोरम	760	318	442	0	9	0	4	0
नागालैण्ड	1530	566	898	66	0	0	14	3
सिक्किम	2084	653	1431	0	74	0	6	0
त्रिपुरा	8723	3665	508	4550	34	1180	23	254
कुल	**124094**	**61727**	**48661**	**13706**	**3682**	**3686**	**659**	**491**

2.2 जल गुणवत्ता कार्यक्रम (डब्ल्यूक्यू)

2.2.1 पेयजल गुणवत्ता हेतु अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना (आईसीडीडब्लूक्यू)

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने जोका, डायमण्ड हार्बर रोड, कोलकाता, में एक अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र ''इंटरनेशनल सेंटर फॉर ड्रिकिंग वॉटर क्वालिटी'' (आईसीडीडब्लूक्यू) की स्थापना कर रहा है। आईसीडीडब्लूक्यू को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में नई दिल्ली में पंजीकृत कर लिया गया है। आईसीडीडब्लूक्यू, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के संपूर्ण मार्गदर्शन के तहत पूर्ण रूप से वित्तपोषित एवं संचालित होगा। भारत सरकार द्व ारा प्रस्ताव को वर्ष 2013 में अनुमोदित किया गया है।

सोसाइटी का मूलभूत उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और सामान्यतः ग्रामीण पेयजल क्षेत्र के अन्तर्गत नीतिगत स्तर पर निर्णय लेने हेतु इनपुट उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड और अन्य बढ़ते हुए संदूषणों पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ–साथ भारत एवं भारत से बाहर पेयजल गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की पहचान करने, उन समस्याओं को कम करने और इनका प्रबंधन करने के क्षेत्र में कार्य करना है। केन्द्र का ध्यान मुख्य रूप से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, विभिन्न शोधन प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करना, संबंधित प्रशिक्षण देने, सभी संबंधित संगठनों के साथ नेटवर्किंग करने, पेयजल गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर स्नातक और परास्नातक अध्ययनों से संबंधित कार्य करने आदि पर होगा। यह केन्द्र भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ–साथ शहरी क्षेत्रों को भी अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराएगा। यह केन्द्र, मांग करने पर, अन्य देशों को भी सहायता पहुँचाएगा।

आईसीडीडब्ल्यूक्यू के कार्यकारी परिशद (ईसी) ने दिनाँक 24 अगस्त, 2015 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में सीपीडब्यूडी, कोलकाता को आईसीडीडब्ल्यूक्यू की संपूर्ण रुपरेखा, निर्माण और विकास की गतिविधियों को सौंपने का निर्णय लिया। आईसीडीडब्ल्यूक्यू चरण–1 के कार्यों की समाप्ति के बाद कोलकाता में अपना कार्य शुरु करेगा। तथापि, आईसीडीडब्ल्यूक्यू नई दिल्ली में निदेशकों सहित 6 पदों में प्रारंभिक भर्ती के बाद वर्ष 2016–17 में ही अपना कार्य शुरु कर देगा। हाल ही में मंत्रालय ने डीओई (व्यय विभाग)

से आईसीडीडब्ल्यूक्यू में अन्य पदों के साथ–साथ निदेशक के पद सहित कुल छः पदों के प्रारंभिक सृजन की मंजूरी प्राप्त की है।

2.2.2 देश में फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण बसावटों में सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ पेयजलापूर्ति हेतु स्कीम।

राज्यों द्वारा जल में संदूषण की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों में ''स्वच्छ'' जल की आपूर्ति के लिए उपलब्ध कराए गए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्लूपी) निधियों का एक नीति के रूप में विशेष रूप से बहु–ग्रामीण स्कीमें (एमवीएस) शामिल करते हुए, वैकल्पिक स्वच्छ पाइप द्वारा जलापूर्ति (पीडब्लूएस) स्कीमों के लिए उपयोग किया जाता है (अर्थात् स्वच्छ स्रोतों से अत्यन्त दूर), ऐसी एमवीएस परियोजनाओं की निर्माण–पूर्व तैयारी की अवधि 4 से 5 वर्षों के लगभग होती है चूंकि ग्रामीणों को अंतरिम अवधि में अस्वच्छ पेयजल का सेवन करने के कारण जोखिम में नहीं रखा जा सकता, साथ ही साथ इस प्रकार की बहु–ग्रामीण स्कीमों, जिसमें दूर स्थित स्रोतों से स्वच्छ पानी लाया जाता है, के तहत इसमें शामिल बढ़ी निधियों को देखते हुए ऐसी स्कीमों को 4 से 5 वर्षों की समय–सीमा के भीतर तय नहीं किया जा सकता और न ही पूरा किया जा सकता है। आर्सेनिक तथा फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों में अल्पकालिक उपाय के रूप में सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों को समस्या के निपटान हेतु तत्काल संस्थापित करने के उद्देश्य से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से दिनाँक 15 दिसंबर, 2015 को सभी प्रमुख जल गुणवत्ता प्रभावित राज्यों के साथ वीडियो कांफेरेंस आयोजित किया। नीति आयोग आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों वाली सभी राज्यो में एक बार की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रुप में 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने वाला है ताकि अंतरिम और अल्पकालिक उपाय के रूप में ग्रामीण लोगों को कम से कम 8–10 एलपीसीडी उपलब्ध कराने का उद्देश्य पूरा हो सके। प्रस्तावित अनुदान से शत–प्रतिशत केंद्रीय सहायता के रुप में अतिरिक्त निधियाँ उपलब्ध कराएगा।

प्रचालन एवं रख–रखाव (ओ एंड एम) के 10 वर्ष के प्रावधान के साथ सामुदायिक पेयजल शुद्धीकरण संयंत्रों की संस्थापना के माध्यम से 8–10 एलपीसीडी (मात्र पीने और खाना पकाने के लिए) की दर से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर समयबद्ध तरीके से जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्या के समाधान हेतु प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जाएगा।

मंत्रालय को सूचना प्राप्त हुई है कि एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत दिनाँक 31.12.2015 तक ज्यादातर आर.ओ तकनीक का प्रयोग करके 7368 सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों की संस्थापना की गई है। सबसे अधिक आर.ओ संयंत्र पंजाब राज्य में (1824), उसके बाद कर्नाटक(1502), मध्य प्रदेश (1278) और तेलंगाना (938) में संस्थापित किए गए हैं। इन संयंत्रों के कुछ चित्र नीचे दिए गए है : –

2.2.3 जल गुणवत्ता निगरानी और जांच

ग्रामीण समुदाय में स्वच्छ और साफ पेयजल के प्रति समझ का विकास करने और गुण–दोष विवेचन करने के लिए तथा उन्हें पेयजल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जॉच करने में सक्षम बनाने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता निगरानी और जॉच कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी), फरवरी, 2006 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित द्वारा ग्रामीण समुदायों को सशक्त करना है:

(i) खराब पेयजल गुणवत्ता के कारण होने वाले स्वास्थ्य जोखिम, स्वास्थ्य, स्वच्छता सर्वेक्षण, पर्यावरणीय स्वच्छता के महत्व, प्रणालियों के स्वामित्व की समस्या को हल आदि के बारे में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता सृजन।

(ii) प्रत्येक ग्राम पंचायत में जमीनी स्तर के पॉच कर्मियों को प्रशिक्षण, जो आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कर्मी, विज्ञान अध्यापक, हाई स्कूल की छात्रा,

पंजाब राज्य के एसबीएस नागर जिले में सरोया ब्लॉक, चनौकी गाँव में सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्रों का चित्र

पश्चिमी बंगाल राज्य में नाडिया जिले में उमापुर, फूलिया ब्लॉक–शांतिपुर में संस्थापि, नैनो तकनीक पर आधारित आर्सेनिक निपटान हेतु संयंत्र

महाराष्ट्र राज्य, जिला चंद्रपुर, डोंगरगाँव और छत्तीसगढ़ राज्य, दुर्ग जिला, उसखारा गांव में सौर ऊर्जा पर आधारित विलवीकरण संयंत्र

पंचायत सदस्य, सेना के सेवा निवृत कर्मचारी आदि हो सकते हैं।

(iii) इसके अलावा, 5 ग्राम पंचायत कर्मियों, राज्य स्तर पर दो व्यक्तियों, जिला स्तर पर 4 कर्मियों और ब्लॉक स्तर पर 5 व्यक्तियों को भी प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

(iv) प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए जल जॉच किट का प्रावधान।

इन सभी उद्देश्यों के लिए, राज्यों को शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता दी गई है। इस कार्यक्रम की शुरूआत से लेकर 31.12.2015 तक राज्यों द्वारा सूचित ऑनलाइन आंकड़ों के अनुसार, अब तक 4.83 लाख रासायनिक किटों, 1185.99 लाख बैक्टीरियोलॉजिकल वायल खरीदे गए हैं/ उनकी आपूर्ति की गई है। इन किटों का उपयोग करते हुए प्रयोगशालाओं में 41.73 लाख ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जॉच की गई तथा राज्यों द्वारा आईएमआईएस पर सूचित ऑनलाइन डाटा के अनुसार विभिन्न राज्यों में 31.13 लाख व्यक्तियों (ग्राम पंचायतों में जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे लोग, ब्लॉक और जिला अधिकारियों को शमिल करते हुए) को जल गुणवत्ता जॉच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इससे पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के पर्यवेक्षण में सहायता मिलती है। दिनांक 1.4.2009 से एनआरडीडब्ल्यूक्यूएम एंड एसपी को एनआरडीडब्ल्यूपी में मिला दिया गया है। 2011–12 से जल गुणवत्ता निगरानी एवं जॉच का एक अलग घटक सृजित किया गया है जिसके लिए 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियॉ आवंटित की जाती हैं। वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं (31/12/2015 तक):–

वितरित रासायनिक एफटीके की संख्या	= 20877
वितरित/परिष्कृत सूक्ष्म जैविकीय वायलों की संख्या	= 7.44लाख
प्रशिक्षित निचले स्तर के कर्मी	= 1.64 लाख
किए गए स्वच्छता सर्वेक्षणों की संख्या	= 186196
एफटीके का प्रयोग करते हुए जॉच किए गए स्रोतों की संख्या	= 6.03 लाख

2.2.4 जल गुणवत्ता जॉच प्रयोगशालाऐं

यह मंत्रालय राज्यों में जिला स्तरीय तथा उप–जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना और उन्नयन में भी सहायता करता है। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 3 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी निधियों (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता), अपने स्वयं के संसाधनों तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों का प्रयोग करते हुए 25 राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं, 732 जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं, 1,367 ब्लॉक स्तरीय/उप प्रभागीय प्रयोगशालाएं और 83 चल जॉच स्थापित की हैं। मंत्रालय की आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार दिनॉक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार इन प्रयोगशालाओं में वर्ष 2015–16 के दौरान 23.55 लाख जल नमूनों की जॉच की गई है।

2.2.5 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्या का समाधान करने में उपलब्धियाँ

वर्ष 2015–16 में राज्यों ने 14254 जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की समस्याओं को हल करने का लक्ष्य रखा था जिसकी तुलना में दिनॉक 31.12.2015

क्षेत्र जॉच किट (एफटीके) का प्रयोग करके जल गुणवत्ता जॉच का प्रदर्शन और आंध्र प्रदेश राज्य में कुछ गांव वालों द्वारा उसका उपयोग

तक 4436 बसावटों को कवर किया जा चुका है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि अल्पकालिक उपाय (सामुदायिक जल शुद्धीकरण संयंत्र) अथवा दीर्घकालिक उपाय (पाइप से जलापूर्ति स्कीम) के कार्यान्वयन के माध्यम से मार्च 2017 तक सभी शेष आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बसावटों को कवर करें। कई राज्यों ने गुणवत्ता प्रभावित बसावटों को कवर करते हुए ग्रामीण बसावटों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मेगा जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाई है। तेलंगाना में तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जो फ्लोराइड प्रभावित बसावटों को कवर करेगी। पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश राज्य भी मेगा जलापूर्ति कार्यान्वित कर रहे हैं। मेगा जलापूर्ति परियोजनाओं के कुछ चित्रः–

तेलंगाना राज्य में खम्मम जिले में जल जाँच प्रयोगशाला का एक दश्य

प्रयोगशाला के कार्यों के परीक्षण हेतु तेलंगाना राज्य में रंगारेड्डी जिले में शाहबाद में संयुक्त सचिव (जल) का दौरा

गुजरात राज्य में पेयजल जाँच प्रयोगशाला का एक दश्य

पंजाब राज्य में मोहाली में एडवांस जल जाँच प्रयोगशाला में संयुक्त सचिव जल का दौराः – इंडक्टिव कपल्ड प्लास्मा – मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री (आईसीपी–एम एस) के कार्यों का प्रदर्शन

तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना का कार्यान्वयनः मेडक जिले में जगदेवपुर मंडल के लिंगारेड्डीपल्ली में ओएचएसआर (ओवरसीस सर्विस रिजरवायर) का निर्माण कार्य और तेलंगाना में कनकगिरी पहाड़ियों पर वायरा से पाइप बिछाया जाना।

2.2.6 हाइड्रो-जियो मॉर्फोलॉजिकल मानचित्र

इस मंत्रालय ने राज्यों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र, हैदराबाद के माध्यम से राज्यों की मदद करने हेतु 1:50,000 स्केल पर 4,898 मानचित्रों को कवर करते हुए समूचे देश के लिए हाइड्रो–जियोमार्फोलाजीकल मानचित्र (जल गुणवत्ता लेअर के बगैर संभावित मानचित्र) तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। इन मानचित्रों के इस्तेमाल से, राज्य जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए भू–जल स्रोतों के लिए स्थानों की पहचान तथा मौजूदा जल आपूर्ति स्रोतों के निरंतर उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए पुनर्भरण ढांचों के निर्माण के लिए स्थान की पहचान कर सकते हैं।

ये भू–जल संभावित मानचित्र राज्यों को सौंप दिए गए गए हैं जिससे कि इनकी सहायता से राज्यों में कृत्रिम भू–जल पुनर्भण्डारण के लिए उत्पादन कार्य में सहायक

आर्सेनिक प्रभावित बसावटों के लिए पश्चिमी बंगाल के दक्षिणी 24 परगना जिले में फलता–मथुरापुर क्षेत्र में सतही जल आधारित मेगा स्कीम।

तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना का कार्यान्वयनः मेडक जिले में जगदेवपुर मंडल के लिंगारेड्डीपल्ली में ओएचएसआर (ओवरसीस सर्विस रिजरवायर) का निर्माण कार्य और तेलंगाना में कनकगिरी पहाड़ियों पर वायरा से पाइप बिछाया जाना।

तेलंगाना जलापूर्ति ग्रिड परियोजना : तेलंगाना राज्य में अदीलाबाद और अरमूर में प्रांरभिक ढांचों का निर्माण कार्य।

कुओं और स्थाई ढांचों के लिए सही स्थलों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। भू–भौतिकी अध्ययन के साथ इन मानचित्रों के उपयोग से बोरवैल/ट्यूबवैलों के असफल होने की दर में उल्लेखनीय रूप से कमी आयेगी और साथ ही इससे कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक संदूशकों के यथास्थान मिल जाने में भी सहायता मिलेगी। 10 राज्यों में एचजीएम मानचित्रों जिन्हें एक दशक पहले चरण –। और चरण –।। की गतिविधियों के दौरान अद्यतन किया गया था, को भी अद्यतन किया जा रहा है। राज्यों को मानसून पूर्व और मानसून के पश्चात् के मौसमों के दौरान प्रत्येक जिले में यादृच्छिक किन्तु एक समान आधार पर जल गुणवत्ता डाटा एकत्रित करने की सलाह दी गई है और इसे इस डाटा को उनके जीपीएस संयोजकों और ट्यूबवैल की गहराई के साथ भेजने को कहा गया है जिससे कि भू–जल गुणवत्ता जीआईएस परत का एचजीएम मानचित्रों में समावेशन किया जा सके। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और गोवा भूजल गुणवत्ता मैपिंग के आगामी चरणों पर हैं (अर्थात् एचजीएम नक्शों में भू–जल गुणवत्ता लेयर डाल रहे हैं) जबकि अन्य राज्य

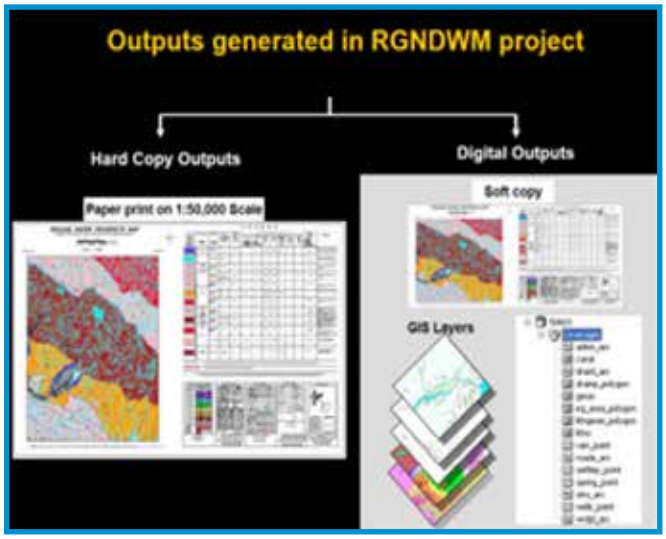

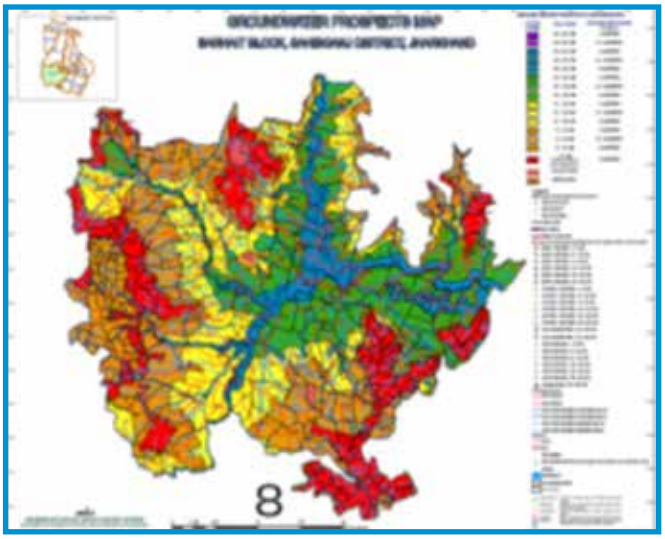

जीआईएस लेयर (भौगोलिक सूचना प्रणाली) लेयरों का निर्माण और झारखंड राज्य के बरहैत ब्लॉक के एचजीएम नक्शे का दृश्य

एनआरएससी को अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने एक्वीफायर मैपिंग और प्रबंधन में जीयो–स्पेशियल तकनीक का संयुक्त रूप से उपयोग करने हेतु दिनॉक 21 सितंबर, 2015 को केंद्रीय भू–जल बोर्ड और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

2.2.7 ग्रामीण पेयजल शुद्धीकरण तकनीकों पर राज्यों के लिए सहायता

- मंत्रालय ने ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता के क्षेत्र में अभिनव तकनीकों की सिफारिश हेतु पद्म विभूषण प्रोफेसर आर०ए० माशेलकर, पूर्व डीजी–सीएसआईआर और भारत सरकार के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की है। मंत्रालय ने जुलाई 2015 में 'ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता पर अभिनव तकनीकों का सार–संग्रह' प्रकाशित किया जिसे पेयजल एवं स्वच्छता के प्रभारी राज्य मंत्री के सम्मेलन के दौरान जारी किया गया। सार–संग्रह में उल्लिखित तकनीकों की पुनरीक्षा प्रोफेसर आर०ए० माशेलकर, पूर्व डीजी–सीएसआईआर भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई थी।
- ग्रामीण पेजयल एवं स्वच्छता से संबंधित नवीनतम तकनीकों से राज्यों को परिचित कराने के लिए मंत्रालय ने जुलाई, 2015 में प्रदर्शनी इंडोवेशन–।।। आयोजित किया। इस कार्यक्रम के बाद विभिन्न चयनित संगठनों द्वारा प्रस्तुतीकरण दिया गया।

2.2.8 जेई/एईएस का न्यूनीकरण

भारत के 17 राज्यों में 171 स्थानिक भारी जिलों से जेई/एईएस की सूचना मिली थी। जापानी एन्सेफलाइटिस/एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिण्ड्रोम (जेई/एईएस) के निवारण और नियंत्रण संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों असम, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 60 उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस जिलों की पहचान की थी जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	उच्च प्राथमिकता वाले जेई/एईएस जिलों की संख्या
1	असम	10
2	बिहार	15
3	तमिलनाडु	5
4	उत्तर प्रदेश	20
5	पश्चिम बंगाल	10
	कुल	60

माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता द्वारा इंडोवेशन–III का शुभारंभ और प्रदर्शकों द्वारा लगाए गए स्टॉल पर उनका भ्रमण।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, एनआरडीडब्ल्यूपी – डब्ल्यूक्यूएमएस निर्धारित निधियों (बैक्टीरियो लॉजीकल) के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) द्वारा निर्धारित उच्च प्राथमिकता वाले जिलों के लिए निधियां प्रदान करता है। शुरू की जाने वाली गतिविधियों को निर्दिष्ट करते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश भी जारी किए गए हैं। एनआरडीडब्ल्यूपी की 25 प्रतिशत – 5 प्रतिशत विशेष जल गुणवत्ता निधियों के अंतर्गत जेई/एईएस प्रभावित जिलों में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान के लिए प्रमुख गतिविधियों को शुरू किए जाने की आवश्यकता है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :– .

- प्रभावित क्षेत्रों में सभी स्रोतों का स्वच्छता संबंधी निरीक्षण।
- हैंड पम्प प्लेटफार्मों को बढ़ाना।
- हैंड पम्प प्लेटफार्मों और केसिंग पाइप में सभी लीकों और क्रेकों को बंद कर देना।
- हैंड पम्पों से जुड़े सोकेज पिटों और ड्रेनेज चैनलों को साफ करते हुए उपयुक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
- उथले सार्वजनिक हैंड पम्पों के स्थान पर इंडिया मार्क –प्प् हैंड पम्प लगाना।
- गहरे ट्यूब वैल खोदना, इन्हें 1 हार्स पावर मोटर के साथ ऊर्जा प्रदान करना तथा स्टैंड पोस्टों (कम से कम चार नलों के साथ) से जल निकालना और इनके आस–पास का निर्माण कार्य करना तथा ब्लीचिंग पाउडर छिड़काना।
- सभी सार्वजनिक पेयजल स्रोतों को विसंक्रमित करना।
- केवल स्वच्छ पेयजल प्रयोग में लाने हेतु लोगों के बीच जागरूकता सृजित करना तथा जल को उबालने और उसके प्रयोग की आदत डालना।
- इनके अलावा, राज्यों द्वारा 67 प्रतिशत एनआरडीडब्ल्यूपी – कवरेज एवं गुणवत्ता निधियों के अन्तर्गत दीर्घकालीन स्थायी समाधान के रूप में प्राथमिकता आधार पर वैकल्पिक सुरक्षित सतही जल/भूजल स्रोत से परिवार आधारित सतही जल/भू–जल स्रोत से परिवार आधारित पाइप द्वारा जल आपूर्ति योजनाएं शुरू की जा सकती हैं।

मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों में एनआरडीडब्ल्यूपी–डब्ल्यूक्यूएमएस निर्धारित (बैक्टीरियोलॉजिकल) निधियों के उपयोग पर प्रगति की निगरानी करने हेतु अपनी ऑन लाइन आईएमआईएस पर विषेष प्रावधान भी बनाया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कई बैठकें की और प्रगति की समीक्षा की। एक जागरूकता आंदोलन भी 2014 में शुरू किया गया था।

मंत्रालय की आईएमआईएस पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार जेई/एईएस प्रभावित राज्यों को जल गुणवत्ता के लिए चिन्हित (बैक्टेरियोलॉजिकल) निधियों के अंतर्गत जारी किए गए 62.54 करोड़ रुपयों में से राज्यों ने 58.74 करोड़ रूप्ये (अर्थात् 93.92 प्रतिशत) खर्च कर दिए हैं।

2.2.9 प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन

- मंत्रालय ने पेयजल जाँच प्रयोगशालाओं के एनएबीएल (राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड) प्रत्यायन के लिए दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को राष्ट्रीय पुनश्चर्या कार्यशाला आयोजित की। इसके बाद एनएबीएल प्रत्यायन हेतु चुने गए पेशेवरों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 2015–16 के दौरान 4 क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाएं आयोजित की गईं।
- पहचानी गईं प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन चरण–वार ढंग से किया जाएगा। चरण–। के दौरान विभिन्न राज्यों से एनएबीएल प्रत्यायन हेतु 30 प्रयोगशालाओं का चयन किया गया है। इन प्रयोगशालाओं के संबंधित अधिकारियों से एनएबीएल प्रत्यायन हेतु आवेदन प्रस्तुत

करा दिए गए हैं। पहचानी गईं अधिकतर प्रयोगशालाओं का पूर्व–मूल्यांकन हो चुका है और वे एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के अनुपालन की प्रक्रियाधीन है। मंत्रालय ने राज्यों से अनुरोध किया है कि वे कम से कम एक प्रयोगशाला को यथाशीघ्र एनएबीएल से प्रत्यायित करवाएं ताकि उसकी सफलता से समय के साथ–साथ अन्य प्रयोगशालाएं भी प्रत्यायन करवाएं। तेलंगाना और गुजरात राज्य एनएबीएल प्रत्यायन हासिल करने के अग्रिणी चरण में हैं।

2.2.10 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सुरक्षा परियोजनाऐं

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा प्रारंभिक परियोजनाओं की अवधारणा उदयपुर में 25–26 मई 2010 को आयोजित''पानी की समस्या से ग्रस्त और गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा की प्राप्ति'' पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला से उभरी। कार्यशाला में तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री, डॉ. सी.पी. जोशी ने पेयजल सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता व्यक्त की।

एनएबीएल प्रमाणन : तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में एनएबीएल के अधिकारियों द्वारा प्रयोगशाला के अंतिम मूल्यांकन का दृश्य

विचार–विमर्श के बाद, इस प्रारंभिक परियोजना को योजना आयोग के सदस्य, डॉ. मिहिर शाह की अध्यक्षता में 9–10 सितंबर 2011 को पुणे में हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में औपचारिक रूप से शुरू किया गया। प्रारंभिक परियोजनाओं को निम्न चार आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से समग्र रूप में पेयजल सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है :

1) मनरेगा, आईडब्ल्यूएमपी और अन्य वाटरशेड कार्यक्रमों और एनआरडीडब्ल्यूपी के साथ तालमेल के माध्यम से स्त्रोत के स्थायित्व हेतु उपाय।

2) ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में भागीदारी सहित एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन

3) गाँवों द्वारा पेयजल सुरक्षा योजनाओं की तैयारीको तैयार करना।

4) चयनित गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाना और उचित ठोस व तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद, 10 राज्यों के 15 अतिदोहित ब्लाकों (सीजीडब्ल्यूबी रिपोर्ट के आधार पर चयनित) को प्राथमिक परियोजना ब्लॉकों के रूप में चुना गया, जो नीचे सूची बद्ध हैं :

राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा प्रारंभिक परियोजनाओं के अंतर्गत प्रारंभिक ब्लॉकों की सूची :

क्रम सं.	ब्लॉक	जिला	राज्य
1	गोरनतला	अनंतपुर	आंध्र प्रदेश
2	मूथे	नलगोंडा	तेलंगाना
3	पिलेरू	चित्तूर	आंध्र प्रदेश
4	खेरालू	मेहसाना	गुजरात
5	कैथल	कैथल	हरियाणा
6	मूलबगल	कोलर	कर्नाटक
7	पिपलोदा	रतलाम	मध्य प्रदेश
8	रामपुर बगहेलन	सतना	मध्य प्रदेश
9	वारूड	अमरावती	महाराष्ट्र
10	मोर्षि	अमरावती	महाराष्ट्र
11	धूरी	संगरूर	पंजाब
12	रायपुर	भीलवाड़ा	राजस्थान
13	मोरप्पुर	धर्मपुरी	तमिलनाडु
14	माऊरानीपुर	झांसी	उत्तर प्रदेश
15	बारौलीअहिर	आगरा	उत्तर प्रदेश

वित्तपोषण :

ग्रामीण जल सुरक्षा योजना (वीडब्ल्यूएसपीएस) की तैयारी के लिए वित्त एनआरडीडब्ल्यूपी के समर्थित कोष से पूरे हो रहे हैं। वीडब्ल्यूएसपीएस (हार्डवेयर गतिविधियों) के कार्यान्वयन की लागत मनरेगा से एनआरडीडब्ल्यूपी की स्थिरता घटक और विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण से पूरे होंगे।

कार्यप्रणाली:

प्रारंभिक परियोजनाएं सहभागी व समग्र तरीके से पेयजल सुरक्षा और संपूर्ण स्वच्छता पर केंद्रित हैं और जल बजट, मूल्य निर्धारण, गुणवत्ता और मात्रा, भंडारण प्रबंधन जिसमें जलवाही प्रबंधन, मांग पक्ष प्रबंधन और क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण शामिल है, सहित जल सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न आयामों को संबोधित करने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक ब्लाकों के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त समर्थन संगठन प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और जीपी, वीडब्ल्यूसी और ग्रामीणों को सशक्त करने के लिए समर्थन जारी रखना, और जल बजट, ग्रामीण जल सुरक्षा योजना की तैयारी में और ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होंगे। विश्व बैंक के जल और स्वच्छता कार्यक्रम द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

लाभ की परिकल्पना :

- प्रारंभिक हाइड्रोलाजिकल इकाइयों में ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाएं विकसित की गई और उन्हें लागू किया है। यह अन्य क्षेत्रों के लिए योजना के दिशा–निर्देशों/टेम्पलेट्स के विकास में भी उपयोगी होंगी,
- तालमेल के माध्यम से स्थायित्व योजनाएं विकसित की गई और लागू किया है,
- ग्राम पंचायत, वीडब्ल्यूएससी और समुदाय निगरानी और व्यवस्थित भूमि व सतही जल प्रबंधन और जल गुणवत्ता की निगरानी और निगरानी दृष्टिकोण का प्रदर्शन,
- निवेश, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में हुए वास्तविक लागत की जानकारी, जिनका प्रयोग दृष्टिकोण को मापने और बनाए रखने के लिए भावी योजना और बजट प्रयोजनों के लिए बेंचमार्क के रूप में किया जा सकता है,
- दृष्टिकोण के प्रचालन के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क (भूमिकाएं और जिम्मेदारियां) और निधिप्रवाह पर

समझौता,

एक रेटिंग मॉड्यूल जो आगे बढ़ने में सहायक होगा,

प्रगति हेतु क्षमता लाने के लिए प्रशिक्षण सामग्री और एक प्रशिक्षण योजना।

अब तक पूरी की गई गतिविधियां :

- 09–10 सितम्बर 2011 तक पुणे में कार्यशाला का आरंभ।
- जल प्रबंधन, जल गुणवत्ता और स्वच्छता से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं में तालमेल की निगरानी के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी प्रारंभिक ब्लाकों के लिए जिला कोर समूह का गठन किया गया है। विभिन्न संबद्ध विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तालमेल से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए सभी जिलों में जिला कोर ग्रुप की बैठकें बुलाई गई।
- प्रारंभिक ब्लाकों के लिए जीआईएस गतिविधियों पर ज्ञान साझा करने संबंधी कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रारंभिक परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए वीडियो–कॉफ्रेंस भी नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। सभी ब्लाकों से संपूर्ण बेस लाइन आंकड़ों का संग्रह। माप उपकरण स्थापित किए गए और उन्हें सभी प्रारंभिक ब्लाकों में उपयोग करने के लिए समुदाय को प्रशिक्षित किया गया।
- प्रत्येक राज्य की एसएलएसएससी समिति द्वारा स्वीकृति के बाद ग्रामीण जल सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन। स्वच्छता कवरेज पर प्रारंभिक ब्लाकों में और अधिक जोर दिया जाना चाहिए, और इसलिए प्रत्येक प्रारंभिक ब्लाक में प्रशिक्षण और जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
- परियोजना की समीक्षा अप्रैल और जुलाई 2015 में की गई थी।

2.2.11 समर्थन गतिविधियाँ और निगरानी व मूल्यांकन फ्रेमवर्क :

2.2.11.1 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं

जल गुणवत्ता और स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, स्वायत्त संगठन आदि को अनुदान सहायता दी गई। सचिव (डीडब्ल्यूएस) की अध्यक्षता में मुख्य रूप से जल और स्वच्छता के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास सलाहकार समिति गठित की गई है।

वर्ष 2015–16 के दौरान जल और स्वच्छता के तहत क्रमशः छब्बीस (26) और सात (7) अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चल रही थीं जिन्हें भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईआईटी), एनआईटी, वैज्ञानिक संगठन यानी सीएसआईआर टीईआरआई (स्वायत्त निकाय), सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों, अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों आदि को सौंपा गया था। जल के क्षेत्र में, चार (4) परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 12 (बारह) परियोजनाएं पूरी होने की प्रक्रिया में हैं और शेष दस (10) परियोजना प्रगति पर हैं और बारीकी से उनकी निगरानी की जा रही है। स्वच्छता के क्षेत्र में, छह (06) परियोजना पूरी हो चुकी हैं, एक (01) परियोजना पूरी होने की प्रक्रिया करने और शेष 01 परियोजना प्रगति पर है।

अनुसंधान और विकास सलाहकार समिति द्वारा उक्त के अलावा जल के लिए दो (2) नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं और स्वच्छता के क्षेत्र के लिए 06 परियोजनायों की सिफारिश की गई है और इन्हें वर्ष 2015–16 के दौरान वित्तपोषण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

2.2.11.2 सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी)

एनआरडीडब्ल्यूपी के अंतर्गत परिसर के भीतर संपूर्ण आबादी को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने पर प्रमुख बल दिया जाता है। पेयजल में विभिन्न संक्रमण के खतरों

से लोगों को जागरूक करने, पेयजल की बचत और विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए, मंत्रालय द्वारा लोक सेवा प्रसारण बनाया गया है। इन्हें ऑल इंडिया रेडियो और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क, प्राइवेट एफएम चैनलों, दूरदर्शन और इसके क्षेत्रीय चैनलों व प्राइवेट केबल और सैटेलाइट चैनलों पर भी जारी किया जा चुका है।

इसके अलावा माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता, श्री बीरेंद्र सिंह द्वारा गुड़गांव जिला, हरियाणा के ककरौला गाँवएक राष्ट्रव्यापी जागरूकता सप्ताह (16–22 मार्च) 16 मार्च 2015 को शुरू किया गया था। जागरूकता सप्ताह का समापन विश्व जल दिवस अर्थात् 22 मार्च 2015 को हुआ। कोहिमा, नागालैंड में समापन समारोह आयोजित किया गया था जिसमें माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता,

श्री बीरेंद्र सिंह और राज्य मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, श्री राम कृपाल यादव और नागालैंड के मुख्यमंत्री मौजूद थे।

विभिन्न स्तरों पर विभिन्न हितधारकों के लिए आईईसी गतिविधियों को चलाने हेतु राज्यों की मदद के लिए आईईसी दिशा–निर्देशों को भी तैयार किया।

2.2.11.3 मुख्य संसाधन केंद्र (केआरसी)

मंत्रालय ने जल क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता रखने वाले संस्थानों/संगठनों की पहचान की और उन्हें राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्रों (केआरसी) के रूप में चयनित किया है। राष्ट्रीय मुख्य संसाधन केंद्र (केआरसी) ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुरक्षा के क्षेत्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्षमता निर्माण, विभिन्न हितधारकों के पुनर्भिविन्यास, ज्ञान और जानकारी के प्रसार में,उत्तम रीतियों आदि को प्रलेखबद्ध करने के लिए एक मुख्य संस्थान हैं।

केआरसी एनआरडीडब्ल्यू के मुद्दों और चुनौतियों पर राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम), संचार एवं क्षमता विकास इकाई (सीसीडीयू), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी), पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) और सामुदायिक संगठनों को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मुख्य संसाधन केन्द्रों की पहचान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में संबंधित संस्थानों/संगठनों के राष्ट्रीय आधार, अनुभव, पूर्व कार्य और संलग्नता के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर की जाती है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कुल 54 मुख्य संसाधन केन्द्र मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 11 केआरसी केवल पेयजल के लिए,7 क्षमता निर्माण के लिए और 36 पेयजल एवं स्वच्छता दोनों के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2015–16 में कुल 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 4 राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं।

केआरसी के साथ विचार-विमर्श सत्र :

खुले में शौच मुक्त ग्रामीण क्षेत्रों के साथ स्वच्छ भारत को प्राप्त करने के प्रयास का समर्थन करने के लिए और ग्रामीण जनता को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने इस मंत्रालय ने उच्च प्रतिष्ठित संस्थानों/गैर सरकारी संगठनों को मुख्य संसाधन केन्द्र (केआरसी) के रूप में सूचिबद्ध किया है। उन्हें केआरसी दिशानिर्देश के अनुसार प्रशिक्षण, मूल्यांकन अध्ययन, आईईसी गतिविधियों और अन्य सहायक गतिविधियों जैसे सॉफ्ट कौशल में मंत्रालय का सहयोग करने का काम सौंपा गया है। सभी मुख्य संसाधन केंद्रों के साथ जुलाई 2015 में मंत्रालय द्वारा आयोजित एक विचार–विमर्श सत्र किया गया था।

बैठक के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:

I. पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से सहयोग के अंतर्गत केआरसी द्वारा की गई गतिविधियों (प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और सेमिनारों) की समीक्षा करना।

II. पेयजल एवं स्वच्छता में नई और नवाचार तकनीकों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास पर चर्चा करना।

III. स्वच्छ भारत को प्राप्त करने के लिए जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए केआरसी की जिम्मेदारियों का क्षेत्र का विस्तृत किया जा सकता है।

IV. वर्तमान केआरसी ढांचा और उनकी गतिविधियों से संबंधित मुद्दे।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

3 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सुरक्षित स्वच्छता प्रत्येक समाज की भलाई के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि भारत ने अपनी स्वच्छता स्थिति में सुधार लाने में एक लंबा सफर तय किया है, यह अभी भी वांछित स्तर से काफी कम है। ग्रामीण संदर्भ में, सुरक्षित स्वच्छता में निम्नलिखित घटक शामिल हैं।

– व्यक्तिगत और घरेलू स्तर

– मानव मल का सुरक्षित निपटान

– व्यक्तिगत साफ–सफाई

– पीने के पानी का सुरक्षित रख–रखाव

– घरेलू स्वच्छता एवं खाद्य स्वच्छता

– समुदाय

– अपशिष्ट जल का सुरक्षित निपटान

– ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

– स्वच्छ वातावरण (कचरा नहीं फेंकना)

– सामुदायिक शौचालय परिसर का प्रबंधन

स्वच्छता कार्यक्रमों में उक्त घटकों को देखने की जरूरत है। इस चुनौती से निपटने के लिए, दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को शुरू किया गया था जो कि एक समुदाय–चालित और जन–उन्मुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों को लचीलापन प्रदान कर सभी जगह सुरक्षित स्वच्छता लाना है।

3.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

आरंभी

3.1.1 02 अक्टूबर, 2019 तक भारत में समग्र स्वच्छता कवरेज, साफ–सफाई में सुधार लाने और खुले में शौच को समाप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए 02 अक्टूबर, 2014 को भारत सरकार द्वारा एक नया कार्यक्रम–स्वच्छ भारत मिशन (स्वच्छ भारत अभियान) शुरू किया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत की प्राप्ति है। कार्यक्रम के दो स्वरूप हैं – स्वच्छ भारत मिशन, (शहरी) {एसबीएम (यू)} जो शहरों के लिए है और स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) {एसबीएम (जी)} ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी कार्यक्रम शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा देखे जाते हैं जबकि ग्रामीण कार्यक्रम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) द्वारा देखे जाते हैं। राज्य स्तर पर, शहरी विकास विभाग/शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम) शहरी स्वच्छता कार्यक्रम संभालते हैं, जबकि ग्रामीण कार्यक्रम लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग या पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संभाले जाते हैं। अधिक ध्यान देने और समन्वय प्रदान करने के लिए, स्कूल और आंगनवाड़ी शौचालय अब क्रमशः मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं

बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं। एक अलग कार्यक्रम स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय (एसबीएसवी) 15 अगस्त 2015 तक लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय के साथ सभी स्कूलों के कवरेज पर विशेष ध्यान देने के लिए शुरू किया गया था।

उचित तकनीकियों को प्रोत्साहित करना, जहाँ कहीं आवश्यक हो, ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने वाली समुदाय व्यवस्थित स्वच्छता प्रणालियाँ विकसित करना।

उद्देश्य

3.1.2 एसबीएम(जी) के मुख्य उद्देश्य हैं : ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की सामान्य गुणवत्ता में सुधार लाना, साफ–सफाई, स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच को समाप्त करना, 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना, जागरूकता पैदा कर और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से स्थायी स्वच्छता कार्यों और सुविधाओं को अपनाने के लिए समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित करना, पारिस्थितिकी सुरक्षा व स्थायी स्वच्छता के लिए लागत प्रभावी और

3.1.3 पूर्व ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों से नए कार्यक्रम में कई दृष्टियों से बदलाव किया गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण हैं, एसबीएम के तहत, व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देना। समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहारगत परिवर्तन कोपसंदीदा दृष्टिकोण के रूप में उल्लिखित किया गया है, हालांकि राज्य अपने अनुकूल बेहतर दृष्टिकोण चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। केवल व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण की बजाय, खुले में शौच पूर्ण मुक्त (ओडीएफ) गाँवों के निर्माण पर भी फोकस है। यह लाभार्थियों के साथ व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन लाने के बजाय

पूरे गाँव को अपना व्यवहार बदलने पर जोर देता है। दूसरा, नया कार्यक्रम राज्यों को कार्यक्रम के क्रियान्वयन में लचीलापन प्रदान करता है। यह भारत के विशाल सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विविधता को विस्तार देने और नवाचारों को बढ़ावा देने की दृष्टि से भी आवश्यक है। तीसरा, यह क्षमता निर्माण विशेष रूप से सामुदायिक दृष्टिकोण ों और कार्यक्रम प्रबंधन पर ज्यादा जोर देता है। पर्याप्त क्षमताओं की कमी कार्यक्रम की प्रगति की एक प्रमुख चुनौती है। इसलिए, सभी हितधारकों तक पहुँचने के लिए विभिन्न पहल किए जा रहे हैं। भारत सरकार की ओर से,राज्य और चुनिंदा संगठनों (जिन्हें मुख्य संसाधन केंद्र कहा जाता है) को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बदले में, ये उप राज्य स्तर पर प्रशिक्षण देते हैं। जिला–स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने के लिए मुख्य अधिकारी कलेक्टर को कार्यक्रम में शामिल किया गया है। कार्यशालाओं और एक्सपोजर दौरों दोनों के माध्यम से उनको सर्वश्रेष्ठ कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय सफाई और स्वच्छता समर्थनकारी और संचार कार्यनीति फ्रेमवर्क (एसएचएसीएस) यूनिसेफ और अन्य साथी एजेंसियों के सहयोग से विकसित किया गया है। चौथा, कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों, कंपनियों, युवाओं आदि सहित समाज के सभी संप्रदायों के सहयोग से नागरिक आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है। पंचायत (स्थानीय सरकार) के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल किए जा रहे हैं। इसे क्रमशः ग्रामीण व शहरी स्थानीय सरकारों को स्वच्छता के विषय अंतरित करते हुए 1992 में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के साथ बदला गया है। इसके अलावा, यह समय में कटौती करने के साथ–साथ जवाबदेही को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने पर जोर देता है। तकनीकी क्षेत्र में नवाचारों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। समग्र विकास के एजेंडे के बीच स्वच्छता को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है। विभिन्न अन्य विकास योजनाएं स्वच्छता परिणामों के साथ जोड़े जा रहे हैं।

वित्तपोषण प्रावधान

3.1.4 नए एसबीएम(जी) कार्यक्रम में, अनुदान को आजीविका कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से अलग कर दिया गया है, क्योंकि इससे कार्यान्वयन में अक्षमता और देरी हो रही थी। व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों और पहचाने गए (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, लघु और सीमांत किसान, वासभूमि के साथ भूमिहीन मजदूर, शारीरिक रूप से विकलांग और महिलाओं के प्रमुख परिवार) गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों के लिए रु. 2000 बढ़ाकर, रु. 10000 से रु. 12000 कर दिया गया। समर्पित अनुदान अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) (बजट का 22 प्रतिशत) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) (बजट का 10 प्रतिशत) के अंतर्गत प्रदान किया जा रहा है जो जनसंख्या की इन दो श्रेणियों के लिए खर्च किए जा रहे हैं। इसके अलावा, 150/300/500 तक और 500 से अधिक परिवारों वाले ग्राम पंचायतों के एसएलडब्ल्यूएम के लागू किए जाने के लिए रु. 7/12/15/20 लाख की सीमा के अधीन निधियां दी जाती हैं। 2 लाख रुपये का फंड समुदायिक शौचालय के लिए उपलब्ध है। व्यवहार परिवर्तन संचार के महत्व को देखते हुए, फंड का 8 प्रतिशत फंड इस गतिविधि के लिए आरक्षित है।

3.1.5 फंड उपयोगिता राज्य व जिला स्वच्छ भारत मिशनों (एसएसबीएम और डीएसबीएम) के माध्यम से नियोजित और लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और गैर सरकारी हितधारकों के साथ बहु–हितधारक निकाय हैं। राज्य व जिला स्तरों पर कार्यक्रम की योजना, पर्यवेक्षण और अनुवेषण करते हैं। डीएसबीएम जिलों के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना (एआईपी) तैयार करने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं। कार्यान्वयन और वित्तपोषण के लिए जिला एआईपी को राज्य एआईपी में समेकित कर, उन पर एमडीडब्ल्यूएस, भारत सरकार के साथ चर्चा की जाती है।

कवरेज

3.1.6 2012–2013 में किए गए आधारभूत सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 11.11 करोड़ शौचालयों का निर्माण पांच वर्ष की अवधि (2014–2019) में एसबीएम(जी) कार्यक्रम के तहत निर्मित किए जाने हैं। इनमें से 8.84 करोड़ प्रोत्साहन के पात्र हैं, 1.39 करोड़ निष्क्रीय/बेकार हैं और 0.88 करोड़ योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन के लिए अयोग्य हैं। 8.84 करोड़ शौचालयों में से लगभग 2 करोड़ मनरेगा के तहत किए जा रहे हैं, 6.84 करोड़ का शेष एसबीएम (जी) कार्यक्रम के तहत निर्माण किया जा रहा है।

3.1.7 एसबीएम की शूरुआत के बाद, इस सेक्टर में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के कार्यान्वयन ढांचे में अन्यों के साथ विश्व बैंक, यूनिसेफ, सीएलटीएस–फाउंडेशन, डब्ल्यूएसएससीसी और वाटरएड जैसे विभिन्न सेक्टर एजेंसियों के साथ सहयोग में वृद्धि देखी गई है। स्वच्छता के लिए योगदान करने की दिशा में भारत स्वच्छता गठबंधन के रूप कॉरपोरेट ने भी अच्छी भागीदारी दिखाई है। सरकार ने इस संबंध में कॉर्पोरेट को सुविधा देने और मार्गदर्शन के लिए कॉर्पोरेट फेसिलिटेशन डेस्क की स्थापना की है।

राज्यों के लिए लचीलापन

3.1.8 वर्तमान कार्यक्रम के दिशा निर्देशों का महत्वपूर्ण घटक राज्यों को लचीलापन प्रदान करना है। कार्यक्रम भारत के 32 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में चल रहा है। भारत में 6 लाख गांवों से अधिक सहित लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं। इनमें बहुत सामाजिक–आर्थिक–भौगोलिक–सांस्कृतिक–भाषा की विविधता है। राज्यवांछनीय परिणाम तक पहुंचने के लिए, उनके लिए उपयुक्त कार्यनीति, दृष्टिकोण और तकनीक का निर्णय लेने का बेहतर स्थिति में हैं।

3.1.9 भारत के संविधान के अनुसार ('संघ विषय' के रूप में) स्वच्छता 'राज्य का विषय' है। इसका मतलब यह है कि इस विषय की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 की समय–सीमा निर्धारित की है। इस प्रकार, कार्यक्रम का कार्यान्वयन केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में राज्यों के साथ तालमेल से किया जा रहा है।

3.1.10 एसबीएम(जी) के दिशा निर्देशों के अनुसार, हालांकि राज्यों को अत्यधिक लचीलापन प्रदान किया गया है। इसमें व्यक्तिगत शौचालय के लिएव्यक्तिगत लाभार्थी को या ओडीएफ की उपलब्धि के बाद पूर्णरूप में समुदाय के लिए प्रोत्साहन निधि देने में लचीलापन भी शामिल है।

ओडीएफ पर जोर

3.1.11 ओडीएफ की परिभाषा में समानता का अभाव विभिन्न राज्यों द्वाराउनकी समझसे की गई अलग–अलग व्याख्या की संभावना अको दर्शाता था। इससे निगरानी में कठिनाई आ रही थी। अतः एमडीडब्ल्यूएस द्वारा जारी ओडीएफ की मानक परिभाषा निम्नानुसार है :

''ओडीएफ 'मल–मौखिक' संचारण, का समापन है, जो निम्नानुसार परिभाषित हैः–

क) वातावरण/गांव में किसी प्रकार मल दृष्टिगत न होना,

ख) प्रत्येक परिवार और साथ ही सार्वजनिक/सामुदायिक संस्थानों द्वारा मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्प का प्रयोग हो।

(सलाह : सुरक्षित तकनीकी विकल्प का अर्थ है सतही मिट्टी, भूजल अथवा सतही जल में किसी प्रकार का संदूशण न होना, मल मक्खियों तथा जानवरों की पहुंच से दूर होना, ताजे मल को न छूना, तथा दुर्गंध आदि की स्थिति से मुक्त होना।)

3.1.12 इसके अलावा, ओडीएफ के सत्यापन के लिए सांकेतिक दिशा–निर्देश भी राज्यों के लाभ के लिए जारी किए गए हैं। राज्य सत्यापन के लिए अपने स्वयं का तंत्र विकसित करने के लिए इन दिशानिर्देशों का उपयोग कर रहे हैं। दिशा निर्देश मंत्रालय की

वेबसाइट (http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/R_274_1441280478318.pdf) पर उपलब्ध हैं।

ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन

3.1.13 ओडीएफ के अलावा एसएलडब्ल्यूएम स्वच्छ भारत का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसमें गांवों में जैविक और गैर–जैविक दोनों प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है और रसोई व कपड़े धोने से निकलने वाले ग्रे पानी का प्रबंधन भी शामिल है। मंत्रालय इस संबंध में राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

नमामी गंगे

3.1.14 नमामी गंगे गंगा नदी को साफ करने का एकीकृत मिशन है। इसमें शहरी स्वच्छता, उद्योगों से प्रदूषण के निष्कासन पर नियंत्रण, और खुले में शौच से मुक्ति के क्षेत्रों में कई मंत्रालयों से अंतर–विषयक प्रयासशामिल है। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, ओडीएफ कार्य को 1657 जीपी में प्राथमिकता दी गई है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के राज्यों में 53 जिलों के 253 ब्लाकों में गंगा के तट पर हैं। इन राज्यों की कार्य योजना तैयार की गई है और कार्य प्रगति पर है। ये क्षेत्र पूरे देश के लिए निर्धारित 2 अक्टूबर, 2019 की लक्षित तारीख से पहले ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर रहे हैं। 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार इन गाँवों में 15.2 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना है, 2.79 लाख का निर्माण किया जा चुका है। ओडीएफ उपलब्धि के लिए कुल 2,354.46 करोड़रुपये की आवश्यकता होने का अनुमान है।

एसबीएम(जी) के लिए वित्तपोषण

3.1.15 एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन की लागत 1,34,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। सरकार कार्यक्रम के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 15.11.2015 से सेवाओं पर 0.5 प्रतिशत स्वच्छ उपकर लगाया गया है जो स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजटीय स्रोत को पूरक है इसके अलावा, नवंबर, 2014 में स्वच्छता के लिए सीएसआर फंड को आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्रालय के अधीन स्वच्छ भारत कोष स्थापित किया गया। प्रवासी भारतीयों से अनुदान का भी उपयोग किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए, प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय के तहत प्रवासी भारतीय भारत विकास फाउंडेशन (आईडीएफ–ओआई) ट्रस्ट स्थापित किया गया। 14वें वित्त आयोग अनुदान,राज्यों के स्वयं के संसाधन, सीएसआर आदि जैसे धन के अन्य स्रोत भी उपलब्ध हैं।

राज्य स्तरीय कार्यशालाऐं

3.1.16 राज्य अधिकारियों/जिला कलेक्टरों/सीईओ, जिला पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य प्रमुख हितधारकों सहित राज्य स्तर पर कार्यशालाओं की अवधारणा 2015–16 में लाई गई थी। कार्यशालाएं स्वच्छता से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श करने के लिए जिला स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्लेटफार्म प्रदान करने में बहुत कारगर साबित हुई। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्यों को स्वच्छता के सामुदायिक दृष्टिकोण से अवगत कराना था। अन्य राज्यों/जिलों के चैंपियन कलेक्टरों, को जो इन दृष्टिकोणों को सफलतापूर्वक प्रयोगकर रहे थे, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए संसाधन व्यक्तियों के रूप में पुकारे गए। पहले ही ऐसी कार्यशालाएं जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे कई राज्यों में आयोजित की जा चुकी हैं और ये राज्यों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

एसबीएम(जी) के शुभारंभ से प्रगति

3.1.17 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के शुभारंभ के बाद से शौचालयों के निर्माण में तेजी आई है। मिशन के पहले साल यानि 2.10.2014 से 2.10.2015 तक, 88.71 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया, जो कि 60 लाख अपेक्षित

परिणाम से अधिक है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के बाद, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले से ही लगभग 115 लाख शौचालयों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है। स्वच्छता कवरेज जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के अनुसार 40.60 प्रतिशत था, बढ़कर लगभग 49.02 प्रतिशत हुई है। वर्ष 2014–15 के लिए व्यक्तिगत शौचालयों के लिए 50 लाख के वार्षिक लक्ष्य की तुलना में 58,54,987 शौचालयों का निर्माण किया गया है, जो लक्ष्य की 117 प्रतिशत की उपलब्धि है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत के बाद 49. 49 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया जो कि 2014–15 से पूर्व एसबीएम अवधि की तुलना में एसबीएम (जी) की शुरुआत के बाद शौचालयों के निर्माण में 446 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि को दिखाता है। वर्ष 2015–16 के लिए, व्यक्तिगत शौचालयों के लिए 1.2 करोड़ के अपेक्षित परिणाम की अपेक्षा 31–12–2015 तक 76,81,214 शौचालयनिर्मित किए गए हैं।

3.1.18 शौचालयों के निर्माण के अलावा, इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनके उपयोग और ओडीएफ की उपलब्धि पर अब नजर रखी जा रही है। ऑनलाइन आईएमआईएस के अनुसार, 43742 गांवों और 17806 ग्राम पंचायतों ने ओडीएफ बन जाने की (31.1.2016 तक के अनुसार)घोषणा की है। घोषणा करने/सत्यापन की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है।

स्वच्छता कवरेज

3.1.19 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, 32. 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालयों का प्रयोग करते थे। राज्यों द्वारा वर्ष 2012–13 में एक आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसके अनुसार, ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.81% था। 2 अक्टूबर 2014 को एसबीएम(जी) के शुभारंभ पर, स्वच्छता कवरेज 42.5% था। 31.12.2015 तक यह बढ़कर 49.02% तक हो गया।

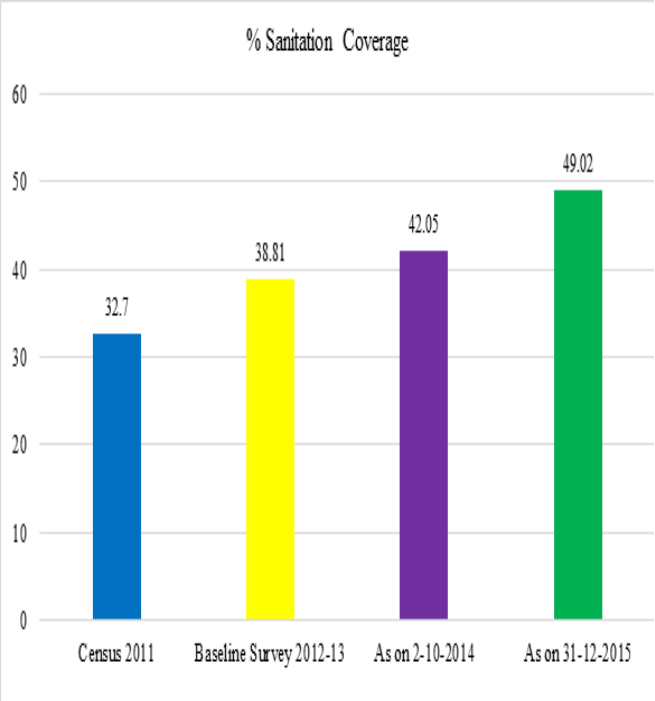

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत हाल की पहल

3.1.20 नई नीति के लागू किए जाने के पर, कई चुनौतियां उभर कर आईं जिसमें विशेष रूप से बड़े पैमाने पर खुले में शौच की समस्या और सदियों से खुले में शौच करने वाले लोगों की सोच को बदलना महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं। निम्नलिखित पहल के माध्यम से इन्हें हल किया जा रहा है।

राज्यों द्वारा नेतृत्व लेना

3.1.21 पूर्व स्वच्छता कार्यक्रमों से नए कार्यक्रम (एसबीएम) में कई बदलाव किए गए हैं। नए कार्यक्रम के सुनियोजित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक इकाइयों अर्थात राज्यों को लिए जाने की आवश्यकता है। इसमें पहले की तुलना में राज्यों के साथ अधिक समन्वय की आवश्यकता है और इसके लिए किए जा रहे प्रयासों जैसे राज्यों में कार्यशालाएं कराना, राज्य/जिला अधिकारियों को समुदाय प्रक्रियाओं के बारे में बताना, क्षेत्रीय/राष्ट्रीय कार्यशालाओं द्वारा राज्यों के साथ बेहतर कार्यों को साझा करना, राज्यों में जाना, समीक्षा और वीडियो कश्न्फ्रेंसिंग करना शामिल हैं।

31.12.2015 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अनुसार स्वच्छता कवरेज निम्नलिखित है:–

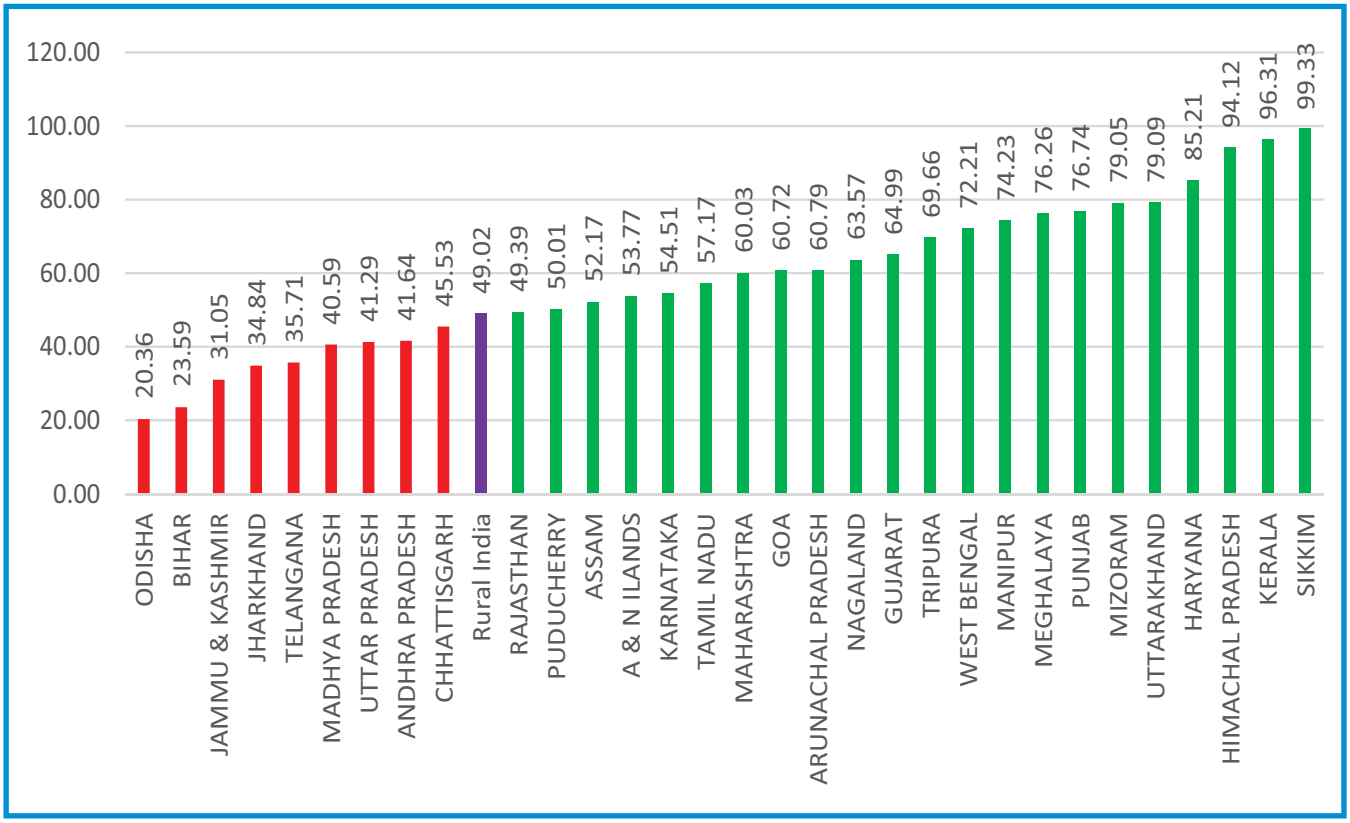

ओडिशा, बिहार, जम्मू–कश्मीर, झारखंड, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्यों में स्वच्छता कवरेजराष्ट्रीय औसत से नीचे है।

2 अक्टूबर 2014 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार स्वच्छता कवरेज में सुधार

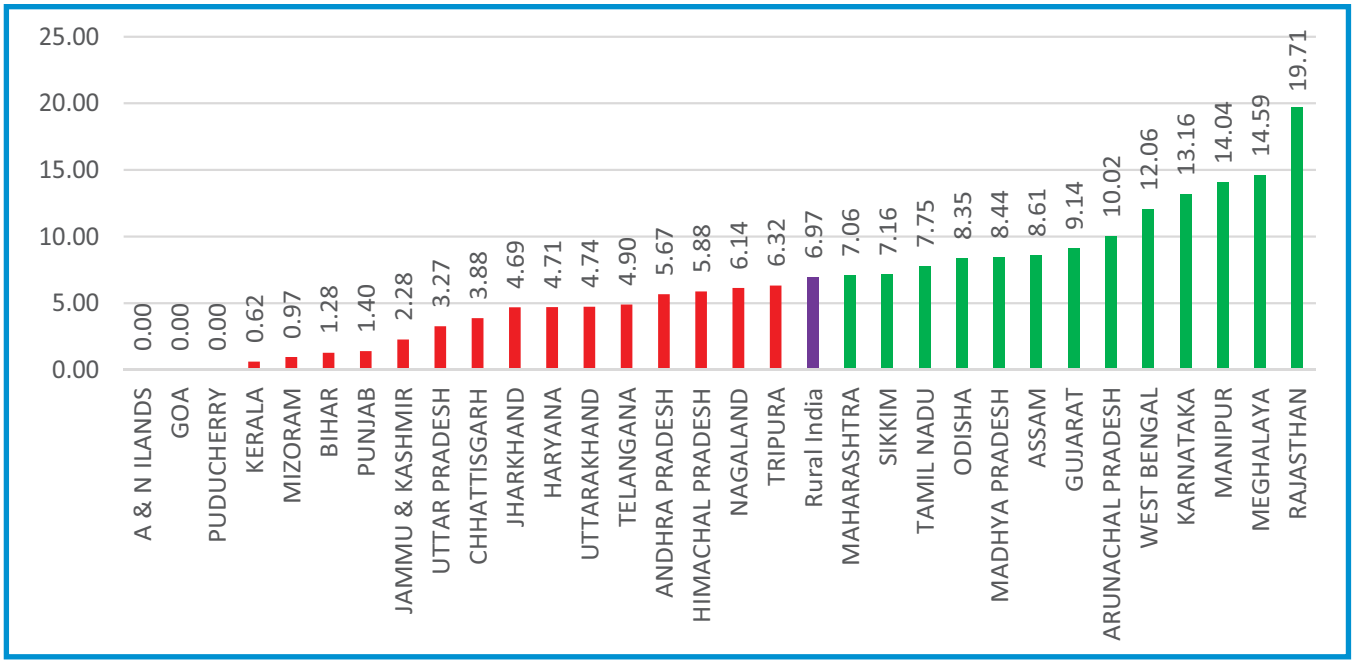

केरल, मिजोरम, बिहार, पंजाब, जम्मू–कश्मीर, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में 2.10.2014 से स्वच्छता कवरेज में सुधार राष्ट्रीय औसत से नीचे है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, गोवा और पुडुचेरी के राज्य/संघराज्य क्षेत्रों में 2 अक्टूबर 2014 से प्रगति की सूचना नहीं है।

जिला नेतृत्व को लक्ष्य बनाना

3.1.22 कार्यान्वयन की प्रमुख इकाइयाँ जिले हैं। एसबीएम (जी) के दिशा–निर्देश के अनुसार जिला कलेक्टरों को कार्यक्रम का प्रत्यक्ष नेतृत्व प्रदान किया गया है। राज्य को कहा गया है किकलेक्टरों को प्रेरित और समर्थ देकर उन्हें कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए उन्हें अपेक्षित कौशलों का प्रशिक्षण दें।

तकनीक संबंधी नवाचार

3.1.23 एसबीएम (जी) के आरंभ के साथ, शौचालयों और एसएलडब्ल्यूएम दोनों की तकनीक में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) गतिविधियों में तेजी आई है। मंत्रालय विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण द्वारा अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। अभिनव तकनीकियों की जांच के लिए डॉ. आर.ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। इस समिति की बैठकें नियमित रूप से होती हैं और विभिन्न नवीन तकनीकों को सूचीबद्ध किया जाता है और ऐसी तकनीकियों को मिलाकर एक सार–संग्रह प्रकाशित किया गया है और विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्थानीय रूप से प्रासंगिक, सुरक्षित और टिकाऊ तकनीकों को बढ़ावा दिया गया है। स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता है।

अभियान को आंदोलन बनाना

3.1.24 कार्यक्रम को जन अभियान के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसलिए, व्यावहारिक परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियमित अभियान चलाए जा रहे है। कुल बजट का 8 प्रतिशत अंतर–वैयक्तिक संचार सहित आईईसी के लिए आरक्षित है। व्यापक मुद्दों को संबोधित करने के लिए अब बड़े पैमाने पर 360 डिग्री मीडिया अभियान चलाए जा रहे हैं।

वित्तीय और कार्यक्रम प्रबंधन

3.1.25 वित्तीय प्रबंधन और समग्र कार्यक्रम प्रबंधन के क्षेत्र में सुधार शुरू करना भी आवश्यक है। जिला स्तर पर कार्यान्वयन के लिए धन की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी सुधार आवश्यक हैं। राज्यों के साथ परामर्श करके निधि की ऑनलाइन संचरण सुनिश्चितकरने के लिएसार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)को लागू करने की योजना है। संस्थागत संरचना को भी अधिक पेशेवर और एक अधिक सक्षम तरीके से विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक सशक्त बनाया जा रहा है।

अन्य योजनाओं के साथ तालमेल

3.1.26 एसबीएम (जी) के तहत, अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ उचित तालमेल किया जा रहा है। एसबीएम(जी) के दिशा–निर्देश में जल एवं स्वच्छता में संयुक्त दृष्टिकोण अपनाना उल्लिखित है, और संसद आदर्श ग्राम योजना के साथ तालमेल करना भी उल्लिखित हैं। स्वास्थ्य और बाल पोषण पर स्वच्छता कार्यक्रम के सामान्य प्रभाव देने के लिए, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने ओडीएफ गांवों में अपने कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को लिखा है। इसी तरह, अन्य मंत्रालयों और राज्यों को उन गांवों, जो खुले में शौच से मुक्त हैं, में अपने विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है।

मुख्य मंत्रियों का उप-समूह

3.1.27 ''बॉटम–अप'' दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य सरकारों को नीति बनाने की प्रक्रिया में तेजी से शामिल करने और भागीदारी के उद्देश्य के साथ पूर्व योजना आयोग के स्थान पर, 2014 में नीति आयोग (भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान) स्थापित किया गया जिसने स्वच्छता को फोकस एरिया के रूप में चुना है। स्वच्छ भारत मिशन पर निगरानी रखने और मिशन के परिणामों को प्राप्त करने और उन्हें स्थायी बनाने के लिए,

वित्तीय, संस्थागत और तकनीकी उपायों की सिफारिश करने के लिए नीति आयोग द्वारा मुख्यमंत्रियों का एक उप–समूह गठित किया गया।

हाथ से कचरा हटाने का उन्मूलन

3.1.28 हाथ से कचरा हटाने के रोजगार पर प्रतिबंध और शुल्क शौचालयों के निर्माण पर रोक अधिनियम, 2013 के लागू होने पर, शुष्क शौचालयों का निर्माण व रख–रखाव और मल–मूत्र ढोने वाले के रूप में किसी को रोजगार देना निषिद्ध किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए नोडल मंत्रालय है। 2011 की जनगणना ने देश में 12.76 लाख अस्वच्छ शौचालयों के अस्तित्व की जानकारी दी है, जिसमें से 5.86 लाख शुष्क शौचालयों को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हाथ से साफ किया जा रहा था।

संशोधित एसबीएम (जी) के दिशा निर्देशों के अनुसार मौजूदा सभी अस्वच्छ शौचालय, यदि कोई हो, को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जाना है। इसके लिए लाभार्थी को उपलब्ध प्रोत्साहन व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण के समान है। राज्यों से अनुरोध किया गया है। सभी गाँवों में जहां अस्वच्छ शौचालय हैं, वहाँ बाल्टी या शुष्क शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में रूपांतरण के लिए कदम उठाने पर प्राथमिकता दी जाए।

राज्यों ने इस पर एक सर्वेक्षण किया जिसके अनुसार 1,78,533 अस्वच्छ शौचालय पाए गए हैं। इनमें से 31.12.2015 तक 1,24,800 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में रूपांतरित किए जाने की सूचना दी गई है।

अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी)

3.1.29 स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे बढ़ाने के लिए, गैर सरकारी संगठनों सहित अनुसंधान संगठनों के लिए 100 प्रतिशत धन केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। सचिव (डीडब्ल्यूएस) की अध्यक्षता में एक अनुसंधान परामर्श समिति मुख्य रूप से स्वच्छता के लिए अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गठित की गई है। तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी क्षेत्रों में स्वच्छता अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रमुख क्षेत्र हैं।

राज्य सरकारों को भी पर्याप्त मानव शक्ति और बुनियादी सुविधाओं के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अभिनव तकनीकियों की जाँच के लिए डा आर. ए. माशेलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। यह समिति नियमित रूप से मिलती है तथा विभिन्न नवीन तकनीकों को सूचीबद्ध करती है और इसने ऐसी तकनीकों को मिलाकर एक सार–संग्रह प्रकाशित किया है और इसे विभिन्न हितधारकों के लाभ के लिए मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। स्थानीय रूप से प्रासंगिक, सुरक्षित और टिकाऊ तकनीकी को बढ़ावा दिया गया है। स्थानीय नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है।

एसबीएम (जी) के तहत 2015–16 के दौरान स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है –

क्र. सं.	परियोजना का नाम	संस्थान का नाम
1	गाय के गोबर, रसोई के कचरे, खाद्य अपशिष्ट और मानव अपशिष्ट का उपयोग कर बायोगैस संयंत्र की दक्षता में वृद्धि पर अध्ययन।	सामुदायिक संगठन के सोसायटी और पीपुल्स शिक्षा, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु
2	बेकार प्लास्टिक पत्थर ब्लाक (प्लास्टोन) पर बने पूर्वनिर्मित संरचना का उपयोग कर कम लागत के स्वच्छ ग्रामीण शौचालय के निर्माण पर एक अध्ययन	इंजीनियरिंग कालेज थियागरजर, मदुरै, तमिलनाडु
3	भारत में विकलांग व्यक्तियों के लिए समावेशी स्वच्छता और शौचालय बनाना। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन	विकलांगता और पुनर्वास अध्ययन के लिए सोसायटी
4	उचित ग्रामीण स्वच्छता का विकास कीचड़ उपचार	श्री साई राम इंजीनियरिंग कालेज
5	ग्रामीण बस्ती, मुबारकपुर (हरियाणा) में गीला भूमि विकास के माध्यम से पानी की फाईटोरेमेडिटेशन	आईआईटी दिल्ली
6	स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए चीनी मिट्टी उत्पादन इकाई में प्रायोगिक संयंत्र का परीक्षण का उपयोग कर उच्च मूल्य सेनेटरी वेयर परियोजना का विकास	सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोलकाता

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट –वास्तविक

3.1.30 वर्ष 2014–15 और 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) में एसबीएम(जी) के तहत आईएचएचएल और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण की वार्षिक वास्तविक प्रगति निम्नलिखित है :

	आईएचएचएल–बीपीएल	आईएचएचएल–एपीएल	आईएचएचएल–कुल	समुदायिक स्वच्छता काम्प्लैक्स
2014–15	3045523	2809464	5854987	1109
2015–16 (दिसंबर, 2015 तक)	3003259	4677955	7681214	867

राज्य–वार विवरण अनुलग्नक IV और V पर है।

वार्षिक वित्तीय प्रगति

3.1.31 2014–15 और 2015–16 (दिसंबर 2015 तक) में एसबीएम(जी) के तहत निधियों की उपलब्धता निम्नानुसार है।

(राशि करोड़ में)

वर्ष	शुरुआती बकाया	जारी	कुल	यय
2014.15	2462.28	2730.33	5192.61	3082.32
2015.16 (दिसंबर 2015 तक)	2108.87	3744.55	5853.42	5485.45

राज्य–वार विवरण अनुलग्नक VI और VII में है।

3.2 2015–16 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

(i) 22 जनवरी 2015 को राज्य मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन

माननीय मंत्री की अध्यक्षता में 22 जनवरी, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जल एवं स्वच्छता योजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य मंत्रियों और सचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण ा) के कार्यान्वयन में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा और विश्लेषण करना, एसबीएम (जी) के कार्यान्वयन के साथ जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा, और 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत बनाने के लिए परिवर्तनों/संशोधनों, यदि कोई है की पहचान करना था।

(ii) नवाचार

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व पानी की गुणवत्ता के लिए अभिनव तकनीकियों पर एक प्रदर्शनी–सह–कार्यशाला 2–3 जुलाई, 2015 को होटल ली–मेरिडियन, जनपथ, नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसमें शौचालय ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन, जल उपचार के संबंध में विभिन्न नवीन तकनीकियोंको विभिन्न राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों/उपयोगकर्ताओं को प्रदर्शित किया गया। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

(iii) ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन पर कार्यशाला

विश्व बैंक के सहयोग से जल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार ने ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध ान पर 21 अप्रैल 2015 को होटल–शांगरी–ला, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यशाला में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंध ान में नवीन तकनीकियों को लागू करने और जमीनी स्तर पर सफलता की कहानियों के अनुभवों को साझा किया गया। कार्यशाला ने विचारों के आदान प्रदान के लिए देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

कार्यशाला ग्राम पंचायतों/राज्यों, तकनीकी विशेषज्ञों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से प्रस्तुतियों को शामिल करते हुए एक दिन के कार्यक्रम के लिए डिजाइन की गई थी। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों और तकनीकी विशेषज्ञों ने स्वच्छता पदाधिकारियों के बीच विचारों और अनुभवों के मुक्त आदान प्रदान में मदद की।

इस अवसर पर माननीय मंत्री ने दो पुस्तकों का विमोचन किया। पहली 'ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन पर एक स्रोत पुस्तक' शीर्षक से थी जिसमें चार आर (कम, पुनः प्रयोग, पुनःचक्रण और रिकवर) पर ध्यान देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे के लिए उपचार के विकल्प और कचरे की विभिन्न श्रेणियों और विशेषताओं को शामिल किया गया। यह भी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भागीदारी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालती है। दूसरी पुस्तक ''ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस व तरल अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन के तकनीकी विकल्प'' शीर्षक से थी जो ठोस और तरल अपशिष्ट के निपटान और उपचार के लिए उपलब्ध तकनीकियों पर केंद्रित है।

इसके अलावा, एसबीएम–जी के लिए मोबाइल ऐप का भी कार्यशाला में शुभारंभ। मोबाइल ऐप से आईएचएचएल के विकल्पों के साथ–साथ उनकी लागत और डिजाइन को चुनने का विकल्प प्रदान करता है।

(iv) मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन पर राष्ट्रीय परामर्श

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने 11 जून 2015 को होटल–शांगरी–ला, नई दिल्ली में यूनिसेफ, वाश यूनाइटेड और भागीदारों के सहयोग में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) पर एक राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन में किया गया।

यह एमएचएम पर मसौदा दिशा–निर्देशों के लिए हितधारक परामर्श था जिसे बाद में दिसंबर, 2016 में प्रकाशित किया गया था।

इस परामर्श ने राज्यों में एमएचएम पर वर्तमान पहलों

के बारे में जानकारी साझा करने के लिए भागीदारों के लिए एक अवसर प्रदान किया, एमएचएम के लिए मुख्यतः प्राथमिक कार्यवाही की पहचान में मदद के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न विभागों में सहयोग करने के संभव भागीदारी को समझने में सहायता मिली।

(V) मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन पर दिशा-निर्देशों, विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ घरेलू स्वच्छता सुविधाओं पर हैंडबुक का शुभारंभे

माननीय राज्य मंत्री पेयजल और स्वच्छता ने ''मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन पर दिशा–निर्देश'' और''विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ घरेलू स्वच्छता सुविधाओं पर हैंडबुक'' जारी किया।

''विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ घरेलू स्वच्छता सुविधाओं पर हैंडबुक''स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 2014 औरघरेलू शौचालय विकल्प, 2010 पर तकनीकी मैनुअल के लिए यह एक सहायक दस्तावेज है।

इसका मुख्य उद्देश्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर, निर्वाचित प्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों और परिवारों को, चलने में अक्षम, (कुर्सी बाध्य), कम चलने वाले (कम अंग हानि) और दृश्य विकलांगता (आंशिक और पूर्ण अंधापन) के योजनाकारों को बुनियादी सिद्धांतों को तैयार करने में सहायता और दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना है।

(Vi) 67वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान स्वच्छ भारत मिशन पर झांकी

स्वच्छ भारत की थीम पर आधारित, पेयजल और स्वच्छता की झांकी 26 जनवरी, 2016 को 67 वें गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राजपथ पर प्रदर्शित की गई।

मंत्रालय ने संशोधित स्वच्छता के माध्यम से लोगों के बीच स्वच्छ व्यवहार को विकसित कर देश में साफ–सफाई लाने के लिए कार्य योजना पर ध्यान केंद्रित किया।

(vii) सेकोसेन (एसएसीओएसएएन) की 8वीं आईसीडब्ल्यूजी बैठक 17-18, सितंबर, 2015 को भूटान में आयोजित हुई।

डॉ. निपुण विनायक, निदेशक (एसबीएम–जी) के नेतृत्व में एक तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 17–18 सितम्बर 2015 को भूटान में 8वीं अंतर्देशीय कार्य समूह (आईसीडब्ल्यूजी) की बैठक में भाग लिया।यह बैठक जनवरी 2016 के दौरान ढाका, बांग्लादेश में आयोजित होने वाली सेकोसेन (एसएसीओएसएएन)VI की तैयारियों पर चर्चा के लिए रखी गई थी। सभी सेकोसेन (एसएसीओएसएएन) देशों– अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

भारत ने सेकोसेन(एसएसीओएसएएन)ट, काठमांडू घोषणा पर की गई कार्यवाही प्रदर्शित करने के लिए एक छह मिनट का वीडियो प्रस्तुत किया। इसमें यह समझाया गया कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का जोर, वास्तविक क्रियान्वयन में राज्यों को लचीलेपन के साथ ओडीएफ की उपलब्धि और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन है। प्रकाश डाला गया कि सामूहिक दृष्टिकोण कमजोर समुदायों और महिलाओं, युवाओं, विकलांग (छत्तीसगढ़ से मिथलेश का उदाहरण) सहित समाज के सभी वर्गोंकी देखभाल का दृष्टिकोण है। इसमें उल्लेख किया गया कि ओडीएफ शब्द परिभाषित किया गया है, और इसमें सभी घरों और सार्वजनिक भवनों में सुरक्षित शौचालय का उपयोग भी शामिल है। यह भी उल्लेख किया गया कि कार्यक्रम को उच्च

स्वच्छ
भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
पेयजल एवं
स्वच्छता मंत्रालय

राजनीतिक प्राथमिकता दी गई है। भारत की प्रस्तुति सराहना योग्य थी।

बैठक में सेकोसेन (एसएसीओएसएएन) VI के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की गई, बंगबंधु इंटरनेशनल कांफ्रेंस हाल, ढाका, में 11–13 जनवरी, 2016 को पूर्व सम्मेलन और सम्मेलन के कार्यक्रम के एजेंडा साइड कार्यक्रम, प्रदर्शनी और पोस्टर/फोटो प्रदर्शनी में प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधि मंडल शामिल थे।

(viii) स्वच्छता पर दक्षिण एशियाई सम्मेलन (एसएसीओएसएएन–VI)

स्वच्छता पर 6ठे दक्षिण एशियाई सम्मेलन (एसएसीओएसएएन VI) ढाका, बांग्लादेश में 11 जनवरी 2016 से 13 जनवरी 2016 तक आयोजित किया गया। माननीय राष्ट्रपति, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, मोहम्मद अब्दुल हमीद ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। दक्षिण एशियाई प्रयासों पर प्रभाव डालने वाला सम्मेलन सभी के लिए सुरक्षित स्वच्छता की दिशा में किये गए प्रयास के लिए था लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के सतत, विकास लक्ष्यों (एसडीजी) जो अधिक चुनौतीपूर्ण है, में बदलने के लिए क्षेत्रीय प्रतिबद्धता का की आवश्यकता है। भाग लेने वाले देशों और विकसित समुदाय से अधिक सतत नेतश्त्व की भागीदारी और अधिक जमीनी नवाचारों के लिएयह बदलाव, अबआवश्यक होगा।

भारत सरकार और विभिन्न राज्यों के अन्य अधिकारियों सहित माननीय मंत्री (आरडी, डीडब्ल्यूएस और पीआर) और अतिरिक्त सचिव, एमडीडब्ल्यूएस ने सम्मेलन में भाग लिया। महिलाओं के बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ सभी हितधारकों, ग्राम पंचायतों, नागरिक सोसायटी, बहुपक्षीय गैर सरकारी संगठनों आदि से भागीदारों सहित 78 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। श्री बीरेंद्र सिंह, माननीय मंत्री (आरडी, डीडब्ल्यूएस और पीआर) ने 11 जनवरी, 2016 को सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने स्वच्छता में देश की उपलब्धि और आगे आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला। भारत ने अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता भी की।

3.3 राज्यों से प्राप्त झलकियां

राज्य वे इकाईयां हैं जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा स्वच्छता की जिम्मेदारी दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दिशा निर्देशों ने इसके कार्यान्वयन में लचीलापन प्रदान किया है, और कई राज्य स्वच्छता में आकर्षक प्रगति करने में इस लचीलेपन का उपयोग कर रहे हैं। 90 प्रतिशत स्वच्छता कवरेज के साथ सिक्कम और केरल अग्रणी राज्य हैं। दूसरे राज्य भी उनसे थोड़ा ही पीछे हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ में समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता

3.3.1 छत्तीसगढ़ एक आदिवासी राज्य है जिसकी स्थापना मध्यप्रदेश का विभाजन करके वर्ष 2000 में की गई थी। राज्य ने समुदाय आधारित सम्पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) की पॉलिसी को अपनाया है जिसका उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति पाना है। इसके अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त गांवों पर ध्यान दिया जा रहा है, और सामुदायिक उपागम के माध्यम से गांव को खुले में शौच से मुक्त होने के बाद इसने पूरे समुदाय को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जिलों को लचीलापन प्रदान किया गया है। विभिन्न प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप राज्य के 1123 गांव खुले में शौच से मुक्त बन चुके हैं। राजनंदगांव जिले का एक पूरा खण्ड खुले में शौच से मुक्त बन चुका है। नौ महीने की अवधि में 1.60 लाख शौचालय बनाए गए हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में 85 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते थे। 2012–13 का बेस लाइन सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 10,32,000 शौचालय निष्क्रिय थे। पहले के स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बनाए गए शौचालयों में से लगभग आधे खराब हालत में पाए गए।

उपरोक्त परिस्थितियों में राज्य में स्वच्छता के लिए व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण उपागम के प्रतिमान को प्रयोग करना अनिवार्य था। समुदाय आधारित उपागम को शुरू में दो जिलों– राजनंदगांव और रायगढ़ में अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत जिले की टीमों को प्रशिक्षित संगठन द्वारा सहायता प्रदान की गई। इस सफलता के आधार पर राज्य ने सीएलटीएस मॉडल को चिरस्थायी व्यवहार परिवर्तन के लिए राज्य पॉलिसी के रूप में अपनाया गया। इस उपागम का उद्देश्य शौचालयों के निर्माण के स्वास्थ्य संबंधी लाभों के प्रति जागरुकता पैदा करके, खुले में शौच जाने के कलंकित करने वाले व्यवहार के बारे में जागरूकता पैदा करके और इस लक्ष्य को कार्यान्वयन द्वारा मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों का क्षमता संवर्धन करके गांव के समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना था। प्रशासन की भूमिका एक सहायक की थी, जिसने लोगों को प्रशिक्षण दिया और सकारात्मक बदलाव लाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

राज्य में स्वच्छता के लिए निम्न प्रमुख पहले प्रारंभ की गई :

- लागू करने और निगरानी के लिए ग्राम पंचायत की अपेक्षा गांव को एक इकाई के रूप में चुना जाना है।
- गांव के स्तर पर सामाजिक लामबंदी गतिविधियां/प्रोत्साहन को देने वालीगतिविधियां आयोजित की जाती हैं। लाभ प्राप्तकर्ता या गांव की जल आपूर्ति और स्वच्छता समीति (वीडबल्युएससी) को कोई अग्रिम वित्त प्रदान नहीं किया जाता है।
- समुदाय/व्यक्ति विशेष को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में तीन प्रतिमानों को अपनाया गया है। ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) होने के बाद और इसे तीन महीने तक बनाए रखने के लिए या तो पूरे समुदाय को या एक परिवार को प्रोत्साहन दिया जा सकता है यदि वे एक शौचालय का निर्माण करते हैं और उसे तीन महिने तक प्रयोग करते हैं। अगर परिवार वंचित समुदाय से है तो उसे प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत हिस्सा अग्रिम प्रदान किया जा सकता है।
- शौचालय निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के

बारे में बताने की अपेक्षा समुदाय को खुले में शौच जाने के जोखिम और स्वास्थ्य पर इसके बुरे प्रभाव को समझाने का प्रयाय किया जाता है।

- राज्य, जिला, खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर नवरत्नों (नौ जानेमाने लोगों) को चुना जाता है ताकि वे सामुदायिक लीडरों के रूप में प्रक्रिया का नेतृत्व कर सकें।
- निगरानी समीति का निर्माण किया जाता है जिसमें स्वाभाविक नेता/गांव के सक्रिय लोगों को शामिल किया जाता है। ओडीएफ की स्थिति पर निगरानी रखने के लिए बच्चों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है।
- जल और स्वच्छता के लिए संयुक्त कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- सभी चुने हुए प्रतिनिधियों और आंगनवाड़ी कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, ग्राम पंचायत सचिव, शिक्षकों आदि के लिए शौचालयों को अनिवार्य बनाया गया है।
- नव चयनित नेताओं को "स्वच्छता शपथ" दिलाई जाती है।
- ओडीएफ गांवों में दूसरी विकास योजनाओं को वरीयता दी जाती है।
- सीएलटीएस को लागू करने में सभी हिस्सेदारों की क्षमता बढाने का उपाय अपनाया जाता है।
- लाभार्थी की इच्छा और गांव की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार शौचालय की तकनीकी का चयन करने में लचीलापन प्रदान किया जाता है।
- आपूर्ति श्रंखला को सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट सैनिटरी सामान के उद्यमियों के साथ संबंधों का विकास किया जाता है।

निगरानीः इंजिनियरों द्वारा गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। शौचालय के प्रयोग और चिरस्थायीत्व की निगरानी रालू (रैपिड एक्शन एण्ड लर्निंग यूनिट) की तीसरे पक्ष की व्यवस्था के माध्यम से की जाती है। रालू स्वास्थ्य परिणामों पर आधारित अध्ययन के माध्यम से प्रभावों की निगरानी भी करता है। ओडीएफ की स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित निगरानी का विकास भी किया जाता है।

पश्चिमी बंगाल के नाडिया जिले को 30 अप्रैल 2015 को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया–जो यूएन लोक सेवा पुरस्कार 2015 का विजेता है

3.3.2 एक साहसी जिलाधीश द्वारा 15 जुलाई 2013 को लॉन्च किए गए एक अभियान के परिणामस्वरूप 30 अप्रैल 2015 को सभी 89 ग्राम पंचायतें 100 प्रतिशत खुले में शौच से मुक्त हो गई जिसके परिणाम स्वरूप स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत के बाद से नाडिया खुले में शौच मुक्त पहला जिला बन गया। 2013 में नदिया में 3,09,881 परिवारों के पास शौचालयों की सुविधा नहीं थी और वे खुले में शौच जा रहे थे। व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए एक कार्यनीति बनाई गई, स्वच्छता के लिए शौचालयों की सार्वभौमिकता उपलब्धता का प्रावधान किया गया और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

खुले में शौच मुक्त नदिया के आधारभूत अंग निम्नलिखित थेः

- बेस लाइन सर्वे के आंकड़ों का विश्लेशण, सघन नियोजन गतिविधियां।
- समाज के सभी वर्गों के लोगों को शामिल करते हुए व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण।
- मानव संसधान के विकास में प्रोत्साहन, विशेष रूप से राजमिस्त्रियों के कौशलों का विकास
- सेवा प्रदान करने की प्रणाली को मजबूत बनाना और इसमें हिस्सेदारों को शामिल करना
- अभिसरण, समन्वय और निगरानी–जिला परिषद और जिला प्रशासन

नादिया जिले को खुले में शौच मुक्त बनने की घोषणा के लिए आयोजन

- ग्राम पंचायतों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य बिंदु बनाया गया।
- ग्रामीण स्वच्छता बाजार (आरएसएम) ने सामग्री प्रदान की। स्वयं सहायता समूहों का भी प्रयोग किया गया।

स्कूलों में शपथ अभियान के माध्यम से हिस्सेदारी को बढ़ाया गया। विद्यार्थियों को परिवर्तन के अभिकरणों के रूप में प्रयोग किया गया। प्रोत्साहन के लिए स्वयं सहायता समूहों को भी प्रयोग किया गया। चिकित्सकों को रोगियों को शौचालय और स्वच्छ व्यवहार अपनाने की सलाह देने के लिए कहा गया। विभिन्न हिस्सेदारों की क्षमता को बढाया गया–जैसे शिक्षक, स्वयं सहायता लीडर, आरएसएम, राजमिस्त्री आदि। आईईसी/बीसीसी अभियान जोर–शोर से चलाए गए जैसे मिनी मैराथन, हॉट एयर बैलून, 122 किमी लम्बी मानव श्रंखला (जिसमें पूरे जिले के 3.5 लाख लोगों ने भाग लिया)। खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक बस्ती में पैरा नजरदारी समीतियों का निर्माण किया गया।

बांको–बिकानो–लोगों का एक आंदोलन

3.3.3 राजस्थान राज्य में थार मरुस्थल के बीच बिकानेर जिले में स्वच्छता कार्यक्रम लगभग असफल हो चुका था, क्योंकि वहां स्वच्छता के पारम्परिक उपागम को अपनाया गया था। लेकिन अप्रैल 2003 में जब इसे लॉन्च किया गया तो बैंको बिकानो अभियान ने हर किसी को हैरान कर दिया। यह कार्यक्रम सरकार के दूसरे टारगेट उन्मुख कार्यक्रमों की तरह नहीं था यह समुदाय आधारित और समुदाय द्वारा संचालित था। इसके अलावा इस कार्यक्रम का आधारभूत सिद्धांत गौरव था–महिलाओं के लिए गौरव और आत्म सम्मान, परिवार के लिए गौरव, गांव के लिए गौरव और अंत में जिले के लिए गौरव। स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हुए यह विचार और दृष्टिकोण ग्रामीण बिकानेर

के सामाजिक ताने–बाने में समाहित हो गया और कार्यक्रम लगभग स्वयं चलने वाला बन गया।

जल और स्वच्छता कार्यक्रम (डबल्युएसपी) की तकनीकी सहायता से जिलाधीश ने निष्ठावान टीम का निर्माण किया, जिला संसाधन समूह बनाया और लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। हिस्सेदारों की क्षमता के साथ समुदाय ने नेतश्त्व किया, शौचालय स्वयं हिस्सेदारों द्वारा बनाए जाते थे, जिनकी निगरानी निगरानी समीतियों द्वारा की गई और ओडीएफ की उपलब्धियों पर नजर रखी गई। इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को मुख्य केंद्र बनाया गया। सभी 219 पंचायतों में इस कार्यक्रम ने कमाल की सफलता हांसिल की और 890 गांवों को ढाई साल की अवधि में खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया।

कलेक्टर आरती डोगरा, जिन्होंने बांको बिकानेर अभियान की शुरूआत की, का कहना है,

"प्रत्येक शाम और सुबह पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के समूहों को बिकानेर के रेत के टीलों में घूमते देखा जा सकता था। निगरानी समीति के नाम से विख्यात इन विजातीय समूहों का नेतृत्व बच्चों की टोलियों द्वारा किया जाता है और इनका एक सामान्य उद्देश्य होता है–गांव के उन लागों को ढूंढना और शर्मिंदा करना जो सुबह के अंधेरे में खुले में शौच जाने के लिए बाहर निकलते हैं। यह गतिविधि दो साल पुराने समुदाय द्वारा संचालित बांकों बिकानेर अभियान का एक हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के बिकानेर जिले की पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाना था। इस अभियान के लॉन्च होने के बाद से, जिसका नेतृत्व स्थानीय समुदाय करता था और जिला प्रशासन द्वारा सहायता प्रदान की गई, जिले की 200 पंचायतों को ओडीएफ घोषित किया जा चुका है।"

सच्चाई यह है कि खुले में शौच जाने वालों को अपने और समाज के स्वास्थ्य के खतरों के बारे में जानकारी होती है। लेकिन यह ज्ञान शौचालय बनाने और उन्हें प्रयोग करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस सदियों पुरानी परम्परा के जारी रहने का कारण गरीबी और शौचालय को बनाने के लिए जगह की कमी को बताया था, लेकिन यह कारण सही नहीं था इसे साबित करने के पर्याप्त प्रमाण मिल चुके हैं। समुदायों को चिढ़ा कर और स्वच्छता में गौरव महसूस करवा कर उन्हें प्रेरित किया गया। एक बार सामूहिक दृष्टिकोण को बदलने के बाद समुदायों ने मिलकर काम किया और यह सुनिश्चित करने के लिए नई विधियों का प्रयोग किया कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति शौचालय बनाए और इसे प्रयोग करे। इस प्रकार शौचालय परिवार और समुदाय की आकांक्षापूर्ण जरूरत और सम्मान और गौरव का प्रतीक बन गया, न कि सरकार द्वारा लोगों को केवल वित्तीय सहायता ही प्रदान करना है। बिकानेर में शौचालयों का भुगतान पूरे गांव को खुले में शौच मुक्त बनाने और इसे आगे भी जारी रखने के बाद किया गया। इस प्रकार सुबह निगरानी के माध्यम से ओडीएफ को सुनिश्चित करना समुदाय के हित में था। एक सहायक (व्यवहारात्मक परिवर्तन का) के रूप में बिकानेर में प्रशासन को पुनः स्थापित करके और व्यक्तिगत रूप से शौचालय प्रदान न करके समुदाय को सामूहिक रूप से जागरुक बनाया गया। इससे बिकानेर में ओडीएफ गांवों की संख्या बढ़ती गई और जनवरी 2015 में शौचालय कवरेज का प्रतिशत 29 प्रतिशत (जनगणना 2011) से 82 प्रतिशत तक बढ़ गया। दो साल की अवधि के दौरान जिले में 1,99,000 शौचालयों का निर्माण किया गया, जो इस बात का प्रमाण था कि जब समुदायों को खुले में शौच मुक्त बनाने का इरादा कर लिया जाए तो शौचालय अपने

आप बन जाते हैं।"

3.3.4 ऑपरेशन मलयुद्ध-खुले में शौच मुक्त हरदा के सपने को साकार करना

हरदा मध्य भारत में मध्य प्रदेश का एक जिला है। इस जिले में स्वच्छता को बढावा देने के लिए कई नई विधियों को अपनाया गया है।

'गंदगी के विरुध लड़ाई' अर्थात ऑपरेशन मलयुद्ध की शुरूआत सरकार की बजाय लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी डालकर गांवों में खुले में शौच मुक्त वातावरण बनाने के लिए जागरुक करने के एक प्रयोग के रूप में की गई थी। धीरे धीरे यह एक अधिक संस्थागत अभियान बनता गया जिसमें प्रत्येक संभावित हिस्सेदार को शामिल कर और उन्हें व्यवहार पविर्तन की प्रक्रिया में बदलाव का एक अभिकरण बनाया गया। कुछ नए तरीकों के साथ शौचालय निर्माण की नीरस योजना एक मजेदार और विकासशील योजना बन गई। ये नई खोजें निम्न थीः

- अभियान को एक नाम, प्रतीक, कथानक गीत और स्थानीय ब्राण्ड एम्बेसडरों के साथ एक ब्राण्डिंग करना।
- सामूहिक चर्चा, साक्षात्कार और शारीरिक तंदुरस्ती के साथ नियमितता परीक्षण की एक विशेषत्रिस्तरीय निष्कासन प्रक्रिया द्वारा अभिप्रेरकों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं, बल्कि अनुशासन, गंभीरता और सम्प्रेषण कौशलों के आधार पर किया गया।
- अभिप्रेरकों को एक परिणाम उन्मुख प्रोत्साहन प्रणाली (15000 रुपये प्रत्येक ग्राम पंचायत को और 250 रुपये दैनिक) में शामिल किया गया जिसके परिणामस्वरूप ओडीएफ की स्थिति को प्राप्त किया गया, न कि शौचालय की संख्या को, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय जोखिम पूरी तरह से दूर हो गया। 6 माह के बाद टॉप अप (5000 रुपये) और एक साल बाद टॉप अप (5000 रुपये) का प्रावधान करके चिरस्थायीत्व का ध्यान रखा गया और ओडीएफ का दर्जा प्राप्त किया गया। दैनिक भत्ता 90 दिन तक सीमित था (रिसर्च के अनुसार अधिकतम निगरानी अवधि)।
- जिले का प्रत्येक नागरिक व्यवहार परिवर्तन अभियान का एक हिस्सेदार होता है; इसलिए 4000 लोगों को इन–हाउस प्रशिक्षण मॉड्यूल में शामिल किया गया; प्रशिक्षित किए गए सभी लोगों के पास उप–समूहों को प्रशिक्षित करने की विभिन्न क्षमताएं थी जैसे धार्मिक नेता, जाति और सामुदायिक संघों के नेता, स्वास्थ्य, राजस्व, सहाकारी, डेयरी और आईसीडीसी कार्यकर्ता, न्यायपालिका, पुलिस और वन अधिकारी।
- बार ऐसोसिएशन ने उन गांवों के ग्राहकों से कम फीस लेने की घोषणा की जो खुले में शौच मुक्त थे। जातीय संघों ने गांवों को ओडीएफ बनाने के लिए उन्हें गोद लिया और चुनौती दी कि उनकी जाति का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाता। चिकित्सकों ने शौचालय की स्थिति और खुले में शौच की स्थिति को अपने रोगियों के परामर्श में लिखना शुरू कर दिया। निजी स्कूलों के मालिकों ने अपने विद्यार्थियों के माता पिता को अपने घर में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए सत्रों का आयोजन करना शुरू किया ताकि उनके बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति बढ़ सके। जो सहकारी समीतियां सस्ते दाम की दुकानों के माध्यम से खाद्य अनाज वितरित करती हैं उन्होंने अपने ग्राहकों को पहले शौचालय का निर्माण करने और उसके बाद महीने का राशन लेने आने की सलाह दी। धार्मिक नेताओं ने अपने उपदेशों में ओडीएफ के महत्व को बताना शुरू किया।
- सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों से एक शपथपत्र लिया गया कि वे शौचालय का प्रयोग करते हैं और उन्हें विभिन्न धाराओं की जानकारी दी गई जिनके अंतर्गत खुले में शौच करना कानूनी जुर्म होता है। योग दिवस, शिक्षक

दिवस, बाल दिवस, नशा मुक्ति दिवस, गांधी जयंती, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस–इन सभी को स्वच्छता का रंग दिया गया ताकि ओडीएफ हरदा और मलयुद्ध का संदेश दिया जा सके।

- शौचालय निर्माण में सभी प्रकार के तकनीकी विकल्पों जैसे पूर्व निर्मित आरसीसी, यथा–स्थापन कास्ट ब्लॉक, पारम्परिक इंटें, फ्लाई ऐश, हवा द्वारा पकाए गए आधुनिक ब्लॉक आदि को प्रोत्साहित किया गया और किसी एक प्रतिमान पर अधिक बल नहीं दिया गया। शौचालय के सभी संभावित प्रतिमानों को जिला पंचायत कार्यालय में स्थिति जल एवं स्वच्छता पार्क में प्रदर्शित किया गया।

- गांवों में सीमित समय में आवश्यक संख्या में शौचालय बनाने के लिए 'कलस्टर अटैक' और 'जीरो डेज' आयोजित किए गए ताकि भारी संख्या में शौचालयों का निर्माण किया जा सके।

- डायस्पोरा नामक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट और ग्राम पंचायतों से एमएस एक्सेल ऑफिस फोर्मेट में भुगतान शीट प्राप्त करने और निर्मित हो चुके शौचालयों के लिए भुगतान जारी करने के लिए सेंडस्पेस नामक एक फाइल शेयरिंग वेबसाइट का प्रयोग किया गया।

- ग्रामीण लोगों द्वारा 'स्वच्छता उत्सव' मनाना जिसके अंतर्गत वे अपने गांव के उन स्वच्छ स्थानों पर एक 'गौरवषाली सैर' करते हैं जहां पहले वे शौच जाते थे, निगरानी रखने वाली टीमों को पुरस्कार देते हैं, नए शौचालयों का निर्माण करने वालों को सम्मान देते हैं, 'लोटा जलाओ' में गांव में खुले में शौच के प्रतीक को जलाते हैं और अंत में हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं और गांव के स्वच्छता नियमों का अनावरण करते हैं जिनमें कानूनी प्रावधान और भविश्य में इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुध धाराएं शामिल होती हैं।

- पंचायत द्वारा निर्मित शौचालयों की बजाय स्वयं द्वारा शौचालयों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा बंधन के त्यौहार पर भाई नम्बर वन अभियान की शुरूआत की गई, जिसके अंतर्गत 500 से अधिक ऐसे भाईयों को पुरस्कार दिया गया जिन्होंने राखी बंधवाने से पहले अपनी बहनों को एक शौचालय भेंट करके उनके सम्मान को सुरक्षित किया और नव निर्मित शौचालय के सामने खड़े होकर 'सेल्फी विद सिस्टर' को शेयर करके गौरव का अनुभव कराया; भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस शुरूआत को देश को अपने संबोधन–मन की बात में शामिल किया।

रक्षा बंधन के अवसर पर भाईयों द्वारा अपनी बहनों को शौचालय उपहार में दिए जाने का अभियान

3.3.5 चिरस्थायीत्व को बढावा देने के लिए जिला प्रशासन के आग्रह पर सहयोग प्राइवेट डेयरी 'पवित्र गाय प्रोत्साहन योजना' के अंतर्गत ओडीएफ गांवों से 25 पैसे प्रति लीटर अतिरिक्त के भाव से दूध खरीद रहा है क्योंकि ओडीएफ गांवों में मवेशियां खुले में पड़े लोगों के मल के सम्पर्क में नहीं आती।`

- ओडीएफ गांवों के ग्रामीणों और वॉल्युंटियर्स को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुरस्कार प्रदान करने के लिए गांव, खण्ड और जिला स्तर पर ओडीएफ ओलम्पिक का आयोजन किया गया। 20 से भी अधिक आयोजनों, कबड्डी, खोखो, तीन टांगों की रेस, सैक रेस, धीमी साइकिल रेस, ऊठक बैठक, पुश अप आदि में 10 से 60 वर्ष की आयु के 1100 हिस्सेदारों ने भाग लिया। जो गांव ओडीएफ नहीं थे वे इस आनंद और मस्ती से वंचित रहे, और राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खिलाड़ियों वाले गांव भी इस ओडीएफ ओलम्पिक में भाग लेने से वंचित रहे।

- स्वच्छ रसोई–सुंदर रसोई नामक प्रतिस्पर्धा उन स्वयं सहायता समूहों के बीच आयोजित की जा रही है जो ओडीएफ गांवों के स्कूलों में मिड–डे मील को तैयार करते हैं।

- रद्दी से समृद्धि कार्यक्रम एक प्रयोग था जिसके अंतर्गत प्लास्टिक बैग, लिफाफों आदि स्वच्छ नॉन–बायोडिग्रेडेबल कचरे के टुकड़ों को भरकर मुलायम खिलौने बनाना शामिल था; इस व्यापार में 35 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कूड़े से कलाकृति प्रदर्शनी एवं बिक्री स्कूल और कॉलिज के विद्यार्थियों और कारीगरों के लिए कचरे से निर्मित विभिन्न कलाकृतियों और कलाओं को दिखाने का एक अवसर है जो जीवनयापन का स्रोत बन सकती हैं।

3.4 उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की गतिविधियों

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कार्य निश्पादन

3.4.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)के अंतर्गत देश के सभी हिस्सों में ग्रामीण जनसंख्या के लिए शौचालय का प्रावधान किया गया है। लेकिन उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यक्तिगत रूप से परिवारों के लिए शौचालयों के निर्माण को वरीयता दी गई है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों में निर्मित व्यक्तिगत परिवारों के लिए शौचालयों के लिए केंद्र और राज्य 90:10 अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

वर्ष 2015–16 के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 652.5 करोड़ रुपये (6525 करोड़ रुपये के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत) आबंटित किए गए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2014–15 और 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक) के दौरान वित्तीय और वास्तविक उन्नति का विवरण नीचे दिया जा रहा है।

3.4.2 (क) 2014–15 और 2015–16 के दौरान वित्तीय स्थिति (दिसम्बर 2015 तक)

उत्तर पूर्वी राज्य में 2014–15 के दौरान राज्य अनुसार शुरूआती शेष, जारी वित्त और खर्च इस प्रकार है:

रुपये करोड़ों में

क्रम संख्या	राज्य	1.4.2014 को आरंभिक शेष	जारी की गई राशि	कुल	खर्च
1	अरूणाचलप्रदेश	4.90	14.61	19.52	14.26
2	असम	106.34	185.78	292.12	120.44
3	मणीपुर	15.67	9.18	24.86	19.93
4	मेघालय	75.88	0.00	75.88	36.67
5	मिजोरम	9.61	0.00	9.61	2.57
6	नागालैंड	0.44	20.87	21.32	0.76
7	सिक्किम	6.23	3.89	10.12	5.19
8	त्रिपुरा	15.76	50.65	66.41	16.81
	कुल	**234.84**	**284.99**	**519.83**	**216.62**

3.4.2 (ख) 2015-16 के दौरान वित्तीय स्थिति (दिसम्बर 2015 तक)

2015–16 (31–12–2015 तक) के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों में आरंभिक शेष, जारी वित्त और खर्च का विवरण इस प्रकार है:

रुपये करोड़ों में

क्रम संख्या	राज्य	1.4.2015 को आरंभिक शेष	जारी की गई राशि	कुल	खर्च
1	अरुणाचल प्रदेश	5.15	12.20	17.35	7.82
2	असम	170.96	187.67	358.63	263.16
3	मणीपुर	4.63	8.19	12.82	40.23
4	मेघालय	37.75	22.47	60.22	30.60
5	मिजोरम	6.99	3.32	10.31	1.64
6	नागालैंड	19.99	10.83	30.82	18.66
7	सिक्किम	4.93	1.93	6.86	3.78
8	त्रिपुरा	49.76	15.39	65.15	24.45
	कुल	**300.15**	**262.00**	**562.15**	**390.34**

3.4.3 (क) वास्तविक उन्नति: 2014-15

क्र म संख्या	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता कॉम्पलेक्स
1	अरूणाचल प्रदेश	10435	2467	12902	139
2	असम	63313	84924	148237	8
3	मणीपुर	14346	13514	27860	1
4	मेघालय	29186	12816	42002	63
5	मिजोरम	212	322	534	1
6	नागालैंड	0	0	0	0
7	सिक्किम	3547	15	3562	36
8	त्रिपुरा	11425	13444	24869	5
	कुल	**132464**	**127502**	**259966**	**253**

3.4.4 (ख) वास्तविक उन्नतिः 2015–16 (दिसम्बर 2015 तक संख्या)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता कॉम्पलेक्स
1	अरूणाचल प्रदेश	4606	2007	6613	37
2	असम	65598	276348	341946	22
3	मणीपुर	13478	21793	35271	6
4	मेघालय	18206	9729	27935	86
5	मिजोरम	582	456	1038	3
6	नागालैंड	14763	1278	16041	46
7	सिक्किम	3326	45	3371	12
8	त्रिपुरा	3727	22421	26148	11
	कुल	**124286**	**334077**	**458363**	**223**

खुले में शौच मुक्त लकुवा खण्ड, शिवसागर, असम

3.4.5 असम के शिवसागर जिले का लकुवा खण्ड पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है। शिवसागर के कॉलेक्टर श्री विरेंद्र मित्तल कहते हैं कि ओडीएफ अवस्था प्राप्त करने के लिए उन्हें चार एम के महत्व का पता चला– मोटिवेशन (अभिप्रेरण ा), मनी (पैसा), मैसन (राजमिस्त्री) और मोनिटरिंग (निगरानी)। वित्त जारी करने की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया, लोगों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया और जिले में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को भी शामिल किया गया।

ओडीएफ अवस्था को प्राप्त करने में मुख्य दो चुनौतियां थी– (1) आधार रेखा सर्वे में शेष रह चुके लोगों को शौचालय प्रदान करना और निष्क्रिय हो चुके शौचालयों को फिर से चालू करना और (2) स्वच्छता शौचालयों को प्रयोग करने के लिए दृष्टिकोण में परिवर्तन। पहली चुनौती को विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा करके दूर किया गया जैसे मनरेगा, जिला परिषद, सरकारी उपक्रम, बैंक और समाजसेवी लोगों से प्राप्त योगदान ने लकुवा विकास खण्ड को खुले में शौच मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी चुनौती को शिवसागर के कलेक्टर के नेतृत्व द्वारा दूर किया गया किया और स्थानीय लोगों और पीएचईडी के अधिकारियों सहित पीआरआई, एनजीओ/एसएचजी, जूनियर इंजीनियरों, रिसोर्स पर्सन आदि के साथ ओडीएफ अवस्था प्राप्त करने के महत्व की चर्चा करने और कार्य की समीक्षा करने के लिए साप्ताहिक बैठकें आयोजित की जो लकुवा में "शनिवार की बैठक" के नाम से लोकप्रिय हुई।

असम के पास एहोम शासन का एक गौरवशाली इतिहास है जिसने गौरवशाली एहोम राजाओं के इतिहास के द्वारा लोगों को प्रेरित करने में सहायता की। इसके अलावा चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को असम के सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक विकास में उनके योगदान को स्मरण कराया गया और स्वच्छता शौचालयों का प्रयोग करके अपना व्यक्तिगत

विकास करने के लिए प्रेरित किया गया। पीआरआई, पीएचई अधिकारियों के साथ निरंतर सम्पर्क से टीम के उत्साह को बढाया गया और टीम का प्रत्येक सदस्य लकुवा खण्ड को खुले में शौचमुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध था।

कार्यकारी टीम के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्प्रेषण चैनल के साथ साथ एक मजबूत नेतृत्व; सामुदायिक भागीदारी; संसाधनों को बढाने के लिए गैर–सरकारी स्रोतों से प्राप्त वित्त; प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना और अंतिम पर महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रभावी समन्वय ने निरंतर बारिश और तीन महिने तक जलभराव की समस्या के बावजूद 11 माह में लुकवा को ओडीएफ बनाने में सहायता की।

3.5 अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और आदिवासी उप योजना (टीएसपी)

एससी और एसटी के लिए प्रावधान

3.5.1 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य 2 अक्तुबर 2019 तक पूरे ग्रामीण भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करना है। इसमें पूरी ग्रामीण जनसंख्या के लिए शौचालयों का निर्माण करना शामिल है। अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के निर्देशों के अनुसार प्रोत्साहन देने के प्रावधान को विस्तृत किया गया है, जिसमें 1.4.2012 से एससी और एसटी वर्गों से संबंध रखने वाले गरीबी रेखा से ऊपर परिवारों को भी शामिल किया गया है।

2011 से कुल आबंटन का 22 प्रतिशत अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के लिए रखा गया और 10 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति योजना (टीएसपी) के लिए रखा गया है।

2015–16 के लिए 1435.5 करोड़ रुपये (6525 करोड़ रुपये का कुल 22 प्रतिशत) एससी के लिए आबंटित किया गया है और 652.5 करोड़ (6525 करोड़ रुपये का 10 प्रतिशत) एसटी के लिए आबंटित किया गया है। इसमें से एससीएसपी के अंतर्गत 847.57 करोड़ रुपये को पहले ही राज्यों को जारी कर दिया गया है, जबकि दिसम्बर 2015 तक 412.99 करोड़ रुपये पहले ही टीएसपी के अंतर्गत राज्यों को जारी कर दिए गए हैं।

एसबीएम (जी) के अंतर्गत एससी/एसटी के लिए किए गए विकास को ऑनलाइन निगरानी प्रणाली के द्वारा निगरानी की जा रही है। दिसम्बर 2015 तक 2015–16 के दौरान कुल 76.81 लाख व्यक्तिगत परिवारों के लिए निर्मित शौचालयों में से 13.94 लाख (18.15 प्रतिशत) आईएचएचएल एससी परिवारों के हैं और 11.02 लाख (14.35 प्रतिशत) आईएचएचएल एसटी परिवारों के हैं। राज्य अनुसार विवरण सलंग्नक–8 में दिया गया है।

3.6 व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण (बीसीसी)

3.6.1 व्यवहार परिवर्तन सम्पेषण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कार्यक्रम की सफलता का आधार है। यह लोगो को उनकी भूमिका, जिम्मेदारियों और उचित स्वच्छता के लिए किए गए निवेश से मिलने वाले लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देने, शिक्षित करने और प्रेरित करने का एक मंच है। प्रभाव डालने का सबसे बेहतरीन तरीका है एक सम्पूर्ण उपागम को अपनाना जो समुदायों को ऐसी भागीदारी और प्रविधियों के माध्यम से सशक्त बनाता है जो स्वच्छता की स्थिति के संबंध में ज्ञान से परिपूर्ण निर्णय लेने के लिए समुदाय के सदस्यो को प्रेरित करती हैं। सामुदायिक स्तर पर सम्प्रेषण को लोक संचार के माध्यमों द्वारा व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण प्रोत्साहन द्वारा सशक्त बनाया जा सकता है, जो खुले में शौच करने के संबंध में बदलते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक नियमों और वातावरण को साफ रखने पर बल देता है।

3.6.2 मंत्रालय ने एक स्वच्छता और सम्प्रेषण कार्यनीति को अपनाया है जिसका उद्देश्य बीसीसी गतिविधियों को लागू करने के लिए राज्यों को एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है ताकि ग्रामीण लोगों में जागरुकता को बढाया जा सके, स्वच्छता सुविधाओं की मांग को पैदा

किया जा सके और साफ वातावरण का निर्माण किया जा सके। स्वच्छता और सम्प्रेषण रणनीति आपसी संवाद सम्प्रेषण (आईपीसी) पर आधारित है जिस पर आईईसी बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा खर्च करने का प्रस्ताव है।

3.6.3 सामुदायिक भागीदारी और सामुहिक व्यवहार परिवर्तन

हालांकि समुदाय आधारित सामूहिक व्यवहार परिवर्तन दृष्टिकोण को एसबीएम (जी) निर्देशों के अंतर्गत वरीयता दी गई है लेकिन इस दृष्टिकोण का चयन करना राज्य पर निर्भर है। इस उपागम की विभिन्न समस्याओं की चर्चा नियमित रूप से राज्यों के साथ की जाती है। इसमें निम्न मुख्य मुद्दों पर चर्चा करना शामिल है:

- राज्यों द्वारा लचीलेपन का प्रयोग: एसबीएम राज्यों को विशेष आवश्यकताओं के आधार पर उनकी लागू करने की नीति और तंत्र में लचीलापन प्रदान करता है, जबकि एक मार्गदर्शक और सहायक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी केंद्र की होती है। इसी तरह से राज्यों को भी लागू करने के तंत्र में जिलों और ग्राम पंचायतों को लचीलापन प्रदान करने की सलाह दी गई है, जो स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप खुला और विश्वास का वातावरण बनता है।

- ग्राम पंचायत आधारित दृष्टिकोण चिरस्थायी सामाजिक बदलाव केवल समुदायों को जिम्मेदारी सौंप कर ही संभव है। हालांकि जिलों और ग्राम पंचायतों के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रमों को वरीयता देने/उनके एजेंडे में शामिल करने के लिए केंद्र और राज्य नेतृत्व करते हैं, लेकिन यह बल दिया जाता है कि प्रशासन की भूमिका को गांव/ग्राम पंचायत में विभिन्न पृष्ठभूमियों और सामाजिक वर्गों के लोगों को एक साथ लाने और स्वच्छता के मुद्दे पर सामूहिक वार्ता की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए अच्छा वातावरण तैयार करने तक ही सीमित रखा जाए। यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि कई जगहों पर ग्रामीण समाज विविधतापूर्ण और भिन्न है, वहां सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक विभिन्नता हो सकती है।

- स्वास्थ्य परिणामों से जुड़ा उचित व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण: सामाजिक बदलाव एक ऐसी चिरस्थायी प्रक्रिया के माध्यम से होता है जो व्यक्तिगत और सामूहिक तौर से जुड़ा होता है। एक मुद्दे को समुदाय के सामने रखने और उसे प्राथमिकता में लाने के लिए व्यापक रणनीतियां विद्यमान हैं। लेकिन महत्वपूर्ण समस्या है एक ऐसी रणनीति का चुनाव करना जो वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से "तटस्थ" हो। इसलिए यह प्रयास किया जाता है कि स्वच्छता संदेश और प्रक्रियाएं स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों और कुपोषण, डायरिया, शिशु और बाल मृत्यु व पानी जनित महामारियों पर वांछित प्रभावों से जुडे हैं, ताकि जीवन की गुणवत्ता का विकास किया जा सके।

- अंतःव्यैक्तिक सम्प्रेषण : सामूहिक दृष्टिकोण और सामूहिक व्यवहार में बदलाव हेतु अंतःव्यैक्तिक सम्प्रेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतःव्यैक्तिक सम्प्रेषण टूल और विधियां खुले विचारों के आदान प्रदान और एक दूसरे की बात को सुनने की इच्छा को बढावा देकर संबंधों का निर्माण करती हैं और उन्हें मजबूत बनाती हैं। लोग "निश्क्रिय श्रोता" नहीं बने रहते; इसकी बजाय वे बदलाव प्रक्रिया के "सक्रिय" हिस्सेदार बन जाते हैं। समुदाय में अंदर से परिवर्तन की इच्छा को जागश्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान की जाती है।

- स्वाभाविक नेताओं की भूमिका: स्वाभाविक नेता सामुदायिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निकल कर सामने आते हैं। ये स्वाभाविक नेता लोगों को एक साथ रखने, गति को बनाए रखने, जिम्मेदारियों को सांझा करने और प्रदान करने तथा विभिन्न

चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भमिका निभाते हैं। इसलिए सामुदायिक प्रक्रिया में स्वाभाविक नेता आगे आने चाहिए, और शुरूआती प्रक्रिया में बदलाव करने से समुदाय आधारित सम्पूर्ण प्रक्रिया के चिरस्थायीत्व को प्रभावित किया जा सकता है।

- ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लसः ओडीएफ को स्वच्छता के भाग के रूप में वरीयता दी जाती है (बच्चों के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव के कारण), लेकिन यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि सम्पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य है सम्पूर्ण स्वच्छता जिसमें सफाई, एसएलडबल्युएम, साफ एवं सुरक्षित पीने के पानी की उपलब्धता, और साफ वातावरण। समुदाय आधारित प्रक्रिया घोषणा और/या ओडीएफ अवस्था को प्राप्त करने तक ही सीमित नहीं है; बल्कि ओडीएफ अवस्था को चिरस्थायी बनाने और गांव के सम्पूर्ण स्वच्छता के उद्देश्य से जोड़ने की जरूरत है।

- विशेष रूप से स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों में महत्वपूर्ण समयों पर हाथ धोने पर ध्यान देने वाले मुख्य स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे और सुरक्षित पीने के पानी संबंधी मुद्दे भी एसबीएम–एसएचएसीएस को लागू करने और संदेश देने के कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा हैं। मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), स्कूलों में मध्यान्न भोजन योजना और आईसीडीएस को इसमें शामिल किया जा रहा है।

3.6.4 अन्य पहलें

जल एवं स्वच्छता जागरूकता सप्ताह को 16 से 22 मार्च 2015 तक पूरे देश में मनाया गया। जुलाई और अगस्त 2015 में अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान को फिर से सितम्बर और अक्टूबर 2015 में आयोजित किया गया।

बड़ी संख्या में समुदाय के कार्यकर्ता आगे आ रहे हैं जो एसबीएम (जी) को एक नागरिक आंदोलन बना रहे हैं। इन कार्यकर्ताओं के नामों को हाल ही में "एन ऑपन माइंड" नामक प्रकाशन में प्रकाशित किया गया है। इसका डिजिटल संस्करण http://www.mdws.gov.in/sites/default/files/ODF%20Book.pdf. में उपलब्ध है।

दृश्य–श्रव्य (टीवी) और श्रव्य (रेडियो) के माध्यम से एक व्यापक मीडिया अभियान शुरू किया गया है। राज्य भी आईईसी अभियान को चला रहे हैं।

सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइक एप पर स्वच्छ भारत ग्रुप बनाया गया है, जिसमें सभी राज्यों और चुने हुए जिलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पूरे देश की घटनाओं को दैनिक आधार पर शेयर किया जाता है। मंत्रालय सक्रिय रूप से ट्विटर हैंडल (@swachbharat) और फेसबुक (Swachh Bharat Mission) को प्रयोग करता है। मंत्रालय की वेबसाइट www.mdws.gov.in को वास्तविक समय में बेहतरीन कार्यों को सांझा करने के माध्यम से अद्यतन किया गया है।

3.7 क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

3.7.1 जल एवं स्वच्छता सहायता संगठनों (डबल्युएसएसओ) राज्य स्तर पर स्थापित किए गए हैं ताकि कार्यक्रम को लागू करने के लिए विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान की जा सके। सम्प्रेषण और स्वच्छता सहायता संगठन राज्यों और जिलों के लिए सम्प्रेषण अभियान तैयार करता है जिसके अंतर्गत समुदायों के व्यवहार परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं।

3.7.2 नए कार्यक्रम को लागू करने के लिए कार्यक्रम के प्रबंधकों और क्षेत्र में कार्यान्वयनकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर बल देने की जरूरत होती है। राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों, विशेष रूप से कलेक्टरों/जिला पंचायतों (जिला स्तर के स्थानीय सरकारी निकाय) के कार्यकारी अधिकारियों के विभिन्न उपागमों में प्रशिक्षण प्रदान करने की जरूरत होती है, विशेष

रूप से सामुदायिक उपागमों और सामूहिक व्यवहार परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा की। इसके अंतर्गत कलेक्टरों (जिला स्तर का मुख्य अधिकारी) के लिए कार्यशालाओं की एक श्रृंखला को शुरू किया जा चुका है–और अब तक केंद्र सरकार द्वारा एक तिहाई कलेक्टरों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अलावा इन क्षमताओं का विस्तार करने के लिए राज्य और क्षेत्रिय स्तरों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। विभिन्न जिलों में क्रॉस विजिट का आयोजन किया जा रहा है। प्रशिक्षित अभिप्रेरकों को चिरस्थायी रूप से शामिल करने के लिए उनके परिणाम आधारित कार्यों हेतु प्रोत्साहन देने के तंत्र को कुछ राज्यों द्वारा स्थापित किया जा रहा है।

3.7.3 जिलाधिकारी/डिप्टी कमिश्नर हेतु स्वच्छ भारत मिशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2015–16 के दौरान किया गया था। विभन्न राज्यों के 131 जिलाधिकारी/डिप्टी कमिश्नर इसमें भाग ले चुके हैं। 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच मुक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए योजनाओं की चर्चा की गई और उनका निर्माण किया गया। विवरण नीचे दिया गया है:

क्रमांक	दिनांक	कुल प्रशिक्षित डीएम/डीसी
1	7–8 मई 2015	7
2	14–15 मई 2015	20
3	29–30 मई 2015	26
4	15–16 जून 2015	33
5	29–30 जून 2015	27
6	19–20 अक्तुबर 2015	18
कुल छह प्रशिक्षण		131

3.7.4 आवश्यक कौशलों को फैलाने के लिए राज्य सरकारों की सलाह पर कुछ संगठनों को मुख्य संसाधन केंद्रो के रूप में शामिल किया जा रहा है और उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे संबंधित राज्यों में क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण दे सकें। इन संगठनों के कार्य को सुव्यवस्थित किया जा रहा है और राज्य तथा उनके बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का विकास किया जा रहा है कि इन प्रशिक्षणों का उचित जुड़ाव हो जिसके परिणामस्वरूप क्षमताओं को बढाया जा सके, प्रशिक्षित लोगों को शामिल किया जा सके और उनका उचित उपयोग किया जा सके।

3.7.5 राज्य और केआरसी के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए राज्यों और केआरसी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित करते हुए चार क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है।

1. उत्तरी क्षेत्र के लिए– 15 सितम्बर 2015 को दिल्ली में
2. मध्य क्षेत्र के लिए–8 अक्टूबर 2015 को लखनऊ में
3. पूर्वी/उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए– 1 दिसम्बर 2015 को गुवाहाटी में
4. दक्षिणी क्षेत्र के लिए– 3 दिसम्बर 2015 को हैदराबाद में

3.7.6 राज्यों द्वारा नियुक्त संगठनों को उनके राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनके कौशलों को बढाया जा रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि इन प्रशिक्षणों के बाद ये संगठन राज्यों में बेहतर प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे।

3.8. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत निगरानी और मुल्यांकन (एम एण्ड ई)

3.8.1 डाटाबेस को सुदृढ़ बानाने के लिए सरकार ने एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) को अपग्रेड किया है ताकि देश के सभी ग्रामीण परिवारों के विवरण और साथ ही 2013 में किए गए आधारभूत

सर्वेक्षण के आंकड़ों का भी रखरखाव किया जा सके। 30 अगस्त 2015 को 181 मिलियन ग्रामीण परिवारों में से 173 मिलियन परिवारों के आंकड़े आईएमआईएस पर उपलब्ध हैं। ये आंकड़े पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। शौचालय युक्त नए परिवारों को इस डाटाबेस में शामिल किया जा रहा है। 2 अक्तुबर 2014 के बाद निर्मित शौचालयों के चित्र को अपलोड करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ये चित्र भौगोलिक मानचित्र पर टैग किए गए हैं।

3.8.2 राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) जैसी एजेंसियों के माध्यम से तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी रखी जा रही है। ओडीएफ पर निगरानी रखने के लिए एक मॉड्यूल आईएमआईएस पर उपलब्ध है। इसके अलावा आईएमआईएस एक मॉड्यूल प्रदान करता है जिसके द्वारा राज्य/जिले प्रोत्साहन राशि को राज्यों को दिए गए लचीलेपन के अनुसार सीधे समुदाय को दे सकते हैं।

3.8.3 रैपिड एक्शन एण्ड लर्निंग यूनिट (आरएएलयू)

कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहनों के बारे में तुरंत फीडबैक प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर रैपिड एक्शन एण्ड लर्निंग युनिट (आरएएलयू) की स्थापना की गई है और इसी प्रकार की लर्निंग यूनिटों की स्थापना राज्य स्तरों पर की जा रही है। आरएएलयू समस्याओं को दूर करने के लिए परामर्श देने और अच्छे कार्यव्यवहार को बढाने वाली छोटी, लचीली और विशिश्ट इकाईयां हैं। वे तुरंत समाधान खोजती हैं और फील्ड में कार्य अनुभव के आधार पर समाधानों का विकास करती हैं, उन्हें सांझा करती है औंर उनका विस्तार करती हैं।

समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण सम्मेलन/ प्रदर्शनियां

4 समीक्षा बैठकें/महत्वपूर्ण सम्मेलन/ प्रदर्शनियां

4.1 राज्यों के मंत्रियों और सचिवों के साथ समीक्षा बैठकें सम्मेलन

4.1.1 ग्रामीण पेय जल और स्वच्छता के प्रभारी राज्य मंत्रियों और सचिवों का सम्मेलन 3 फरवरी 2016 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को लागू करने में अब तक की गई उन्नति की समीक्षा करना, उपलब्धियों का विस्तार करना, नए बेहतरीन कार्यव्यवहारों को साझा करना और स्वच्छता कार्यक्रम को लागू करने और तकनीकी के प्रतिमानों को सांझा करना और ग्रामीण क्षेत्रों में चिरस्थायी स्वच्छता के प्रावधानों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाना था।

4.1.2 अपने संबोधन में स्वच्छ भारत के महत्व को समझाते हुए ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेय जल एवं स्वच्छता मंत्री श्री बिरेंद्र सिंह ने उपस्थित सभी लोगों की इस भावना पर विशेष बल दिया कि पानी की पर्याप्त उपलब्धता के बिना सम्पूर्ण स्वच्छता का सपना साकार करना असंभव है और इसलिए दोनों योजनाओं को साथ साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत के सपने को हकीकत में बदला जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक परिवार में शौचालय का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसका निरंतर प्रयोग और सफाई बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए दृष्टिकोण में बदलाव आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए धन की कमी बाधा नहीं बननी चाहिए और राज्यों को भी अपने संसाधनों से धन इकट्ठा करना चाहिए ताकि दोनों क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं की उन्नति को सुनिश्चित किया जा सके, जो कि राज्य के ''विषय'' हैं।

4.2 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)

4.2.1 मंत्रालय की वेबसाइट

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के वेबसाइट को पिछले छह सालों से, एनआईसी की सहायता से डिजाइन, विकसित और रखरखाव किया जा रहा है। इस वेबसाइट को हाल ही में जीआईजीडबल्यु (भारत सरकार की वेबसाइट के लिए दिशा–निर्देश) के अनुसार अद्यतन किया गया है। इस वेबसाइट पर मंत्रालय के निर्देश, पत्र, सर्कुलर नागरिको के लिए जल एवं स्वच्छता से संबंधित स्थान, जल और स्वच्छता के लिए स्थान और आर्काइव सहित जानकारियां उपलब्ध हैं। इस वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) परिपत्र

(ii) दिशा निर्देश

(iii) नागरिक सूचना और बेहतरी कार्यव्यवहारों को अपलोड करना

(iv) अर्काइव

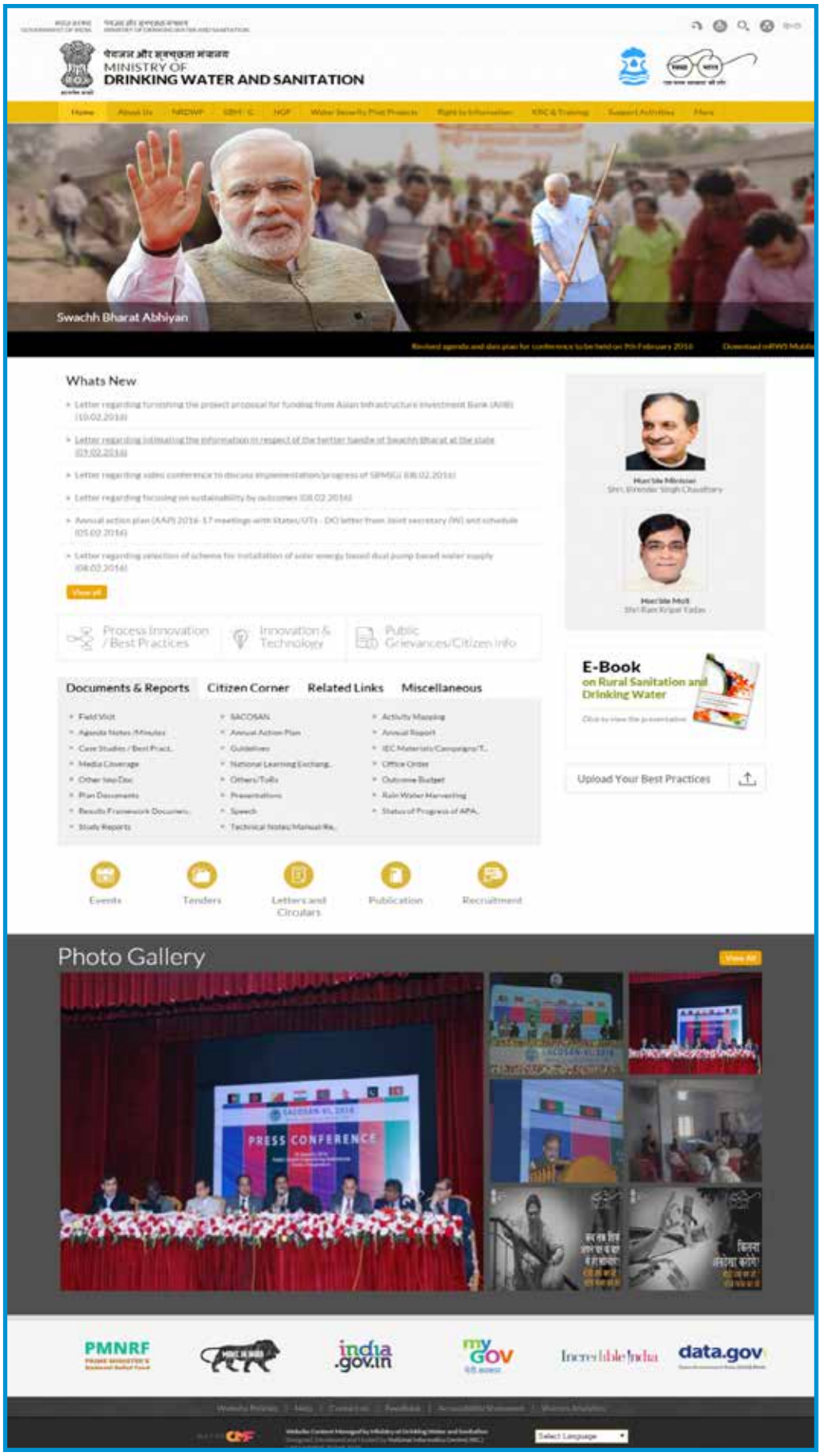
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
MINISTRY OF
DRINKING WATER AND SANITATION
Swachh Bharat Abhiyan
Whats New
Process Innovation / Best Practices
Innovation & Technology
Public Grievances/Citizen Info
Documents & Reports
Citizen Corner
Related Links
Miscellaneous
E-Book
on Rural Sanitation and Drinking Water
Upload Your Best Practices
Events
Tenders
Letters and Circulars
Publication
Recruitment
Photo Gallery
PRESS CONFERENCE
PMNRF
india.gov.in
myGOV
data.gov

(v) सभी राज्य सरकारों के लिंक और

(vi) फोटो गैलरी

(vii) प्रोग्राम साइट/एप्लीकेशन

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा विकसित आईएमआईएस ने सूचना के प्रवाह, निर्णय प्रक्रिया, क्षमता और कार्य निष्पादन में सुधार किया है। इससे पुराने आँकड़ों के रख–रखाव में सहायता हुई है। इस प्रणाली ने पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढाया है और नागरिकों के साथ अतः सम्पर्क हेतु सरलीकृत इंटरफेस को भी

4.2.2 एनआरडबल्युपी–एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)

मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस), जिसे नैशनल इन्फोर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की सहायता से विकसित एवं प्रबंधित किया गया है, पिछले 5 साल के दौरान ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं, गांवों से प्राप्त जल गुणवत्ता संबंधी डाटा और जांच प्रयोगशाला संबंधी आँकड़ों का भण्डार बन चुका है। जिला एवं राज्य स्तरों पर आँकड़े ऑनलाइन प्रविश्ट किए जाते हैं। इस साल से राज्यों को मंडल स्तर पर आँकड़ें प्रविष्ट करने के लिए सुविधा प्रदान की गई है। राज्य ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं से संबंधित वास्तविक और वित्तीय उन्नति के आँकड़े

को हर महिने की 15 तारीख तक मासिक आधार पर प्रविष्ट किया जाता है। राज्यों से नियमित आधार पर कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती हैं। आईएमआईएस पर 16.64 लाख ग्रामीण बसावटों के जल आपूर्ति संबंधित आंकड़ें उपलब्ध हैं जिन्हें मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्यबद्ध बसावट की निगरानी प्रक्रिया को एमआईएस के माध्यम से 2009–10 से ऑनलाइन कर दिया गया है। वर्तमान निगरानी प्रणाली कार्यक्रमों की सफलता से इन बसावटों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर सकती है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) को मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mdws.gov.in पर दिए गए एनआरडीडबल्यु लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है। आईएमआईएस को http://indiawater.gov.in के माध्यम से भी देखा जा सकता है।

आईएमआईएस की विशेषताएं

1. आईएमआईएस के पास लगभग 17 लाख बसावटों की अद्यतन डायरेक्टरी है।

2. निम्न मानकों के साथ सभी 17 लाख बसावटों के आँकड़ों को प्रतिवर्ष अद्यतन किया जा रहा है: कुल परिवार, जनंसख्या, वर्तमान स्थिति (एफसी, पीसी, क्यूए), एलपीसीडी में पानी की उपलब्धता, प्रत्येक स्रोत की गुणवत्ता स्थिति आदि।

3. जल आपूर्ति योजनाओं के संबंध में राज्यों से प्राप्त वार्षिक एक्शन प्लान के बारे में आँकड़े प्राप्त करना, बजट के आबंटन के लिए वित्तीय वर्षों के दौरान स्रोत।

4. भारत सरकार द्वारा राज्यों को निधियाँ जारी करना और इसके बाद मंडल/जिला स्तर पर निधियाँ जारी करना।

5. प्रगति को जानना (वास्तविक और वित्तीय)

4.2.3 स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण-वेब आधारित प्रणाली

स्वच्छ भारत मिशन–ग्रामीण (एसबीएम –जी) को 2 अक्तुबर 2014 को लॉन्च किया गया था। एसबीआईएम (जी) की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली एक व्यापक वेब आधारित सूचना प्रणाली है। यह प्रणाली केंद्र, राज्य, जिला, खण्ड, और पंचायत के व्यक्तिगत परिवारों को शौचालय निर्माण योजना में शामिल करने में प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।

इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन मोनिटरिंग टूल - http://sbm.gov.in को एनआईसी द्वारा विकसित किया गया था। डाटाबेस में 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पारिवारिक स्वच्छता सर्वेक्षणके विवरण शामिल हैं। यह प्रणाली वित्त जारी करने और मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए शौचालयों के फोटोग्राफ अपलोड करने (शौचालय की समुंद्रतल से ऊंचाई और दूरी व प्रयोग सहित ऑनलाइन व ऑफलाइन अपलोड) की सुविधा प्रदान करता है। यह लाभार्थियों को यह पुष्टि करने के लिए एसएमएस कॉम्युनिकेशन की सुविधा भी प्रदान करता है कि क्या वे एसबीएम–जी कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें प्रदान किए गए शौचालयों से संतुष्ट हैं।

इस निगरानी प्रणाली ने सूचना प्रवाह और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार किया है और क्षमता व कार्य निष्पादन में सुधार किया है। इस प्रणाली ने पारदर्शिता और डाटा के रखरखाव को बढावा दिया है अैर इसका इंटरफेस नागरिकों के लिए सरल है और आम आदमी के साथ संवाद आसानी से की जा सकती है।

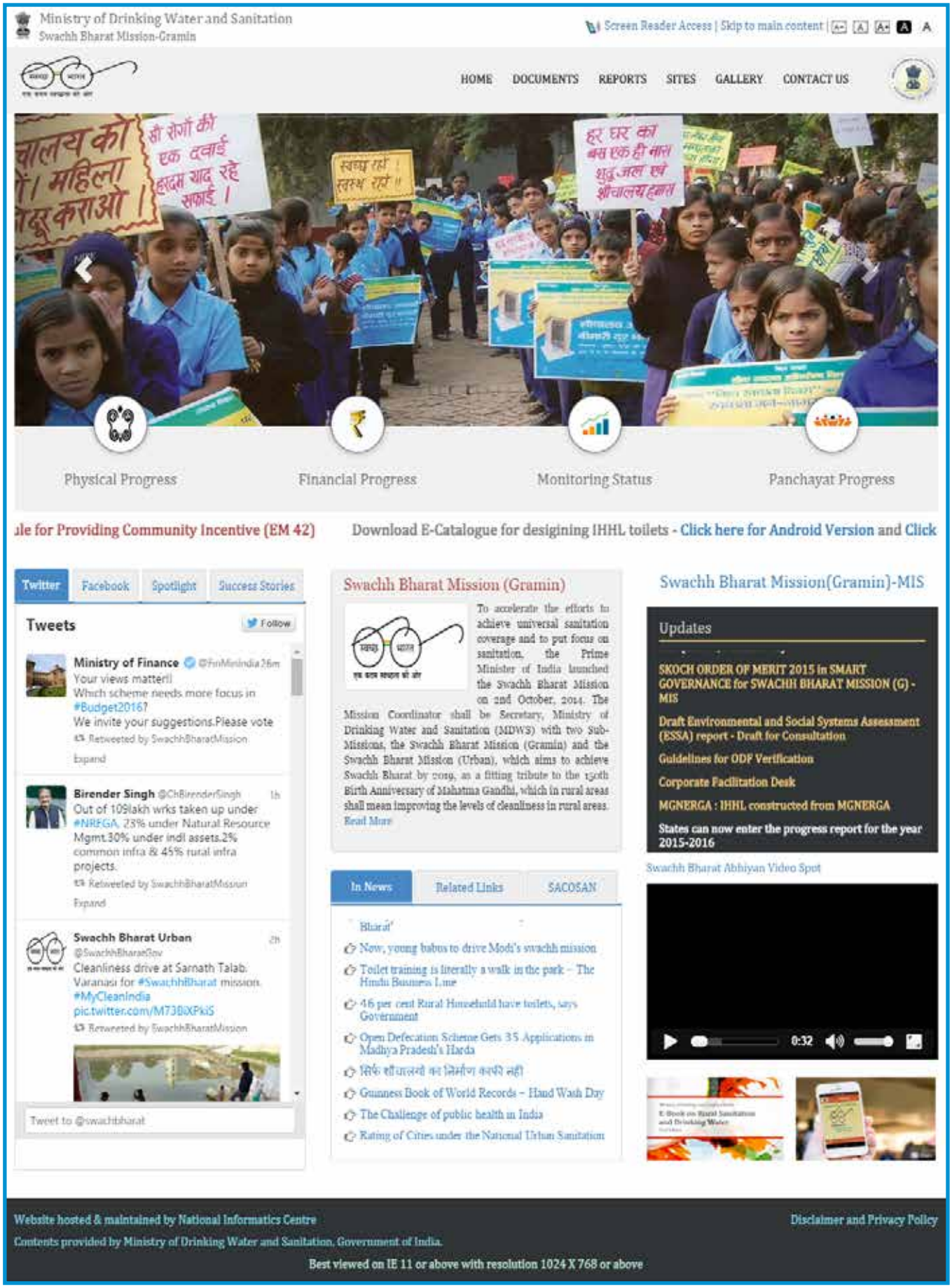
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission-Gramin
Screen Reader Access | Skip to main content
HOME
DOCUMENTS
REPORTS
SITES
GALLERY
CONTACT US
Physical Progress
Financial Progress
Monitoring Status
Panchayat Progress
ule for Providing Community Incentive (EM 42)
Download E-Catalogue for designing IHHL toilets - Click here for Android Version and Click
Twitter
Facebook
Spotlight
Success Stories
Tweets
Follow
Ministry of Finance @FinMinIndia 26m
Your views matter!!
Which scheme needs more focus in #Budget2016?
We invite your suggestions.Please vote
Retweeted by SwachhBharatMission
Expand
Birender Singh @ChBirenderSingh 1h
Out of 109lakh wrks taken up under #NREGA, 23% under Natural Resource Mgmt.30% under indl assets.2% common infra & 45% rural infra projects.
Retweeted by SwachhBharatMission
Expand
Swachh Bharat Urban 2h
@SwachhBharatGov
Cleanliness drive at Sarnath Talab, Varanasi for #SwachhBharat mission. #MyCleanIndia
pic.twitter.com/M73BiXPkiS
Retweeted by SwachhBharatMission
Tweet to @swachhbharat
Swachh Bharat Mission (Gramin)
To accelerate the efforts to achieve universal sanitation coverage and to put focus on sanitation, the Prime Minister of India launched the Swachh Bharat Mission on 2nd October, 2014. The Mission Coordinator shall be Secretary, Ministry of Drinking Water and Sanitation (MDWS) with two Sub-Missions, the Swachh Bharat Mission (Gramin) and the Swachh Bharat Mission (Urban), which aims to achieve Swachh Bharat by 2019, as a fitting tribute to the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi, which in rural areas shall mean improving the levels of cleanliness in rural areas.
Read More
In News
Related Links
SACOSAN
Now, young babus to drive Modi's swachh mission
Toilet training is literally a walk in the park – The Hindu Business Line
46 per cent Rural Household have toilets, says Government
Open Defecation Scheme Gets 35 Applications in Madhya Pradesh's Harda
Guinness Book of World Records – Hand Wash Day
The Challenge of public health in India
Rating of Cities under the National Urban Sanitation
Swachh Bharat Mission(Gramin)-MIS
Updates
SKOCH ORDER OF MERIT 2015 in SMART GOVERNANCE for SWACHH BHARAT MISSION (G) - MIS
Draft Environmental and Social Systems Assessment (ESSA) report - Draft for Consultation
Guidelines for ODF Verification
Corporate Facilitation Desk
MGNERGA : IHHL constructed from MGNERGA
States can now enter the progress report for the year 2015-2016
Swachh Bharat Abhiyan Video Spot
0:32
Website hosted & maintained by National Informatics Centre
Contents provided by Ministry of Drinking Water and Sanitation, Government of India.
Disclaimer and Privacy Policy
Best viewed on IE 11 or above with resolution 1024 X 768 or above

sbm.gov.in/sbm_new/
HOME
DOCUMENTS
REPORTS
SITES
GALLERY
CONTACT US
Physical Progress
Financial Progress
Monitoring Status
Panchayat Progress
Corporate Facilitation Desk
Twitter
Facebook
Spotlight
Success Stories
Tweets
Swachh Bharat Mission(Gramin)-MIS
Updates

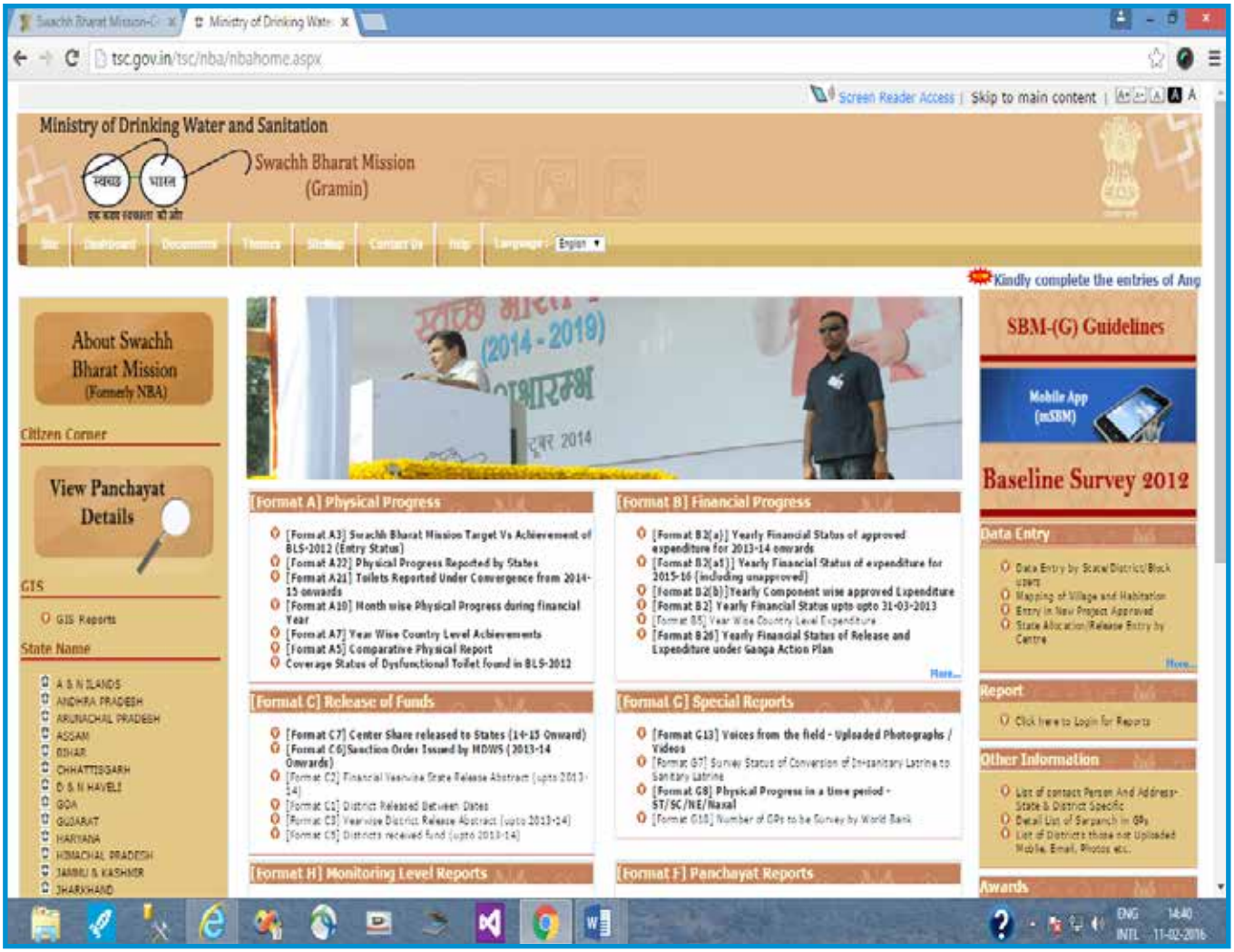
tsc.gov.in/tsc/nba/nbahome.aspx
Screen Reader Access | Skip to main content
Ministry of Drinking Water and Sanitation
Swachh Bharat Mission
(Gramin)
Kindly complete the entries of Aug
About Swachh Bharat Mission
(Formerly NBA)
Citizen Corner
View Panchayat Details
GIS
State Name
SBM-(G) Guidelines
Mobile App
(mSBM)
Baseline Survey 2012
Data Entry
Report
Other Information
Awards
[Format A] Physical Progress
[Format B] Financial Progress
[Format C] Release of Funds
[Format G] Special Reports
[Format H] Monitoring Level Reports
[Format F] Panchayat Reports

एसबीएम (जी) – एमआईएस की विशेषताऐं

(i) 16 लाख से अधिक बसावटों, 6 लाख गाँवों और 2.50 लाख ग्राम पंचायतों में फैले हुए प्रत्येक परिवार में स्वच्छता की स्थिति का प्रबंधन करना।

(ii) एमआईएस में 18 करोड़ परिवारों की स्वच्छता की स्थिति की विवरण सूची दर्ज है।

(iii) निर्मित शौचालयों की प्रगति का जायज़ा लेना। 2015–16 के दौरान 88 लाख लाभार्थी जिनके लिये व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया था उनके नाम एमआईएस में दर्ज किए जा चुके हैं। मोबाईल एप्लिकेशन का प्रयोग करके शौचालयों की तस्वीरों को अपलोड़ करना (ऑनलाईन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से, अक्षांश, देशांतर और शौचालयों के उपयोग के साथ)।

(iv) लाभार्थियों के साथ एसएमएस द्वारा संवाद स्थापित कर यह जॉचना कि वे एसबीएम–जी प्रोग्राम के अंर्तगत दिये गए शौचालय से संतुष्ट हैं या नहीं।

(v) केन्द्र सरकार से राज्यों तथा पंचायतों स्तर तक के लिये निधि जारी करवाना।

(vi) ग्रामीणों के लिए स्वच्छता की स्थिति से संबंधित शिकायत निवारण प्रणाली ।

(vii) सीएसआर निधि से बने शौचालयों के विवरण हेतु कॉर्पोरेट सुविधा डेस्क जैसा एक पश्थक मॉड्यूल होना।

(viii) अनुमति मिलने पर क्षेत्रों से अपलोड किये गए मतों जैसे तस्वीरों, ऑडियो, वीडियो, क्षेत्रों से प्राप्त केस स्टडी (एसबीएम अधिकारियों द्वारा) को पब्लिक डोमेन में दिखाना।

(ix) प्रणाली में प्राप्त ऑकडों को एसएमएस व ई–मेल के माध्यम से प्रतिदिन मंत्रालय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित करना।

4.2.4 मंत्रालय में ई-कार्यालय को कार्यान्वित करना

परंपरागत सरकारी कार्यालयों को अधिक सक्षम एवं पारदर्शी ई–कार्यालयों में परिवर्तित करने और भारी मात्रा में कागजी कार्रवाइयों को खत्म करने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी। राष्ट्रीय सूचना संस्थान (एनआईसी) द्वारा अन्वेषित ई–कार्यालय को विभाग में दिसंबर 2014 से कार्यान्वित किया गया है जिससे कागज़ के उपयोग में व कार्य में लगने वाले समय में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप सरकार की कार्यप्रणाली की क्षमता, अनुकूलता व प्रभाव में वृद्धि दर्ज की गई है। ई–कार्यालय उत्पाद, फाईल प्रबंधन व्यवस्था(ई–फाइल), ज्ञान प्रबंधन व्यवस्था(केएमएस), अवकाश प्रबंधन व्यवस्था(ई–लीव), यात्रा प्रबंधन व्यवस्था (ई–टूर), व्यक्तिगत सूचना व्यवस्था(पीआईएस), सहयोग एवं संदेश सेवाएं(सीएएमएस) एवं अन्य प्रकार की ई–सेवाऐं जैसे कि पे–स्लिप, जीपीएफ विवरण, ऑनलाइन फार्म आदि का समूह है। आसानी से फाईलों की स्थिति को जानने के कारण व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता देखी जा रही है। इस प्रणाली ने कार्यालय के वातावरण को भी बेहतर बनाया है।

4.2.5 मोबाईल एप्लिकेशन्स की रूपरेखा बनाना/ विकसित करना/कार्यान्वित करना

i. एसबीएम-एमआईएस में सूचित शौचालयों की तस्वारों को उनके स्थानीय कोड़ के साथ लेने के लिये मोबाईल एप्लिकेशन्स।

एमएसबीएम मोबाईल एप्लिकेशन्स को मंत्रालय द्वारा एनआईसी के तकनीकि सहयोग से विकसित किया गया है। इस एप के उपयोग से उपयोगकर्ता इस मिशन के अंतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त हुए शौचालयों की तस्वीरों को स्मार्टफोन की सहायता से अपलोड कर सकता है। तस्वीरें लेते समय उस स्थान का अक्षांश, देशांतर, तारीख, समय स्वतः ही इस मिशन के केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाऐंगे जिसका मुख्यालय नेशनल डेटा सेंटर में है। कोई भी व्यक्ति अपने सिस्टम से लॉग इन करके, http://sbm.gov.in इस

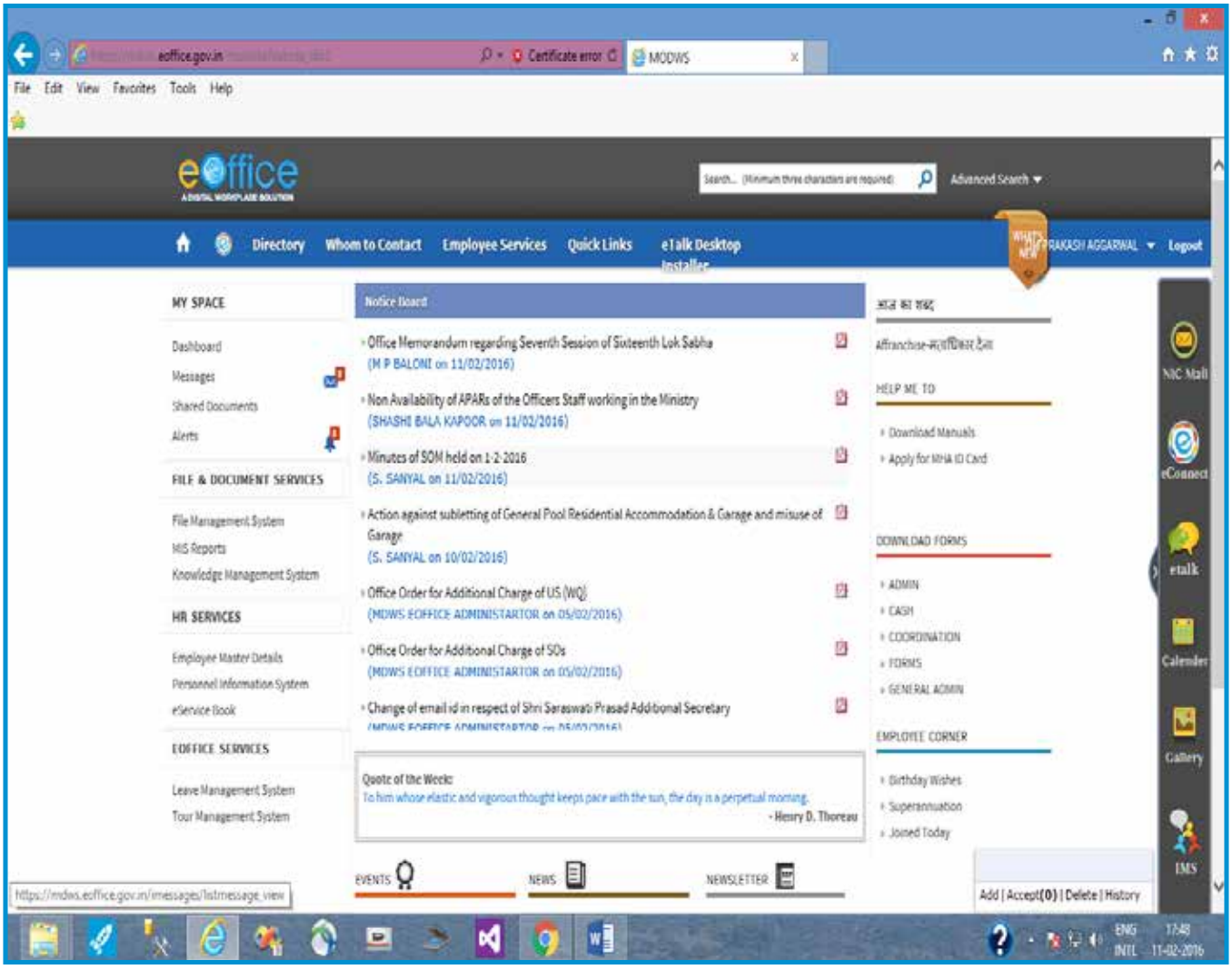

वेबसाईट पर जा कर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वर्तमान में इस सुविधा को राज्य के सरकारी अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करने के लिये प्रदान की गई है। 25000 से अधिक उपभोक्ता रजिस्टर किये जा चुके हैं एवं वे तस्वीरें भेजने लगे है। अभी तक 25 लाख शौचालयों की तस्वारें अपलोड की जा चुकी हैं।

ii. देश में स्वच्छता की वर्तमान स्थिति देखने के लिये आम जनता हेतु मोबाईल आधारित स्वच्छता ऐप

ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति की निगरानी करने के लिये "स्वच्छएप" नामक एप 22 दिसंबर 2015 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के राज्यमंत्री माननीय श्री रामकृपाल यादव जी द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसे विंडोज फोन पर माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर से एवं एंड्राइड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से डाउॅनलोड किया जा सकता है।

iii. आईएमआईएस में सूचित पानी के स्त्रोतों की तस्वीरें लेने के लिये मोबाईल ऐप

एमआरडब्ल्यूएस ऐप को मंत्रालय द्वारा एनआईसी की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है। स्मार्टफोन का उपयोग करके इसऐप की सहायता से उपभोक्ता लाभार्थियों,

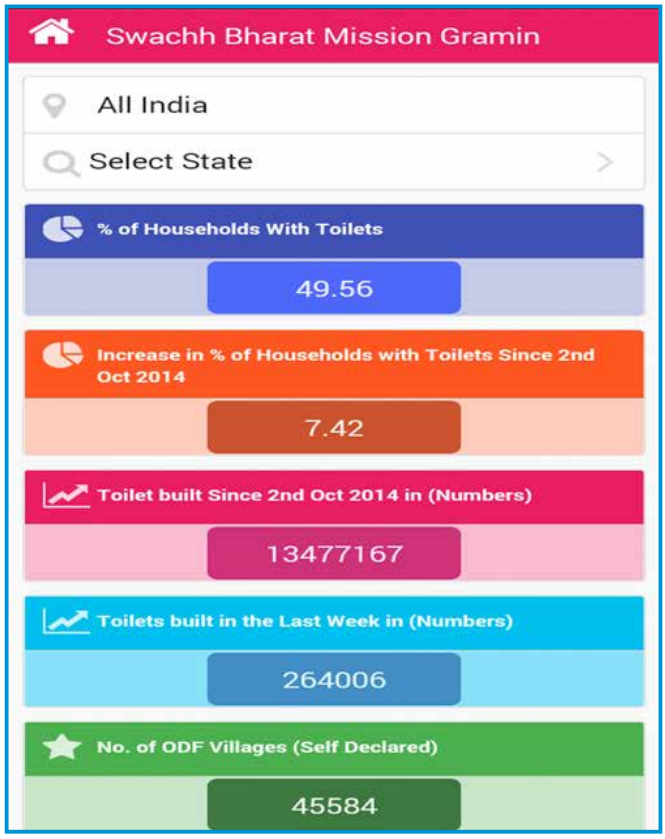

स्त्रोतों, वितरण स्थानों की तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। तस्वीरें लेते समय उस स्थान का अक्षांश, देशांतर, तारीख, समय स्वतः ही इस मिशन के केन्द्रीय सर्वर पर अपलोड हो जाऐंगे जिसका मुख्यालय नेशनल डेटा सेंटर में है। कोई भी व्यक्ति अपने सिस्टम से लॉग इन करके, http://indiawater.gov.in इस वेबसाईट पर जा कर स्वयं का रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वर्तमान में इस सुविधा को राज्य के सरकारी अधिकारियों को एनआरडीडबल्यूपी–जल की गतिविधियों की प्रगति की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रेषित करने के लिये प्रदान की गई है।

4.2.6 अन्य नई पहलें

- इंवेटंरी मॉनीटरिंग प्रणाली का कार्यान्वयन
- सीओएमडीडीओ लेखा प्रणाली का कार्यान्वयन
- वीडियो कॉनफ्रेन्स का नियमित संचालन

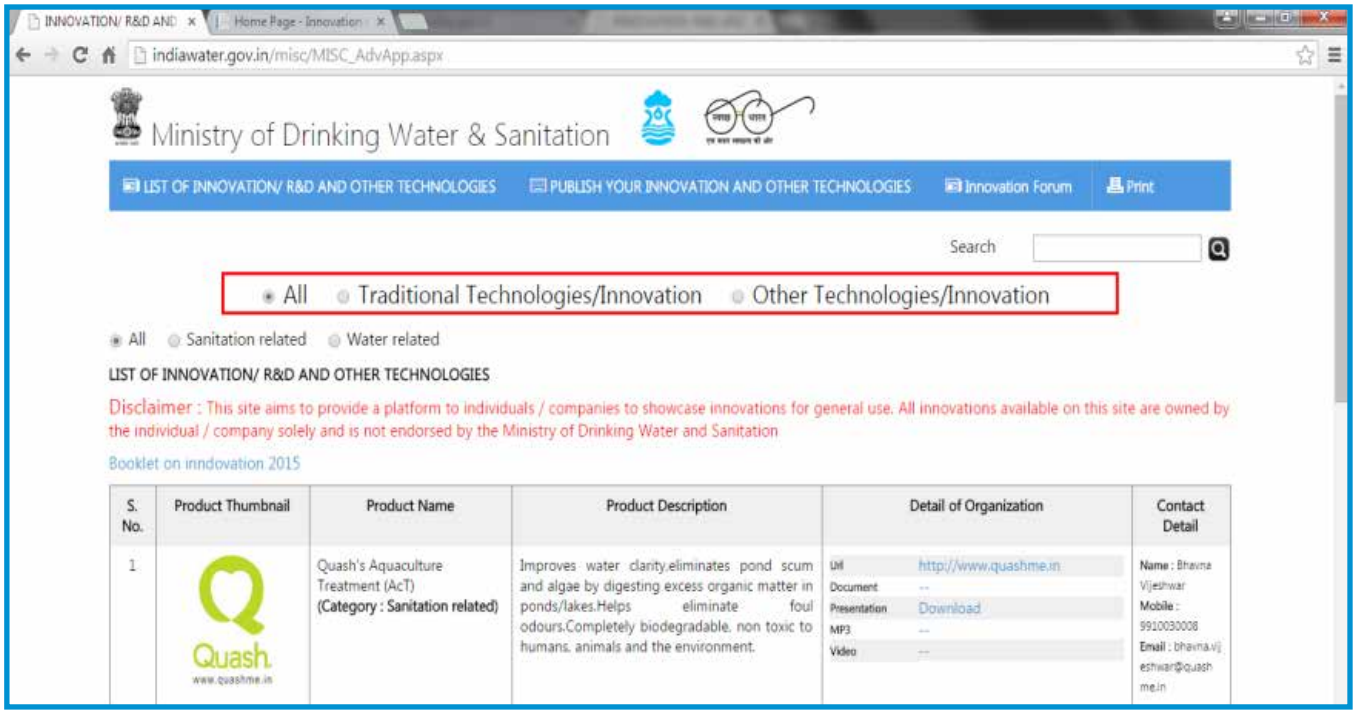

अन्वेषकों, संस्थाओं द्वारा सूचना के लिये, सभी हितधारको के लाभार्थ, पेयजल एवं स्वच्छता के संबद्ध में अभिनव तकनीकों को अपलोड करने के लिए मंत्रालय के वेब पेज पर इन्नोवेशनफोरम नामक पेज भी बनाया गया है।

4.2.7 सभी संबंधित लोगों के बीच विचारों एवं ज्ञान को बॉटने के लिये स्वच्छता संकल्प के साथएसबीएम (जी) का फेसबुक पेज बनाया गया है।

4.2.8 ई–पुस्तक का प्रमोचन (पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा की गई गतिविधियों में प्रतिबिंबित हो सकने वाले क्रियाशील परिवर्तन)

qualityaustria central asia

CERTIFICATE

Quality Austria Central Asia Private Limited
(A Division of Peacock Global Company)
Awards this Certificate to

This Certificate confirms the application and further development of an effective

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
Complying With the requirements of standard
ISO 9001:2008

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

4th Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 110003, India

Access for all Rural Households to Safe Drinking Water and Improved Sanitation throughout the States.

EAC - 36

Registration No.: IND/N/025
Issue Date : 27/09/2015
Expiry Date: 26/09/2018

India: 27th Sep 2015

The validity of this Certificate will be maintained via annual surveillance audits and one renewal audit after three years.

The current validity of this certificate is documented exclusively on the internet under www.qualityaustriaindia.com

qualityaustria central asia

NABCB

IAF

Quality Austria Certification Private Limited (A division of Peacock Global company)

Anil, MURJANI
Country Head (C&T)

प्रबंधन

5 प्रबंधन

5.1 संगठन

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह द्वारा 9.11.2014 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में वे कार्यरत हैं।

श्री रामकृपाल यादव द्वारा 9.11.2014 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में वे कार्यरत हैं।

श्री जुगल किशोर महापात्रा आईएएस (ओआर:79) द्वारा 22.11.2015 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में वे कार्यरत हैं।

श्रीमती विजयलक्ष्मी जोशी आईएएस (जीजे:80) द्वारा 21.11.2015 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव का पदभार पूर्व में दी गई स्वैच्छिक सेवानिवशति की सूचना के आधार पर त्याग दिया गया।

श्री सरस्वती प्रसाद आईएएस (एएम:85) द्वारा 23.12. 2015 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता,

पंचायती राज मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में वे कार्यरत हैं।

श्री सत्यवत साहू आईएएस (ओआर:91) द्वारा 20. 05.2013 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव का पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में वे कार्यरत हैं।

श्री ए.के गौतम आईईएस द्वारा 24.09.2015 को ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता, पंचायती राज मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार का पदभार ग्रहण किया गया और वर्तमान में वे कार्यरत हैं।

5.2 मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहलें

I) **आईएसओ 9001:2008 :** पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय को दिनांक 27.09.2015 को आईएसओ 9001:2008: प्रमाणपत्र से दिया गया था जो मंत्रालय के मिशन "सभी राज्यों में सभी ग्रामीण परिवारों तक सुरक्षित पेयजल एवं बेहतर स्वच्छता उपलब्ध करान'' को प्रदर्शित करते हैं। आईएसओ की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता नियमावली तैयार की गई है व मंत्रालय के कर्मचारियों को कई चरणों में इनका प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

आईएसओ 9001:2008 : के मानकों के कार्यान्वयन के दौरान मंत्रालय द्वारा अपने कार्यों व गतिविधियों के लिये एवं भविष्य में भी इसको बेहतर बनाने के लिए और सरकारी कार्यवाही में अधिक पारदर्शिता लाने और जवाबदेही विकसित करने के लिए मंत्रालय ने मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

तैयार कर लिया।

II) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिये अतिरिक्त पदों का निर्माण करना:

अगले 5 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये श्रम शक्ति की आवश्यकता थी जिसके लिए 23 नए पदों का, जिसमें एक अतिरिक्त सचिव, 2 निर्देशक/उप सचिव, एक अवर सचिव सहित, प्रत्येक अनुभाग में एक अनुभाग अधिकारी एवं सहायक स्टाफ शामिल हैं, को व्यय विभाग में शामिल किया गया। इनमें से दोअवर सचिवकेपद को पुनः नियोजित द्वारा भरा गया। इसके अतिरिक्त सहायकों के पॉच पद, पीपीएस, पीएस और पीए सभी के एक एक पद को 8 अन्य पदो ंके साथ सृजित किया गया जिन्हें आउटसोर्सिंग के द्वारा भरा जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा वर्ल्ड बैंक से सहायता प्राप्त कम आय वाले राज्योंके लिए ग्रामीण जल आपूर्ति व स्वच्छता परियोजना (आरडबल्यूएसएसपी–एलआईएस) के कार्यान्वयन के लिए भी परियोजना निदेशक के एक पद का कोटरमिनस आधार पर निर्माण किया गया।

III) कार्यस्थल पर महिलाओं पर हुए शारिरिक शोषण की आंतरिक शिकायतों हेतु समीति का गठन अधिनियम 2013

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में शारिरिक शोषण शिकायतों की आंतरिक समीति के गठन से संबधित कर्मचारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त एक आदेश के अनुसार कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले शारिरिक शोशण अधिनियम 2013 के धारा 4 के अंर्तगत 23 फरवरी 2015 को ऑर्डर नंबर 39022/16/2015 प्रशासन के माध्यम से पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया।

वित्त विभाग की निर्देशिका श्रीमति प्रतिमा गुप्ता की अध्यक्षता में शिकायतों की आंतरिक समीति की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले शारीरिक शोषण से संबंधित नियम व कानून के विषय में स्टॉफ में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता महसूस की गई। इस कारण जागौरी के एनजीओ की निदेशक सुश्री सुनीता धर ने बैठक में (1) कार्यस्थल पर महिलाओं पर हुए शारिरिक शोषण अधिनियम (निवारण, निषेध और रीड्रेशल) 2013 (2) कार्यस्थल पर महिलाओं पर हुए शारीरिक शोशण (निवारण, निशेध और रीड्रेशल) नियम 2013 (3) सुप्रीम कोर्ट में विषाखा और राजस्थान सरकार के केस की एक–एक प्रतियाँ वितरित की।

वर्ष 2015–2016 के दौरान 31.01.2016 तक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में कार्यस्थल पर महिलाओं पर होने वाले शारिरिक शोशण से संबंधित कोई शिकायत दर्ज/प्राप्त नहीं हुई है।

IV) ओ एंड एम विभाग : जुलाई 2015 में मंत्रालय में ओ एंड एम गतिविधियों के निपटान के लिए ओ एंड एम विभाग का निर्माण किया गया था। इसके अतिरिक्त इस विभाग को मंत्रियों की विदेश यात्राओं, आधिकारिक पासपोर्ट से संबंधित मामले, मंत्रालय के स्टाफ व अधिकारियों को पासपोर्ट के लिये एनओसी के मामलों की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। साथ ही इस विभाग को लेखा परीक्षा/पीएसी अनुच्छेदों के समन्वय का कार्य भी सौंपा गया है।

V) विदेश यात्राएँ : जुलाई 2015 से इस विभाग द्वारा एमडीडब्ल्यूएस के माननीय मंत्रियों/अफसरों के विदेश यात्राओं के 6 मामले निपटाए गए हैं। इन यात्राओं की अनापत्ति अनुमति के लिये प्रस्तावों को विभिन्न प्राधिकारणों जैसे पीएमओ/व्यय विभाग/आर्थिक मामलों का विभाग/ एमईए को भेजा गया था। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अनुसार मंत्रालय के अंर्तगत की गई विदेश यात्राओं एवं भविश्य की यात्राओं की आगामी

योजनाओं का विवरण भी ''विदेश यात्रा प्रबंधन प्रणाली'' पर अपलोड/अद्यतन किया जाता है।

5.3 सर्तकता एवं आरटीआई/शिकायत निवारण प्रणाली

सर्तकता का कार्य सर्तकता विभाग के द्वारा संभाला जाता है। इस विभाग को निलंबन के मामलों/सर्तकता के मामलों और मंत्रालय के अधिकारियों के अनुशासन संबंधी मामलों का कार्यभार भी सौंपा गया है।

सर्तकता विभाग पासपोर्ट के लिये सर्तकता स्वच्छता तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देता है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के कर्मचारियों के पीएआर व एपीएआर का कार्य, एपीएआर की निगरानी व रख रखाव का कार्य, वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न का कार्य भी सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों के संदर्भ में एपीएआर अभिलेखों को इस विभाग द्वारा नियमित रूप अद्यतन किया जाता है और उनकी रख–रखाव की जाती है।

ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त हुए आरटीआई आवेदनों की मॉनीटरिंग सर्तकता विभाग द्वारा ऑनलाइन की जाती है और उन्हें संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया जाता है और अन्य मंत्रालयों आदि से ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त 120 आरटीआई (दिसंबर 2015 तक) आवेदनों को संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार के आरटीआई पोर्टल के अनुसार मंत्रालय में 42 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से संबंधित विभागों द्वारा 40 का निपटान किया जा चुका है। 927 ऑनलाइन/कई विभागों को भेजी जाने वाली आरटीआई आवेदन भी प्राप्त किये गए हैं और उन्हें संबंधित विभागों को प्रेषित कर दिया गया है जिसमें से 848 आरटीआइ आवेदनों को संबंधित विभागों से प्राप्त कर लिया गया है।

सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त याचिकाओं को भी ऑनलाईन माध्यम से देखा जा रहा है। भारत सरकार के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के अनुसार 7867 शिकायतें प्राप्त की जा चुकी हैं जिनमें से वर्ष 2015 में(1/12/015 से 31/12/2015) के दौरान 7790 का निपटान किया जा चुका है जो यह दर्शाता है कि सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के अंर्तगत प्राप्त 99 :शिकायतों का समाधान किया जा चुका है।

मंत्रालय के अधिकारियों को स्वाधीनता दिवस व गणतंत्र दिवस के आयोजनों के निमंत्रण पत्र प्रेषित करना। राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों का अवलोकन करना आदि। समय पर ग्रामीण विकास के मंत्री जी के कार्यालय में पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक रिपोर्ट भेजना।

डीओपीटी/गृहमंत्रालय/विधि एवं न्याय मंत्रालय से समय समय पर प्राप्त निर्देशों/दिशा–निर्देशों का संचालन करना। सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के माध्यम से प्राप्त शिकायतों, न्यायालय प्रकरणों एवं अधिवक्ताओं के विधेयकों से संबंधित मामलों को संबंधित राज्यों व विभागों को प्रेषित करना ।

5.4 2015-16 में मंत्रालय में हिंदी के काम में हुई प्रगति

वर्ष 2015–16 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में हिंदी के काम में अत्यधिक प्रगति हुई जिसकी झलक इस प्रकार है। एक वर्ष पूर्व मंत्रालय में लगभग 60% काम हिंदी में होता था, अब वह बढ़कर 95% हो गया है। वर्ष 2014–15 में 40000 रुपये की हिंदी पुस्तकों की खरीद की तुलना में 2015–16 में 71837 रुपये की हिंदी पुस्तकें खरीदी गईं, जिसके परिणामस्वरूप 2014–15 में 88.8% हिंदी पुस्तकों की तुलना में 2015–16 में 96.2% पुस्तकें हिंदी की खरीदी गईं।

यह उपलब्धि राजभाषा विभाग द्वारा तय 50 प्रतिशत के लक्ष्य से बहुत अधिक है। हिंदी की अनेक पत्रिकाएँ और समाचार–पत्र मंगाने आरंभ किए गए। राजभाषा कार्यान्वायन समिति की सभी बैठकें नियमित रूप से की गईं। वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली, वेबसाइट का अनुवाद आउटसोर्स करने आदि संबंधी कुछ महत्वंपूर्ण

कार्य भी संपन्न हुए। हिंदी पखवाड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले कहीं बेहतर ढंग से मनाया गया, जिसमें गीत एवं नाटक प्रभाग, भारत सरकार के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। प्रत्येक अनुभाग में अंग्रेजी–हिंदी टिप्पणियों के बोर्ड लगवाए गए और सभी अनुभागों के नाम–पट्ट द्विभाषी बनवाकर लगवाए गए । वर्ष के दौरान लगभग 30,000 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों, हिंदी पखवाड़ा, हिंदी की प्रतियोगिताओं, हिंदी कार्यशालाओं, हिंदी की पुरस्कार योजना आदि के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों में हिंदी के अधिक प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा हुई। हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया।

सभी कंप्यूकटरों में मंगल फोंट डलवाया गया। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप राजभाषा विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वंच्छता मंत्रालय को छोटे मंत्रालयों की श्रेणी में हिंदी में श्रेष्ठ काम के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया, जो हिंदी दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। भारत सरकार से मंत्रालय को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार मिला है। मंत्रालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी हिंदी के काम के प्रति बहुत समर्पित हैं और हिंदी काम में तेजी से उत्तरोत्तरर प्रगति कर रहे हैं।

माननीय राष्ट्रपति से राशभाषा कीर्ति पुरस्कार, 2014–15 प्राप्त करते हुए
श्री सत्यब्रत साहु, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

हिन्दी पखवाड़ा 2015 के अवसर पर संगीत एवं ड्रामा डिविजन द्वारा प्रस्तुति

हिन्दी पखवाड़ा 2015 के अवसर पर डीडब्ल्यूएस के कार्मिकों द्वारा प्रस्तुति

हिन्दी पखवाड़ा 2015 के अवसर पर पुरस्कार वितरण करती हुईं सचिव, डीडब्ल्यूएस

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

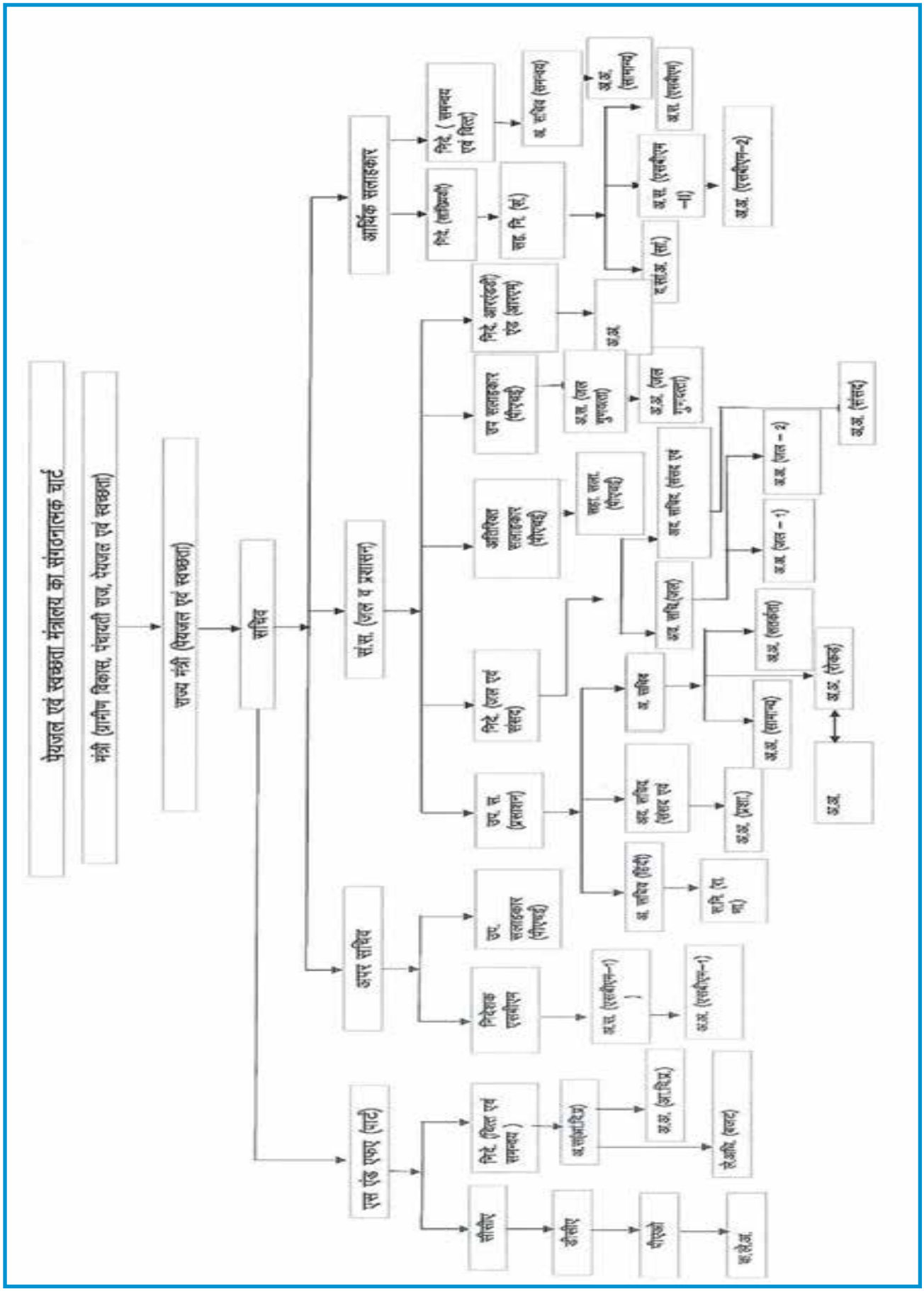

अनुलग्नक I से VIII

2015 का प्रतिवेदन सं. 28-संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की निश्पादन लेखा-परीक्षा 8 दिसम्बर 2015 को संसद में प्रस्तुत	
कार्य-निष्पादन लेखा-परीक्षा के निश्क्रर्शों का सार	**एटीएन/टिप्पणियाँ**
योजना 12 राज्यों के नमूना जाँच में लिए गए 73 (49 प्रतिशत) जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार योजनाएँ जिला योजना में समेकित नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्यान्वयन योजना (वा.का.यो.) में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों के जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) वार आबंटन नहीं दर्शाए गये थे। वा.का.यो. वर्तमान वर्ष/आगामी वर्षों इत्यादि में निर्मल बनाये जा सकने वाली ग्रा.पं. की पहचान के आधार पर व्यापक स्वच्छता तथा जल के विस्तार को रेखांकित करते हुए सामुदायिक संतृप्ति दृष्टिकोण के अनुसार तैयार नहीं की गई थीं। **(पैराग्राफ 2.4.1, 2.4.2)** **परियोजना कार्यान्वयन** गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों हेतु 426.32 लाख तथा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों हेतु 469.76 लाख वैयक्तिक घरेलू शौचालयों (व.घ.शौ.) के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में परियोजना जिले केवल क्रमशः 222.32 लाख (52.15 प्रतिशत) तथा 207.55 लाख (44.18 प्रतिशत) व.घ.शौ. का निर्माण 2009–10 से 2013–14 के दौरान कर सके। मंत्रपालय ने 16 राज्यों में फरवरी 2011 तक 693.92 लाख व.घ.शौ. के निर्माण की उपलब्धि प्रदर्शित की जब कि इन राज्यों में 367.53 लाख परिवारों (जनगणना 2011) के गृह परिसरों में शौचालय सुविधाएँ उपलब्ध थीं। **(पैराग्राफ 3.1.1, 3.1.2)**	सीएजी ने वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान कार्यक्रम का कार्य–निश्पादन लेखा–परीक्षा किया। वर्ष 2015 का सीएजी रिपोर्ट संख्या 28– दिनांक 8 दिसंबर 2015 को संसद में संपूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान की कार्य–निष्पादन लेखा–परीक्षा प्रस्तुत की गई। वर्ष 2009–10 से वर्ष 2013–14 के दौरान स्वच्छता कार्यक्रमः संपूर्ण स्वच्छता अभियान और निर्मल भारत अभियान चलाया गया था और कार्य–निष्पादन लेखा–परीक्षा मुख्यतः इन पूर्व कार्यक्रमों से संबंधित थी। दिनांक 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत की गई है और कार्य–निष्पादन लेखा–परीक्षा में उठाए गए ज्यादातर मुद्दों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में हल किया गया है। सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक लेखा समिति (पीएसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

Continue...

आठ राज्यों के नमूना परीक्षित 53 जिलों में, निर्माण की खराब गुणवत्ता, अपूर्ण अवसंरचना, रख–रखाव ने किए जाने, आदि जैसे कारणें के कारण पुराने शौचालयों का अनुपात 33 प्रतिशत (कुल 71.86 लाख परिवारों में से 24.03 लाख) में अधिक का अनुपात पाया गया था। **(पैराग्राफ 3.2.1.1)** हमने पाया कि 12.97 लाख व.घ.शौ. का निर्माण, जिस पर 186.17 करोड़ का व्यय हुआ, योजना दिशा–निर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदारों/गैर सरकारी संस्थाओं (गै.स.सं.), इत्यादि के द्वारा कराया गया। इसके अतिरिक्त, सात राज्यों के 13 जिलों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (ठो.त.अ.प्र.) आधारभूत संरचना के निर्माण में 7.81 करोड़ की राशि की वित्तीय अनियमितताएँ जैसे अनुमोदन के बिना व्यय, निधियों का विपथन, इत्यादि पायी गई। यह भी देखा गया कि छः राज्यों के 21 चयनित जिलों में ग्रामीण स्वच्छता बाजार/उत्पादन केंद्र खोलने के लिए दिए गए 1.38 करोड़ के ऋण में से 1.20 करोड़ की राशि की वसूली समयावधि के पश्चात् भी वसूल नहीं की जा सकी थी। **(पैराग्राफ 3.2.1.4, 3.2.5.2 तथा 3.2.6.2)**	
निधि प्रबंधन लेखापरीक्षा में देखा गया कि 2009–14 के दौरान मंत्रालय ने राज्यों द्वारा माँगी गई निधियों में से केवल 48 प्रतिशत ही जारी की जिसमें से 16 राज्यों ने अपने हिस्से की निधियाँ या तो जारी नहीं की या कम जारी की। 2009–14 की अवधि के दौरान 13494.63 करोड़ की निधियों की उपलब्धता के बावजूद केवल 10157.93 करोड़ ही योजना कार्यान्वयन पर व्यय किये गया। वार्षिक आधार पर अप्रयुक्त राशि 40 प्रतिशत से 56 प्रतिशत के मध्य रही। (पैराग्राफ 4.2, 4.3 तथा 4.4)	
हमने छः राज्यों (आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं ओडिशा) में 2.28 करोड़ के दुर्विनियोजन के छः मामले पाए थे। आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं मणिपुर में भी 25.33 करोड़ के संदिग्ध दुर्विनियोजन के मामले पाए गए थे। इसके अतिरिक्त 13 राज्यों में 283.12 करोड़ की राशि की योजना निधियों को विपथित किया गया था तथा स्टॉफ को अग्रिम, पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन, अवकाश वेतन पेंशन योगदान, वाहनों के क्रय एवं कार्यालय स्वच्छता जैसे उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया था। इसके अतिरिक्त, छः राज्यों में 81.08 करोड़ की राशि को अन्य केंद्रीय योजनाओं एवं अन्य राज्य प्रायोजित योजनाओं को विपथित किया गया था। **(पैराग्राफ 4.6,4.7)**	

Continue...

यह पाया गया कि नौ राज्यों, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मणिपुर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल में 212.14 करोड़ की राशि 4 महीनों से 29 महीनों की अवधियों हेतु राज्य/ब्लॉक/ग्रा.पं. स्तर पर निश्क्रिय/अप्रयुक्त पड़ी रही। साथ ही आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, केरल, मणिपुर तथा ओडिशा के छः राज्यों से विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए 48.97 करोड़ के अग्रिम 16 से 120 महीनों से लंबित थे। यह भी देखा गया कि ग्यारह राज्यों में योजना निधियों पर अपार्जित 5.58 करोड़ के ब्याज को हिसाब में नहीं लिया गया। **(पैराग्राफ 4.9, 4.10, 4.13, iii)**	
सूचना, शिक्षा तथा संचार सं.स्व.अ./नि.भा.अ. एक माँग जनित योजना है जिसके लिए ग्रामीण जनता में स्वच्छता तथा आरोग्य के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु सू.शि.सं. का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। परंतु हमने देखा कि सू.शि.सं. को उचित महत्व नहीं दिया गया तथा 2009–10 से 2011–12 के वर्षों के दौरान सू.शि.सं. का 25 प्रतिशत सू.शि.सं. से असंबंध गतिविधियों पर लगाया गया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 788.60 करोड़ के व्यय के बावजूद, मंत्रालय अपने सू.शि.सं. अभियान का मूल्यांकन करने में विफल रहा। **(पैराग्राफ 5.2.1)**	
अभिसरण अभिसरण संबंधित सरकारी कार्यक्रमों से सहायता द्वारा अधिकत्तम परिणाम सुनिश्चित करने की एक रणनीति है। 2007 के सं.स्व.अ. दिशा–निर्देशों के अनुसार इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत ग.रे.नी. हेतु निर्मित सभी घरों में सं.स्वकृअ. के तहत एक शौचालय बनवाया जाना था। परंतु लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2009–12 के दौरान अन्य योजनाओं के साथ कोई अभिसरण नहीं था। 2012–14 के दौरान इंदिरा आवास योजना तथा महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अभिसरण में केवल व.घ.शौ. का लघुप्रतिशत (औसतन 6 प्रतिशत) ही बताया गया। तथापि, म.गाँ.रा.ग्रा.रो.ग.यो. के साथ अभिसरण अथवा स्थानीय या अन्य स्रोतों से सहायता लेकर अन्य संघटकों जैसे विद्यालय शौचालय आँगनवाड़ी शौचालय, सामुदायिक स्वच्छता परिसर तथा ठो.त.अ.प्र. परियोजनाओं के अंतर्गत कोई उपलब्धियाँ नहीं थी। मंत्रालय अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तौर पर किसी भी कॉरपोरेट निकाय को सम्मिलित करने में भी विफल रहा। साथ ही मानव मल के असुरक्षित निपटान तथा कोई प्रबंध नहीं किए गए। **(पैराग्राफ 6.3, 6.4. और 6.6)**	

Continue...

निगरानी एवं मूल्यांकन मंत्रालय, निगरानी एवं मूल्यांकन (नि.मू.) अन्य प्रभार के अंतर्गत अनुमोदित निधियों का उपयोग करने में विफल रहा तथा 2009–10 से 2013–14 के दौरान केवल 0.32 करोड़ (शीर्ष के अंतर्गत बुक किए गए 22.40 करोड़ में से) नि.मू. के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों पर व्यय किए गए तथा शेष 22.08 करोड़ की राशि को अन्य गतिविधियों की ओर विपथित कर दिया गया। **(पैराग्राफ 7.2)** कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को मॉनीटर करने के लिए, मंत्रालय ने समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (सं.प्र.सू.प्र.) के माध्यम से ऑनलाइन मॉनीटरिंग पर भरोसा किया जिसके माध्यम से जिला/ग्राम पंचायत डाटा अपलोड करेंगे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ऑनलाइन प्राप्त डाटा की विश्वसनीयता को सत्यापित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी। मंत्रालय भी वार्षिक निष्पादन प्रतिवेदनों के प्रतिनिरीक्षण द्वारा अपनी विश्वसनीयता को भी सुनिश्चत नहीं कर रहा था। इस चूक के कारण, समेकित सूचना प्रणाली पर भौतिक प्रगति को अधिक सूचित किया गया था। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कोई समवर्ती मूल्यांकन या कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा की शुरूआत नहीं की थी। **(पैराग्राफ 7.3 और 7.6)**	

अनुलग्नक –II (क) आंशिक रूप से कवर की गई बसावट (2014.15)

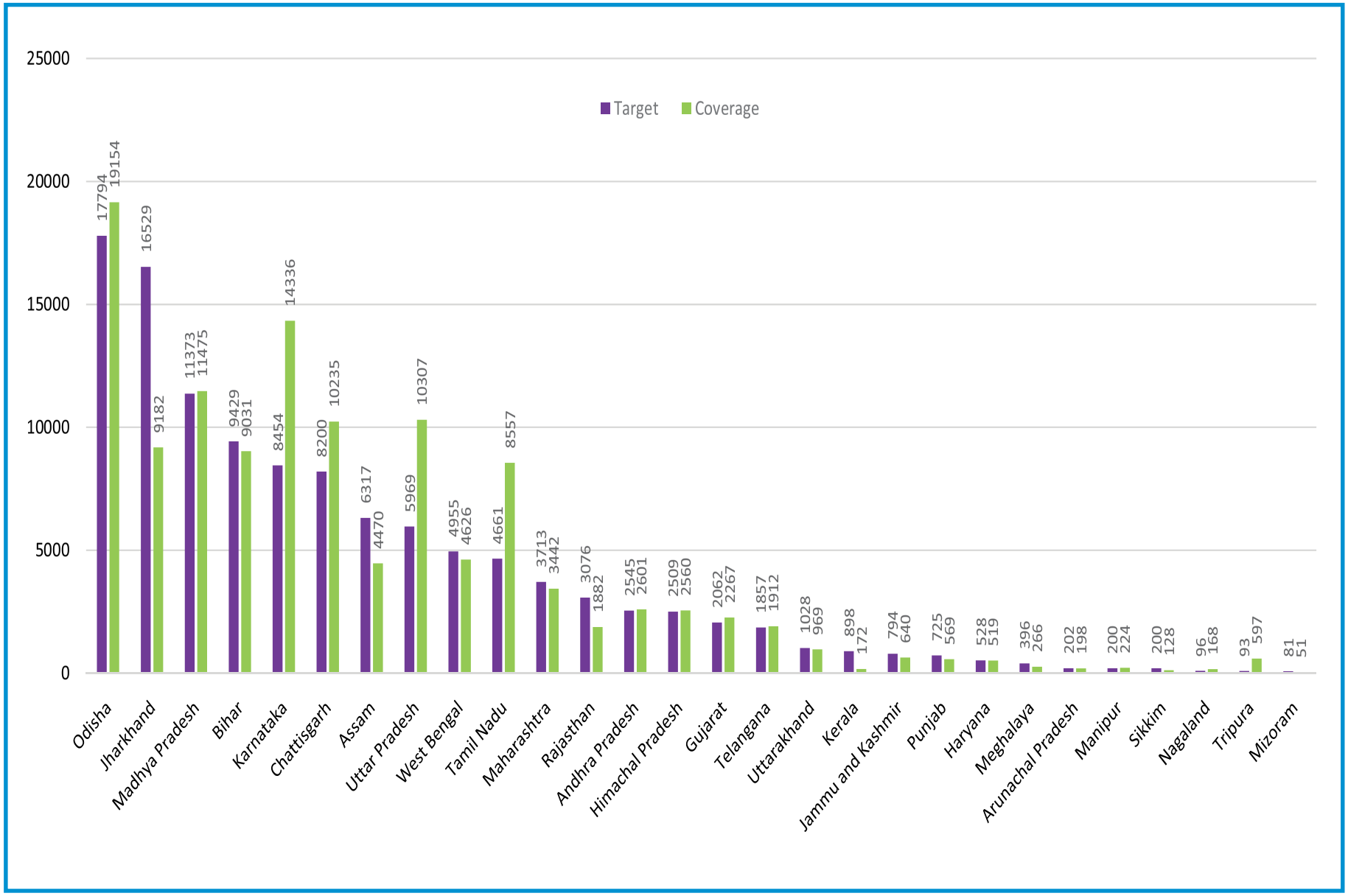

अनुलग्नक –II (ख) गुणवत्ता प्रभावित बसावट (2014.15)

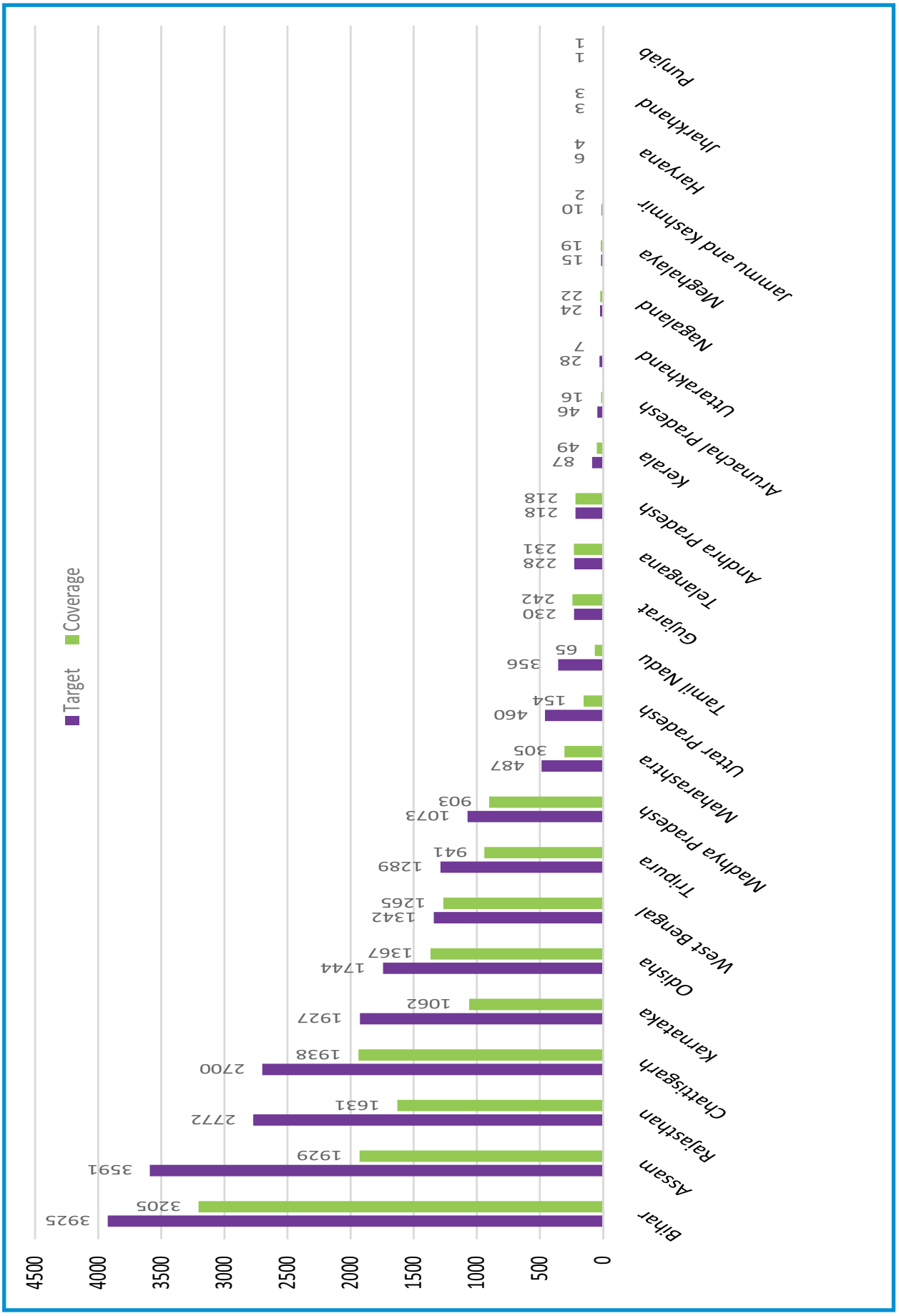

अनुलग्नक –III (क) आंशिक रूप से कवर की गई बसावट (2015.16, 31.01.2016तक)

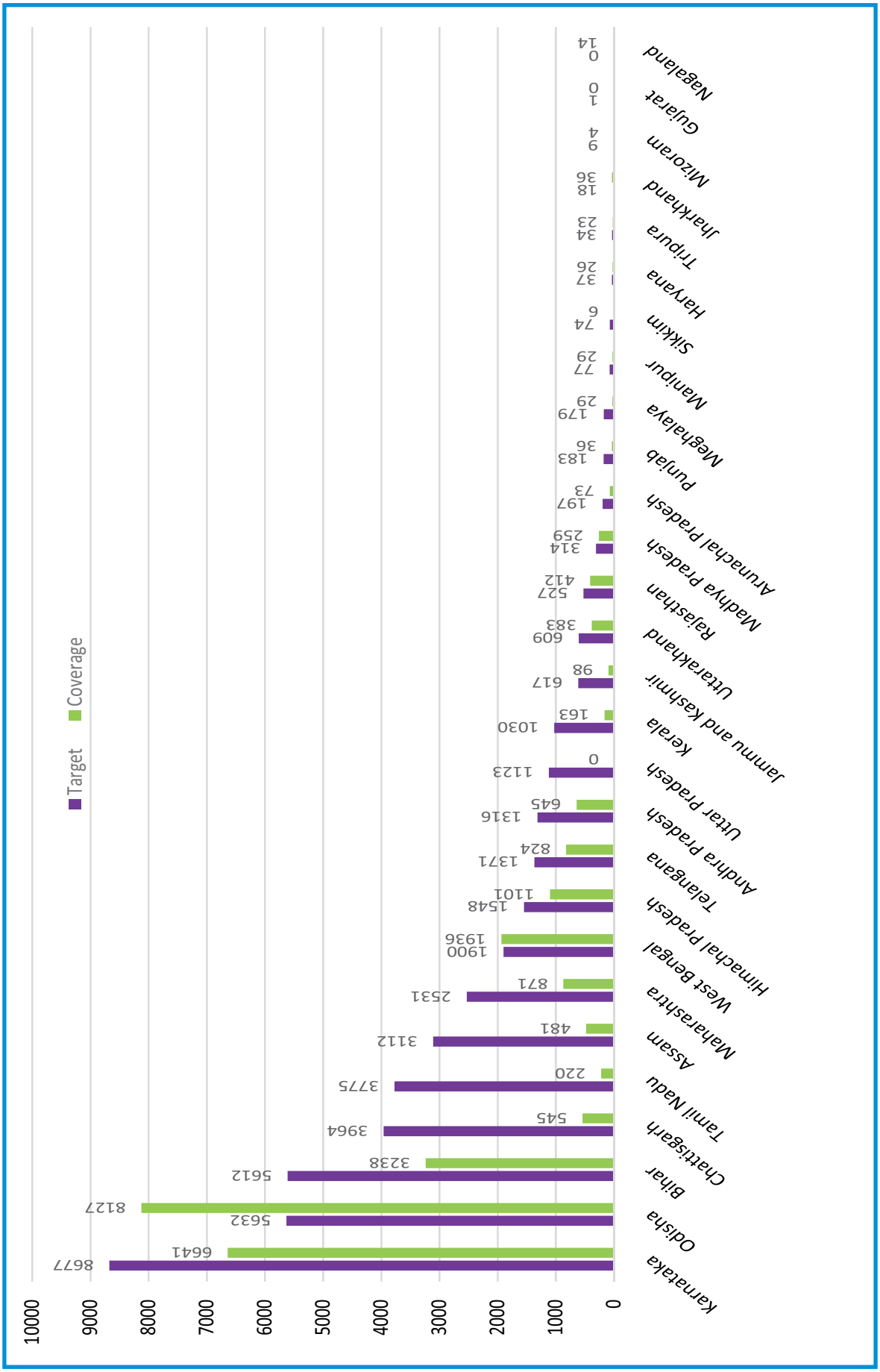

अनुलग्नक –III (ख) गुणवत्ता प्रभावित बसावट (2015–16, 31.01.2016 तक)

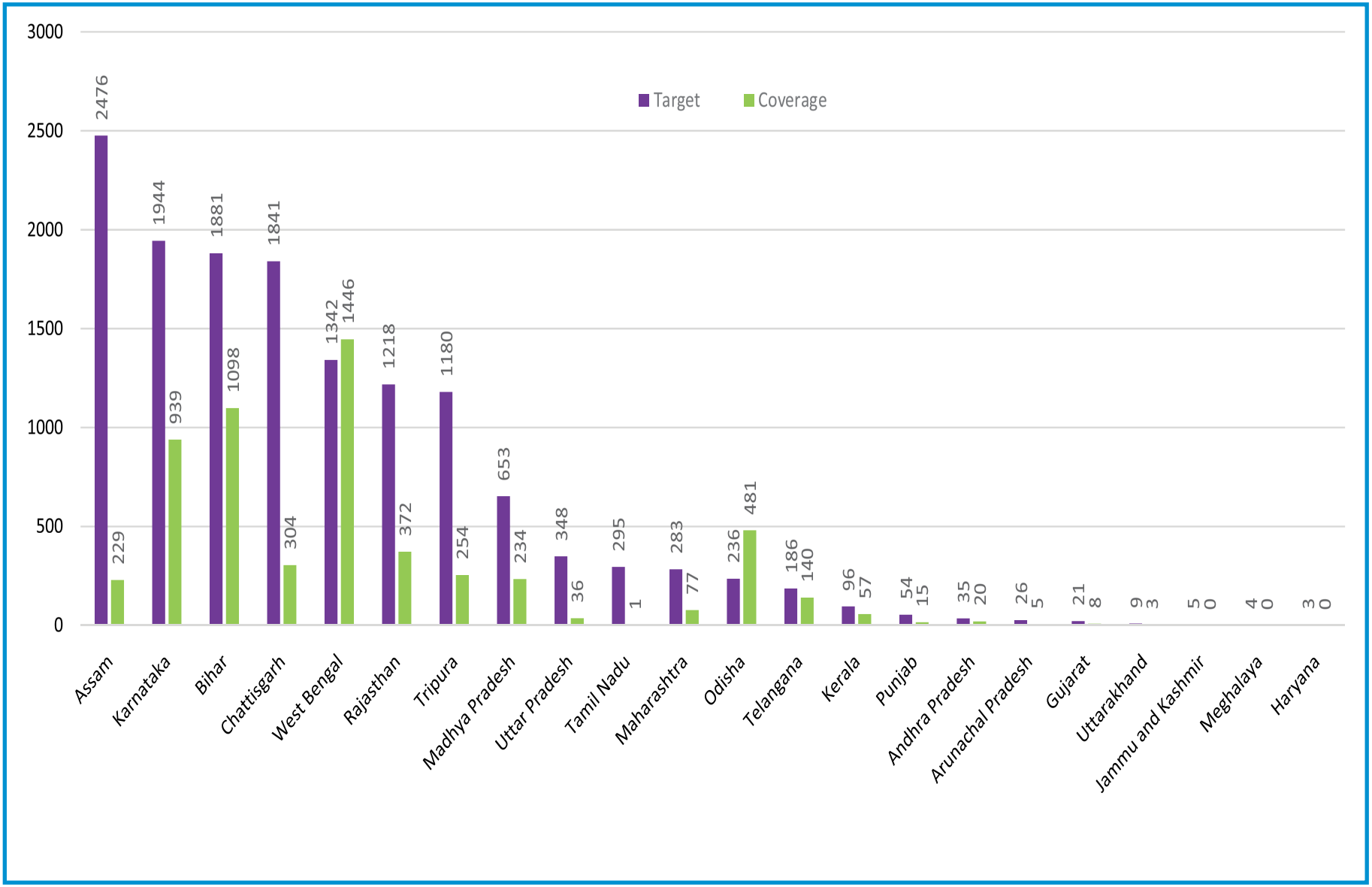

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2014–15 के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत वास्तविक प्रगति					
क्र.सं.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	आंध्र प्रदेश	213856	11	213867	0
2	अरूणाचल प्रदेश	10435	2467	12902	139
3	असम	63313	84924	148237	8
4	बिहार	118401	47056	165457	20
5	छत्तीसगढ़	21395	17733	39128	4
6	दादरा एवं नगर हवेली				
7	गोवा	0	0	0	0
8	गुजरात	65535	270227	335762	1
9	हरियाणा	29998	77767	107765	8
10	हिमाचल प्रदेश	10509	43756	54265	82
11	जम्मू एवं कश्मीर	6207	2289	8496	23
12	झारखण्ड	48467	50045	98512	35
13	कर्नाटक	750313	41374	791687	122
14	केरल	33595	506	34101	44
15	मध्य प्रदेश	265879	255860	521739	36
16	महाराष्ट्र	138139	362758	500897	62
17	मणिपुर	14346	13514	27860	1
18	मेघालय	29186	12816	42002	63
19	मिजोरम	212	322	534	1
20	नागालैण्ड	0	0	0	0
21	ओड़िशा	51056	79869	130925	13
22	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
23	पंजाब	2639	7248	9887	0
24	राजस्थान	160957	492349	653306	74
25	सिक्किम	3547	15	3562	36
26	तमिलनाडु	200638	177524	378162	228
27	तेलंगाना	130703	22	130725	11
28	त्रिपुरा	11425	13444	24869	5
29	उत्तर प्रदेश	206985	308442	515427	3
30	उत्तराखण्ड	19328	38505	57833	11
31	पश्चिमी बंगाल	438459	408621	847080	79
	कुल	**3045523**	**2809464**	**5854987**	**1109**

अनुलग्नक–V

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2015–16 के दौरान (दिसंबर, 2015 तक) एसबीएम (जी) के अंतर्गत					
क्र.सं.	राज्य का नाम	आईएचएचएल (बीपीएल)	आईएचएचएल (एपीएल)	आईएचएचएल कुल	स्वच्छता परिसर
1	आंध्र प्रदेश	228682	158	228840	0
2	अरूणाचल प्रदेश	4606	2007	6613	37
3	असम	65598	276348	341946	22
4	बिहार	92485	47683	140168	0
5	छत्तीसगढ़	68680	88033	156713	0
6	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0
7	गोवा	0	0	0	0
8	गुजरात	85549	283487	369036	0
9	हरियाणा	21999	61892	83891	0
10	हिमाचल प्रदेश	5479	44231	49710	97
11	जम्मू एवं कश्मीर	19168	8014	27182	45
12	झारखण्ड	60001	111818	171819	19
13	कर्नाटक	317926	10987	328913	14
14	केरल	10725	469	11194	7
15	मध्य प्रदेश	361433	361629	723062	0
16	महाराष्ट्र	116396	327472	443868	7
17	मणिपुर	13478	21793	35271	6
18	मेघालय	18206	9729	27935	86
19	मिजोरम	582	456	1038	3
20	नागालैण्ड	14763	1278	16041	46
21	ओड़िशा	200442	430885	631327	4
22	पुदुच्चेरी	0	0	0	0
23	पंजाब	5781	30396	36177	7
24	राजस्थान	238433	1386308	1624741	54
25	सिक्किम	3326	45	3371	12
26	तमिलनाडु	219519	267987	487506	8
27	तेलंगाना	132307	263	132570	0
28	त्रिपुरा	3727	22421	26148	11
29	उत्तर प्रदेश	129006	303118	432124	3
30	उत्तराखण्ड	11289	25090	36379	21
31	पश्चिमी बंगाल	553673	553958	1107631	358
	कुल	**3003259**	**4677955**	**7681214**	**867**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
वर्ष 2014–15 के दौरान दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्य–वार रिलीज की स्थिति

करोड़ रूपयों में

क्र.सं.	राज्य	प्रारंभिक अथशेष 1–4–2014 तक	रिलीज	कुल	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	121.43	116.10	237.53	93.96
2	अरूणाचल प्रदेश	4.90	14.61	19.52	14.26
3	असम	106.34	185.78	292.12	120.44
4	बिहार	246.76	0.00	246.76	104.59
5	छत्तीसगढ़	47.63	28.12	75.76	17.72
6	दादरा एवं नगर हवेली	0.01	0.00	0.01	0.00
7	गोवा	0.44	0.00	0.44	0.00
8	गुजरात	51.20	156.07	207.26	154.17
9	हरियाणा	102.58	5.93	108.51	61.52
10	हिमाचल प्रदेश	19.52	130.17	149.69	30.12
11	जम्मू एवं कश्मीर	18.45	103.08	121.53	4.66
12	झारखण्ड	93.94	23.05	116.99	75.48
13	कर्नाटक	71.16	312.57	383.73	440.87
14	केरल	24.98	33.97	58.95	21.97
15	मध्य प्रदेश	493.99	0.00	493.99	222.87
16	महाराष्ट्र	51.53	236.11	287.64	257.08
17	मणिपुर	15.67	9.18	24.86	19.93
18	मेघालय	75.88	0.00	75.88	36.67
19	मिजोरम	9.61	0.00	9.61	2.57
20	नागालैण्ड	0.44	20.87	21.32	0.76
21	ओड़िशा	159.80	65.84	225.64	107.41
22	पुदुच्चेरी	0.23	2.00	2.23	0.00
23	पंजाब	12.24	0.00	12.24	7.66
24	राजस्थान	81.56	271.57	353.13	311.30
25	सिक्किम	6.23	3.89	10.12	5.19
26	तमिलनाडु	172.63	205.12	377.74	138.09
27	तेलंगाना	28.12	105.62	133.74	46.55
28	त्रिपुरा	15.76	50.65	66.41	16.81
29	उत्तर प्रदेश	293.44	237.99	531.43	256.83
30	उत्तराखण्ड	8.63	40.52	49.15	43.70
31	पश्चिमी बंगाल	127.17	371.52	498.69	469.16
	कुल	**2462.28**	**2730.33**	**5192.61**	**3082.32**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार एसबीएम (जी) के अंतर्गत राज्य–वार रिलीज की स्थिति (करोड़ रूपयों में)					
क्र.सं.	राज्य	प्रारंभिक अथशेष 1–4–2015तक	रिलीज	कुल	व्यय
1	आंध्र प्रदेश	143.65	168.37	312.02	191.11
2	अरूणाचल प्रदेश	5.15	12.20	17.35	7.82
3	असम	170.96	187.67	358.63	263.16
4	बिहार	143.31	182.14	325.46	109.00
5	छत्तीसगढ़	58.26	83.78	142.05	115.72
6	दादरा एवं नगर हवेली	0.01		0.01	0.00
7	गोवा	0.44	1.05	1.49	0.00
8	गुजरात	50.34	134.52	184.85	286.57
9	हरियाणा	47.06	29.53	76.58	43.91
10	हिमाचल प्रदेश	119.33	4.37	123.70	47.46
11	जम्मू एवं कश्मीर	116.87	4.05	120.91	26.80
12	झारखण्ड	42.58	16.95	59.53	145.28
13	कर्नाटक	-57.13	335.45	278.33	278.05
14	केरल	37.12	8.50	45.62	13.07
15	मध्य प्रदेश	271.07	220.28	491.35	566.42
16	महाराष्ट्र	31.25	280.83	312.08	328.60
17	मणिपुर	4.63	8.19	12.82	40.23
18	मेघालय	37.75	22.47	60.22	30.60
19	मिजोरम	6.99	3.32	10.31	1.64
20	नागालैण्ड	19.99	10.83	30.82	18.66
21	ओड़िशा	119.11	317.10	436.21	566.83
22	पुदुच्चेरी	2.23		2.23	0.00
23	पंजाब	4.09	23.90	27.99	29.75
24	राजस्थान	41.83	429.38	471.21	929.29
25	सिक्किम	4.93	1.93	6.86	3.78
26	तमिलनाडु	239.76	34.91	274.67	273.43
27	तेलंगाना	87.19	128.39	215.58	82.26
28	त्रिपुरा	49.76	15.39	65.15	24.45
29	उत्तर प्रदेश	275.28	462.69	737.98	336.48
30	उत्तराखण्ड	5.53	40.82	46.35	40.56
31	पश्चिमी बंगाल	29.56	575.53	605.09	684.52
	कुल	**2108.87**	**3744.55**	**5853.42**	**5485.45**

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) वर्ष 2015–16 के दौरान दिनांक 31.12.2015 तक कुल तथा एससी/एसटी आईएचएचएल की उपलब्धियाँ						
क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2015–16 के दौरान आईएचएचएल की उपलब्धियाँ			कुल बीपीएल उपलब्धियों में हिस्सा	
		कुल	एससी			कुल
1	आंध्र प्रदेश	228840	54269	13134	23.71	5.74
2	अरूणाचल प्रदेश	6613	15	5096	0.23	77.06
3	असम	341946	27428	47311	8.02	13.84
4	बिहार	140168	26916	4207	19.20	3.00
5	छत्तीसगढ़	156713	16278	56320	10.39	35.94
6	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0.00	0.00
7	गोवा	0	0	0	0.00	0.00
8	गुजरात	369036	24471	115373	6.63	31.26
9	हरियाणा	83891	29544	198	35.22	0.24
10	हिमाचल प्रदेश	49710	13805	3664	27.77	7.37
11	जम्मू एवं कश्मीर	27182	1648	4435	6.06	16.32
12	झारखण्ड	171819	20460	42420	11.91	24.69
13	कर्नाटक	328913	67813	24867	20.62	7.56
14	केरल	11194	1501	538	13.41	4.81
15	मध्य प्रदेश	723062	132910	202806	18.38	28.05
16	महाराष्ट्र	443868	48502	53683	10.93	12.09
17	मणिपुर	35271	552	18016	1.57	51.08
18	मेघालय	27935	347	22013	1.24	78.80
19	मिजोरम	1038	21	1006	2.02	96.92
20	नागालैण्ड	16041	101	15920	0.00	0.00
21	ओड़िशा	631327	83500	130512	13.23	20.67
22	पुदुच्चेरी	0	0	0	0.00	0.00
23	पंजाब	36177	24451	155	67.59	0.43
24	राजस्थान	1624741	232588	200330	14.32	12.33
25	सिक्किम	3371	259	1411	7.68	41.86
26	तमिलनाडु	487506	113468	9557	23.28	1.96
27	तेलंगाना	132570	29551	11222	22.29	8.46
28	त्रिपुरा	26148	3395	11777	12.98	45.04
29	उत्तर प्रदेश	432124	88937	5521	20.58	1.28
30	उत्तराखण्ड	36379	6584	1610	18.10	4.43
31	पश्चिमी बंगाल	1107631	345032	99151	31.15	8.95
	कुल	**7681214**	**1394346**	**1102253**	**18.15**	**14.35**